

CONTENTS

**Fifteenth Series, Vol. VI, Third Session, 2009/1931 (Saka)
No. 17, Monday, December 14, 2009/ Agrahayana 23, 1931 (Saka)**

<u>SUBJECTS</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 342, 345, 347, 350 and 351	3-38
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 341, 343, 344, 346, 348, 349 and 352 to 360	39-79
Unstarred Question Nos. 3770 to 3936	80-318

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE	319-331
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 33 rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Indigenisation of Defence Production- Public Private Partnership' pertaining to the Ministry of Defence Shri A.K. Antony	332
ELECTION TO COMMITTEE	333
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority	
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	334-353
Situation arising out of rapid increase in cases of Encephalitis in the Country, particularly in Eastern Uttar Pradesh and steps taken by the Government in this regard Yogi Aditya Nath	334 340-344
Shri Dinesh Trivedi	334-339 346-351
Shri Jagdambika Pal	344-345
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2009	354
MATTERS UNDER RULE 377	361-371
(i) Need to withdraw the decision to acquire land of marginal farmers of Maharajganj, Uttar Pradesh for construction of residential and official complexes of Sashastra Seema Bal. Shri Harsh Vardhan	361
(ii) Need to take steps to increase literacy rate of Muslim minority for their socio-economic development in Andhra Pradesh and other parts of the country. Shri Madhu Goud Yaskhi	362-363

- (iii) Need to withhold the decision of conversion of Government Medical Colleges into self-financed colleges in Gujarat.
- Dr. Prabha Kishor Taviad 364
- (iv) Need to revive the Ramagundam Fertilizer Factory in Karim Nagar district of Andhra Pradesh
- Shri Ponnam Prabhakar 365
- (v) Need to give status of a full-fledged State to Delhi.
- Shri Jai Prakash Agarwal 366
- (vi) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Hoshiyarpur district, Punjab.
- Shrimati Santosh Chowdhary 367
- (vii) Need to create a National Rural Bank and address the grievances of Regional Rural Banks in Andhra Pradesh.
- Shrimati Botch Jhansi Lakshmi 367
- (viii) Need to expedite the setting up of a steel plant in Gwalior Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.
- Shrimati Yashodhara Raje Scindia 368
- (ix) Need to make available seeds of wheat through National Seeds Corporation in Madhubani and Darbhanga districts of Bihar.
- Shri Hukumdeo Narayan Yadav 368
- (x) Need to improve telephone services in Himachal Pradesh.
- Shri Virender Kashyap 369

- (xi) Need to include unaided schools of Uttar Pradesh in National Literacy Mission.

Shri R.K. Singh Patel 369

- (xii) Need to check the menace of Neel Gai in eastern parts of Uttar Pradesh.

Shri Gorakhnath Pandey 370

- (xiii) Need to fix the price of iron ore and other minerals on ad valorem basis for the State of Orissa.

Shri B. Mahtab 371

COMPETITION (AMENDMENT) BILL, 2009 372-407

Motion to Consider 372-407

Shri Salman Khursheed 372-373
398-406

Shri Nishikant Dubey 374-378

Shri Sanjay Nirupam 379-384

Shri Shailendra Kumar 385-386

Dr. Anup Kumar Saha 386-387

Shri Pinaki Misra 388-391

Shri Prasanta Kumar Majumdar 392-393

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 394-396

Shri Arjun Ram Meghwal 397

Clauses 2, 3 and 1 407

Motion to Pass 407

**STATE BANK OF SAURASHTRA (REPEAL) AND
THE STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS)
AMENDMENT BILL, 2009** 408-461

Motion to Consider 408-460

Shri Namu Narain Meena 408
457-460

Shrimati Sumitra Mahajan 410-415

Shri P.C. Chacko 416-425

Shri Shailendra Kumar	426-428
Shri Gorakhnath Pandey	429
Shri T.K.S. Elangovan	430-431
Shri A. Sampath	432-434
Shri B. Mahtab	435-439
Shri Jagadanand Singh	440-442
Shri Prabodh Panda	443-445
Shri Naranbhai Kachhadia	446-448
Shri Prasanta Kumar Majumdar	449-450
Shri S.S. Ramasubbu	451-454
Shri Jai Prakash Agarwal	455-456
Clauses 2 to 11 and 1	461
Motion to Pass	461

SUBMISSIONS BY MEMBERS

- | | |
|--|---------|
| (i) Re: Difficulties being faced by telephone and mobile consumers in the country | 462-464 |
| (ii) Re: Need to look into the encroachments in cremation grounds and in lands of villagers in Uttar Pradesh | 467-469 |
| (iii) Re: Need to review the decision to ban pre-paid mobile phone services in Jammu and Kashmir | 476-478 |

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	479
Member-wise Index to Unstarred Questions	480-483

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	484
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	485

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 14, 2009/ Agrahayana 23, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न 341, श्री राकेश सिंह - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था कि पूर्वाचल को(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्नकाल पर प्रहार मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आपका बोलना व्यर्थ जा रहा है। आप बैठ जाएं।

*(Interruptions) ... **

(Q. No. 342)

श्री लालचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल ग्रामीण फोन लगे हैं। वहां गांवों में ज्यादातर बिजली की समस्या रहती है। जहां जनरेटर सेट हैं, वहां डीजल की समस्या बनी रहती है और इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ये लगाए गए हैं, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल पाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सरकार की कोई ठोस नीति है या कोई अलग से कार्यक्रम है?

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदया, जैसा उत्तर में बताया गया है कि देश में टोटल इनहेबिटेड गांव 5,93,000 हैं। इनमें से 5,62,000 गांवों को हम लोगों ने वीपीटी से जोड़ा है, यानी देश के 95.5 प्रतिशत गांवों को हम लोगों ने अब तक वीपीटी से जोड़ा है। फरवरी 2011 तक देश के तमाम ऐसे गांव, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, दूरदराज के इलाके में हैं, जो नक्सलवाद प्रभावी क्षेत्र है, उन सभी को हम वीपीटी के माध्यम से जोड़ देंगे।

जहां तक माननीय सदस्य ने मोबाइल टावर, डीजल, जनरेटर और बिजली के बारे में प्रश्न पूछा है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और जहां-जहां बिजली एवेलेबल है, वहां हमारे मोबाइल टावर्स काम करते हैं। जहां बिजली नहीं आती है, वहां डीजी जेन सेट और डीजल का प्रावधान हमने रखा है। हम ज्यादा चौकसी बरतते हैं। हमारे मंत्रालय ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि वह इसका प्रबंध और व्यवस्था कराएं, ताकि संचार व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकें।

श्री लालचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदया, संचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सड़कों को बार-बार खोद कर ओप्टिकल फाइबर केबल डाली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का भी नुकसान है और आम जनता को भी इससे प्रभावित होना पड़ता है। इस बारे में मंत्री जी का क्या कहना है।

श्री सचिन पायलट : महोदया, माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल वाजिब है, क्योंकि केबल को खोद कर डालना पड़ता है। निश्चित रूप से जो सड़कें हैं, जो यूटीलिटीज के, बिजली के, सीवेज के जो अंडरग्राउंड्स पाइप्स वगैरह होते हैं, उनमें रुकावट भी आती है और खर्चा भी बढ़ता है, लेकिन हम लोग निरंतर राज्य सरकारों के संपर्क में रहते हैं, ताकि आपसी समन्वय के साथ कम से कम नुकसान में और कम से कम पैसे में हम सारी केबल-लेइंग का प्रोसेस शुरू कर सकें। इसके साथ-साथ जो वायरलेस टेक्नोलोजीज़ हैं,

जो ब्राड बैंड और वायरलेस में हम देना चाहते हैं, उसके चलते मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस समस्या का कम नुकसान उठाना पड़ेगा।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, about the question of utilization of USO Fund, it is stated that a large quantity of USO Fund is lying unutilized at the disposal of the Government. At the same time, as the hon. Minister has stated, wherever they have provided VPT through WLL or MARR system, those VPTs are lying defunct. May I ask the hon. Minister, how many MARR systems are still lying defunct in the country out of the villages they have provided VPT? What is the amount that has still remained unutilized in so far as USO Fund is concerned?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): Madam, the concern of the hon. Member is appreciated. The Government is deeply concerned over how the funds available under the Universal Service Obligation Fund could be utilized. This Fund has been created under the Indian Telegraph Act, 1885. We do have problems on how to utilize this Fund since a huge fund is available. The Government wanted to follow a transparent policy by way calling for tenders on erecting towers in rural areas. Under the USO Fund, as the hon. Member observed, we have many schemes like for putting up Village Public Telephones, replacement of MARR-based VPTs about which the hon. Member is concerned, creating rural lines, etc. The problem in the system is that we cannot give you a figure as to how many VPTs are not functioning as on date. There will be defunct VPTs in a good number. Wherever such things happen, the District-level systems, the State-level systems will be deployed to see how those VPT systems can be restored. It is an ongoing process. We cannot say how many VPTs are non-functional as on date. It has come to the notice of the Government that some VPTs are not working.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Especially MARR system.

SHRI A. RAJA: Yes, MARR system is also working. If you want to have the details, agreements have been signed with the BSNL for replacement of 1,85,000 VPTs with reliable technologies where the Multi Access Radio Relay technology was working as on 1-4-2002. It is an ongoing process. Switching over from VPT

technology on MARR, provision of RDEL, these are all ongoing programmes. Funds are available and the process is on. If the hon. Member has a specific allegation with regard to a specific peripheral area or territory, Government is ready to look into the matter.

SHRI VARUN GANDHI : Madam, according to the Telecom Regulatory Authority of India, the tele-density in urban areas and major cities has grown to over 50 per cent. However, in rural areas it is still very much stagnant leading to a large divide. There is a very good scheme that has been launched by the Government called the Kissan Call Centre Service which offers expert advice on agriculture-related problems and queries of the rural farmers. What does the hon. Minister propose for the laying out of telecom infrastructure to facilitate extension of this Scheme to all the villages in our country which can potentially be a lifeline for the rural masses.

SHRI SACHIN PILOT: Madam Speaker, the hon. Member is correct in saying that there is a disparity in the tele-densities of rural areas and urban areas. The rural tele-density in the year 2006 was only 1.8 per cent. But today our rural tele-density is almost 20 per cent. The urban tele-density is in the high 90s. So, there is certain disparity and we are working very actively towards making sure that the disparity goes away in the near future. The Government of India with its PSUs as well as the private operators is now expanding very rapidly into the rural areas of the country so that the villages become a part of the communication revolution we have witnessed for the last decade and a half.

The particular scheme that the Member mentioned does not exist any more. But I think that was a good scheme because we must use our telephone network, mobile network, to impart knowledge and information to the farming community of our country. Once we empower the farming community we will see the economic benefits of that through the telecommunication sector. So, we are all looking forward to investing in ways that in the near future most parts of our rural India can be included in that scheme wherein the farming community - whether it is fishermen, whether it is north or the south – in the rural India, people who need the information and knowledge through the technology can be provided.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, it is a great achievement that we could establish tele-link in 5,03,000 villages all over the country out of the 5,95,000 inhabited villages. But reading between the lines of the reply given by the hon. Minister, Madam, we can see that private players in this field are not fulfilling their obligations.

Five lakh three thousand VPTs were installed by the BSNL. At the same time, only 7,123 VPTs were installed by the private players. They are only interested in the lucrative side of the business. The fact is that there is a telecom revolution taking place in this country and the credit goes to the late Rajiv Gandhi. I want to know specifically from the Government as to whether the Government would enforce a legal obligation on the part of the private players in establishing the rural linkage by way of VPTs.

SHRI SACHIN PILOT: The hon. Member has pointed out the limited role the private operators are playing in the VPTs scheme. First of all, I am happy to inform the hon. Member that in Kerala there are 1,372 villages as per the 2001 census, and all 1,372 villages have been connected with VPTs and there is not a single village in Kerala that does not have a VPT. However, in the licence conditions, there is no legal obligation for the service providers to expand the network in the rural areas. But five per cent of each of the service providers adjusted gross revenue goes into the fund, which is the USO fund and the creation of the USO fund was to make sure that rural parts of India get connected with telecommunication facilities, whether it is through landline, broadband, wireless or mobile services and we are making sure that the USO fund is more judiciously used and more expeditiously used so that parts of our country that are thus far not being connected, in those villages, we will be able to connect in the near future.

(Q. No. 345)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे यह बात साफ नहीं होती कि जो प्याज का निर्यात किया जा रहा है, इसकी क्या नीति है? प्याज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं फिर भी आप प्याज निर्यात करते चले जा रहे हैं। आपने खुद ही कहा है कि नवम्बर तक 9.14 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया है और यदि सही आंकड़े जुटाए जाएं तो पता लगता है कि 12 लाख मीट्रिक टन के बराबर निर्यात किया गया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ आप प्याज निरन्तर निर्यात कर रहे हैं, साल भर तक निर्यात हुआ है, आपने नवम्बर तक के आंकड़े दिये हैं। लेकिन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको यह अन्दाज है कि प्याज का एक घरेलू बाजार भी है और प्याज का एक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी है तो प्याज के उत्पादन के लिए आपकी तरफ से क्या दिए गए इंसेंटिक्स हों जिससे हमारे देश में प्याज की कीमतें कम रहें, प्याज का उत्पादन बढ़े, किसान को ज्यादा पैसा मिले या फिर लोग प्याज के आंसू रोते ही रहेंगे? यह मेरा पहला सवाल है जो आपके उत्तर से निकलता है और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो 13 एजेंसीज हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले प्रश्न का उत्तर उन्हें देने दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जो इनका पहला पार्ट है, यह उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरे पार्ट का सवाल में बाद में पूछूंगा। आपका कहना है कि 13 एजेंसीज इसका निर्यात कर रही हैं। 13 एजेंसीज को इसके निर्यात करने की इजाजत देने की क्या जरूरत है? वे ऐसी एजेंसीज हैं पता नहीं वे कितना निर्यात कर पाएंगी, उनकी क्या स्थिति है, इनके क्या नियम हैं, क्या क्राइटीरिया हैं? क्या कारण है कि आपने इन 13 एजेंसीज को निर्यात करने की इजाजत दी है?

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह यह जानकारी प्राप्त करने के लिए है कि पिछले 6 महीने के अंदर कितना प्याज का निर्यात हुआ है और उसके साथ-साथ कौन सी एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से यह निर्यात किया जाता है? प्याज के निर्यात पर हालांकि कोई पाबंदी नहीं है परंतु प्याज का निर्यात और समन्वय नेफैड द्वारा किया जाता है और जो 13 एजेंसीज हैं, वे स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज हैं, जो राज्यों की हैं और जिन्हें निर्यात के लिए अनुमति दी जाती है। हम इसमें 14 मई को एक नई नोटिफिकेशन द्वारा एक रेशनलाइजेशन लाए हैं कि राज्य की जो भी एजेंसियां निर्यात करती हैं, वे केवल एसोसिएट शिपर्स से एक प्रतिशत सर्विस चार्जिस ले सकती हैं, उसके अलावा नहीं ले सकती हैं। यह चैनलाइज्ड एक्सपोर्ट होता है इसलिए नेफैड हर सप्ताह कितना आउटफलो है और कितना राज्य के बाहर गया, इसकी जानकारी सब राज्यों के इन एंटरप्राइजिस से हासिल करती है और इसकी जानकारी तुरंत कृषि और वाणिज्य मंत्रालय को पहुंचाई जाती है। जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि इस साल छः महीने में 9,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा निर्यात हुआ है। जहां तक मूल्य और उपलब्धि की बात है, ये दोनों

बुनियादी बातें हैं। मैंने इस संबंध में माननीय सदस्य को उत्तर में स्पष्ट किया है कि पिछले साल भारत में 76 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जितना प्याज का उत्पादन था, इस साल भी उतना ही उत्पादन है और जितना हैक्टियर क्षेत्र इसके उत्पादन में था, उससे ज्यादा क्षेत्र में प्याज बीजा गया है। जहां तक रिजर्व की बात है, इस साल इस वक्त 25 लाख स्टोरेज में है। पिछले साल नवंबर महीने में 25 लाख टन ही स्टोरेज में था। इससे यह स्पष्ट है कि न कोई कमी है और न उत्पादन की कमी है। दाम बढ़ने का कारण क्या है, एक तो बाहर के बाजार में दाम बढ़े हों जिससे निर्यात करने पर ज्यादा मुनाफा मिलता है और दूसरा कारण स्पष्ट है कि मानसून देर से आया जिसके कारण प्याज देर से बीजा गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश आई जिसके कारण फसल का नुकसान हुआ जिससे आशंका पैदा हुई कि शायद कोई कमी आ जाए और इसके दाम बढ़ें। सरकार हर साल नैफेड के माध्यम से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ाती है। जून महीने से निर्यात हुआ और निरंतर एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया। जून महीने में 185 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन एक्सपोर्ट प्राइस था और इसे अगस्त महीने में 205 कर दिया गया। 1 सितंबर को फिर बढ़ाकर 215 यूएस डॉलर कर दिया गया और 6 अक्टूबर को 300 डॉलर कर दिया गया। 1 दिसंबर को 450 डॉलर प्रति मीट्रिक टन, जो डेटरेंट प्राइस है, कर दिया गया ताकि कोई कमी न आए। जैसा कि मैंने कहा हर सप्ताह रिपोर्ट मिलती है कि बाहर कितना गया और देश में कितनी उपलब्धता है। इसका सीधा प्रभाव पड़ा, अक्टूबर महीने में 1,75,000 मीट्रिक टन निर्यात हुआ, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस डेटरेंट करने से घटकर 44,000 मीट्रिक टन से नीचे आ गया। जैसे ही उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट हुई, नासिक में मंडी के दाम में कमी आई। अक्टूबर महीने में 1250 रुपया प्रति मीट्रिक टन दाम था वह गिरकर 900 रुपए आ गया है। दिल्ली में भी 1500 रुपए से घटकर 1280 रुपए हो गया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, गत वर्ष जितना उत्पादन हुआ था, उतना ही आज है, यह स्पष्ट है। आपके स्टॉक में भी पर्याप्त है लेकिन इसके बाद भी दाम बढ़ते गए। अगर आप कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मुनाफा मिल रहा था, आपने एक्सपोर्ट प्राइस को अंकुश लगाकर घटा दिया। आप देख रहे हैं कि उसके बाद कीमत बढ़ी। अगर पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो कीमत बहुत ज्यादा है, यह डेढ़ गुना, दुगुनी हो गई है। प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के बावजूद, उतनी ही मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद, उतने ही क्षेत्रफल में बीजे जाने के बावजूद और स्टॉक में उतना ही रहने के बावजूद प्याज के आंसुओं से जनता रो रही है। अगर हम दोनों वर्षों की तुलना करें, इस वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना करें और बाजार भाव की तुलना करें तो भी दिसंबर की बात को छोड़कर निरंतर दाम बढ़े हैं। पिछले वर्ष की तुलना में आज ज्यादा दाम हैं, यह क्यों है? ऐसा लगता है कि या तो आपकी निर्यात नीति गलत है या आंकड़े गलत हैं या कहीं न कहीं कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो आपके नियंत्रण के बाहर है। हम यह

जानना चाहेंगे कि क्या आप इस प्रकार का प्रबंध करेंगे कि दिसम्बर या जनवरी के महीने में प्याज का दाम उतना ही आ जायेगा जितना गत वर्ष था?

श्री आनन्द शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन को बताना चाहता हूँ कि माननीय जोशी जी का प्रश्न प्याज की उपलब्धता के बारे में है कि देश के अंदर कितनी उपलब्धता है, कितना प्याज देश के बाहर भेजा गया और क्या बाहर निर्यात करने के कारण देश में इसकी कोई कमी आई है? यह प्रश्न का भाग (सी) है और उसके साथ सरकार इसमें दुरुस्तगी लाने के लिए क्या करैक्टिव स्टैप्स उठा रही है? मैंने इन चारों प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया है।..(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आप इधर-उधर की बात मत कहिये। पहले प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया, वह अलग है। लेकिन आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्याज के दामों पर नियंत्रण कैसे करेंगे?

अध्यक्ष महोदया : जोशी वह उत्तर दे रहे हैं। आप उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जोशी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जहां तक दाम की बात है, दाम की चिंता सरकार को रहती है। यह भी सही है कि कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन जो संबंधित मंत्रालय एग्रीकल्चर और कंज्यूमर्स अफेयर्स हैं, वे समय-समय पर इसे देखते रहते हैं। आपका जो प्रश्न वाणिज्य विभाग से संबंधित है, वह निर्यात और देश के अंदर क्या उपलब्धता है और कितना मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि देश के अंदर जो अवेलेबिलिटी है, वह पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है, स्टोरेज में कोई कमी नहीं है। परंतु दाम का विभाग मेरे पास नहीं है, कंज्यूमर्स अफेयर्स विभाग से यह प्रश्न किया जा सकता है। मुझसे जो प्रश्न किया गया ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा : महोदया, मैं अपने उत्तर को माननीय सदस्य के प्रश्न तक ही सीमित रखता हूँ, जैसा मैंने कहा है कि दाम पर बाद में अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जून में 185 डालर था, उसे बढ़ाकर 450 डालर कर दिया गया, निर्यात में कमी आई।

दूसरा कारण जो सरकार की समझ में आया है कि पहले सूखा और उसके बाद बारिश से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है।

MADAM SPEAKER: Please maintain order in the House.

... (Interruptions)

श्री आनन्द शर्मा : उससे यह आशंका, जो स्पेकुलेशन होती है, यह आशंका भी हो सकती है और भय भी हो सकता है कि शायद बहुत कमी आ जाए, उसके कारण बाजार में जो क्वांटिटी आती थी, जिस मात्रा में प्याज आता था, उसमें कमी आई। परंतु आज वह परिस्थिति नहीं है। जो कदम उठाये गये, उसमें मैंने आपको नासिक और दिल्ली दोनों स्थानों की मंडियों के दाम भी बताये हैं और जो एक्सपोर्ट प्राइस है, वह

डेटरेन्ट है, कोई कमी नहीं है। बाकी जो संबंधित विभाग हैं, वे प्रति सप्ताह इस पर दृष्टि रखते हैं। Every weekend that Report is submitted to the Ministry of Agriculture. ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: आप बैठ जाइये। Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: Shri Jagdish Sharma, not present.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिये।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, the hon. Minister has replied that 13 canalising agencies for export of onions include West Bengal Essential Commodities Supply Corporation, WBECSC. I would like to say that the WBECSC is specifically a loss-making unit. West Bengal Essential Commodities Supply Corporation as such is not rising to the occasion and its performance is a total failure. I may be clarified as to how many tonnes of onions are being exported through this agency along with the other 12 agencies and whether we can be communicated the break-up of the performance of these 13 agencies? Can the Minister table in the House the break-up in the form of a report today itself?



SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, the question is regarding the information about the quantity of exports, availability and the agencies through which it is exported. The export of onion is a canalised export and NAFED gives the necessary approval to the State trading enterprises. The West Bengal State Essential Commodities Supplies Corporation Limited, Kolkata, is one of those 13 canalised agencies which are permitted to export onions.

As far as the quantity exported by West Bengal is concerned, I can get that information for the hon. Member. But the total quantity which has been exported by all the 13 agencies, I have submitted it before the House.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Can you give the break up?

MADAM SPEAKER: You can send it to him.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, डा. जोशी ने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब बतलाया जो हमारी समझ में नहीं आया। आज प्याज आवश्यक खाद्य पदार्थ है. जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि प्याज के कारण तीन तीन सरकारें चली गईं। सरकार केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये या सरकार अपने फायदे के लिये प्याज का निर्यात कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे महंगाई बढ़ रही है, उसे देखते हुए प्याज के दामों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं? इस महंगाई के कारण प्याज 40 रुपये या 45 रुपये प्रति किलो देश में बिक रहा है। क्या मंत्री महोदय यही कहेंगे कि यह मामला कृषि मंत्री के अधीन आता है और क्या वह इसका सही जवाब देंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया है, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यह सीधा सा प्रश्न है कि यदि प्याज बाहर भेजेंगे तो यहां महंगाई बढ़ेगी।

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को यहां रखा है और मैंने विस्तार से सभी बिन्दुओं के बाबत बताया है। फिर भी माननीय सदस्य के लाभ के लिये मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि यह प्रश्न प्याज के निर्यात के बारे में है और उन संबंधित एजेंसीज़ के ब्यौरे से संबंधित है जिनके माध्यम से प्याज का निर्यात किया जाता है कि क्या मात्रा में कोई कमी है? मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि देश के अंदर प्याज का उत्पादन इस वर्ष उतना ही हुआ है जितना पिछले वर्ष 76 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य इनके मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री दत्ता मेघे : मेरा सवाल है कि प्याज का निर्यात क्यों बढ़ रहा है?

श्री आनन्द शर्मा : जहां तक निर्यात का संबंध है...(व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये। सब सदस्य अपने हैं।

अध्यक्ष महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप कृपया मंत्री महोदय की बात सुन लीजिये। वह बता रहे हैं।

श्री आनन्द शर्मा : अगर माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि उपलब्धता में कोई कमी है, तो वह नहीं है, या स्टोरेज में कोई कमी है तो वह भी नहीं है। मैंने इतना कहा...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्याज के दामों से संबंधित नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अलग-अलग मंत्रालय हैं।

MADAM SPEAKER: Q.346 – Shri Ramsinh Rathwa – not present.

Q. 347- Shri Mithilesh Kumar

(Q. No. 347)

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सेना में लिंग पर आधारित पक्षपात करने तथा सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन तथा पेंशन देने की मनाही की गई है? इससे संबंधित मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आज भी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और पेंशन का लाभ न देने के क्या कारण हैं?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, as far as the Short Service Commission is concerned, there is absolutely no discrimination except that women are eligible for permanent commission only in selected streams. There is a case in the Delhi High Court which is pending and it is *sub judice*.

श्री मिथिलेश कुमार : महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में वायु सेना रहित रक्षा सेनाओं की भर्ती करने के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी है। इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या सरकार 21वीं सदी में महिलाओं के लिए सेनाओं के सभी क्षेत्र खोलने पर कोई विचार कर रही है?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, induction of women into the Army and Air Force started in the year 1992 beginning with the Short Service Commission. However, there has been a conscious attempt to ensure that they are not into combat roles but they are given opportunities in most of the roles and these areas are expanding continuously.

MADAM SPEAKER: Shri Rudra Madhab Ray.

SHRI MANISH TEWARI : I would like to draw the attention of the hon. Minister to the answer that has been given. If one would look at the figures of women in all the three Services – it is 398 in 2007, 399 in 2008 and 432 in 2009. Obviously these figures represent very low percentage compared to the standing Army or the strength of the Air Force and Navy.

Madam, my question to the hon. Minister is this. Is this strength low because lesser number of women is applying or is it that women are not able to come up to the benchmark which has been set for recruitment?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, I would like to say that most of the women who are applying are definitely meeting the benchmarks. But like as I said before, the streams into which women are being inducted are limited and streams into

which Short Service Commission women are being allowed into permanent commission are also limited. There is also a conscious attempt to keep them out of combat roles. Naturally that limits their opportunities. However, women who are applying are quite motivated and they are meeting the standards.

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मुझे मंत्री जी का लिखित उत्तर पढ़कर बहुत दुख हुआ है और लगता है कि इससे आपको भी दुख होगा, क्योंकि आप स्वयं एक सक्षम नारी हैं। जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी कित्तूर चेन्नमा जैसी महिलाएं हुई हों, जिन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया हो, केवल युद्ध लड़ा नहीं हो, उस देश की सरकार कह रही है कि हम सामरिक दायित्व महिलाओं को नहीं दे सकते। ऐसे देश में सामरिक दायित्व महिलाओं को देने से इनकार करना, महिलाओं के साथ अन्याय करना है।

महोदया, पहले मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप स्पेशल महिला बटालियन रोज करेंगे, जिसका नेतृत्व भी महिला कैप्टन्स ही करें, महिलाएं ही करें। इसके साथ ही साथ मैं यह पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की इतनी कम संख्या होने के बावजूद पिछले दिनों महिलाओं के साथ कुछ कोर्ट मार्शल होने की खबरें आयी हैं। क्या महिला अफसरों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आर्मी में कोई अलग मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे कोर्ट मार्शल की नौबत न आये?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, I fully share the sentiments of Smt. Sushma Swaraj and other hon. Members who have expressed their concern regarding the lesser number of women officers in the Armed Forces. But at the same time one must understand historical developments also. Women were admitted in the Armed Forces 80 years ago, mainly in the nursing and medical officers level. Only in the year 1992 women were given a chance to join the short service in other Armed Forces like the Army, the Air Force and the Navy. ... (*Interruptions*) But last year, for the first time, our Government had given the permission to women to join the Armed Forces in permanent commission. Now this year, I have given direction to the Armed Forces that they must expand the areas. Last year, we have allowed women to join eight streams in Army, Navy and Air Force. Now, we have requested them that they must expand the streams. So, gradually, we are expanding the areas for women. Now, as per their study which they conducted in 2006, the Armed Forces think that they are not still ready to join the combat areas. ... (*Interruptions*) I am sure that this is not the final decision.

As I told you earlier, even though women were allowed to join the Armed Forces 80 years ago, it was only in nursing service and medical service. After a long time, only in 1992 we allowed the women to join short service that too for only five years. That period is also extended. Instead of five years, it has now been extended to ten years, and it can even be extended to 14 years. This year, we are going to expand the streams. I am sure that gradually they will be able to join combat areas also. That day will come and things are moving in that direction.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : They are ready but only the Government is not ready. Mr. Minister, you need the will power to get ready and not the years.

SHRI A.K. ANTONY: With due respect to Shrimati Sushma Swaraj, I would like to say that only this Government, last year, gave permanent commission for women. This shows our sincerity. I am not arguing, but I am just saying that this Government, in September, 2008, gave permanent commission for women for the first time after 80 years. So, we are committed, we are sincere and...
(Interruptions) Let us not politicize the issue.

अध्यक्ष महोदया आप इस तरह से न बोलिए।

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI A.K. ANTONY: Last year, for the first time, we have opened up permanent commission for women in eight streams. This year, I have given specific directions to the Armed Forces that eight streams are not enough and that they have to expand and give more of non-combat areas to women. I am sure, even though the Report of the Commission in 2006 is against it, that in the course of time, they will be able to join the permanent commission in combat areas also. I agree with Shrimati Sushma Swaraj that there are brave women who are ready to join. I am sure that, that day will come and our Government is trying for it.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, I am looking forward to that day coming soon.

* Not recorded

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Madam, what about court martial? He has not replied to it.... (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: Madam Speaker, I am also waiting for that day. I have already told the Armed Forces to study the trend as to what is happening in the US and western countries. They are going to make that study. So, that day will come and we will all wait for that day.

श्री रेवती रमन सिंह : महोदया, माननीय मंत्री जी से आर्म्ड फोर्सिज़, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में महिलाओं की सैंक्शन स्ट्रैन्थ कितनी है, यह प्रश्न पूछा गया है। कितनी इनकी संख्या होनी चाहिए, यह पूछा गया है। लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि महिलाओं की सैंक्शन स्ट्रैन्थ क्या है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या महिलाओं के साथ भेदभाव भी होता है? अभी अखबारों में आया है कि अफसर ग्रेड की महिलाएं सूसाइड कर लेती हैं। वे सूसाइड कर रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितनी महिलाएं आफिसर हैं और कितनी एयरफोर्स, नैवी एवं अन्य जगहों पर हैं?

SHRI M.M. PALLAM RAJU : I would like to make it clear that there is no sanctioned strength as such. But women are inducted as per their eligibility. There is a conscious attempt to see that there is no discrimination. As far as their induction and their promotional aspects are concerned, there is absolutely no discrimination whatsoever.

SHRI BAIJAYANT PANDA : This issue of discrimination is actually one of the greatest barriers that come in the way of women's induction in the Armed Forces. Despite the efforts being taken by the hon. Minister, there remains an impression that the atmosphere within the Services is a little hostile to women who are already in it. This is bolstered by the media reports of several cases of workplace harassment which women officers have filed.

I would like to bring to the attention of the hon. Minister that in the civilian sector there are already many laws in place to protect women from workplace harassment. Would the hon. Minister tell us as to what steps has he taken to provide similar steps within the Armed Forces so that there are written procedures that women are not harassed and to see that if they do make allegations of harassment, they are treated in a fair and honourable manner?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: We are aware that in the Armed Forces, the respect for women and the work ethos is the highest. There is a conscious attempt to continuously improvise the working atmosphere for women who are in the Armed Forces. As I said just now, there is an attempt to make sure that they are not in combat roles just to protect them. Similarly, in the work areas, there is a conscious attempt to continuously improvise the working environment.

MADAM SPEAKER: Q. No. 348 – Dr. Raghuvansh Prasad Singh – not present.

Q. No. 349 – Shri Brijbhushan Sharan Singh – not present;

Shri P.P. Chauhan – not present.

Q. No. 350 – Shri Kaushalendra Kumar

(Q. No. 350)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार बिहार के स्तर पर महादलित आयोग बनाने का विचार रखती है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने प्रो. सक्सेना की रिपोर्ट के संबंध में जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से प्रो. सक्सेना की कमेटी बनी थी, क्योंकि विभिन्न राज्यों से शिकायतें आ रही थीं कि जो लोग गरीब नहीं हैं, वे गरीबी रेखा की सूची में हैं और जो गरीब हैं, वे गरीबी रेखा की सूची में नहीं हैं। सन् 2008 में प्रो. सक्सेना की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस विषय से संबंधित नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप मूल प्रश्न से संबंधित पूछिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाएं बनाने का विचार रखते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके? यदि हां तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा पूरा देश 619 जिलों में है और जिसमें छः लाख से ज्यादा गांव हैं तथा हमारी दो लाख पच्चास हजार ग्राम पंचायतें हैं। हर व्यक्ति को कार्य मिले, उसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं। सबसे बड़ी योजना, इस सदी का सबसे बड़ा कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत देश के हर राज्य में, हर गांव में प्रत्येक परिवार को रोजगार पाने का हक है।

अध्यक्ष महोदया, यह योजना ऐसी है जिसके माध्यम से वर्ष 2006-07, 2008-09 और वर्तमान समय तक करीब 11 करोड़ परिवार, अलग-अलग जॉब कार्ड के माध्यम से रोजगार पा चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास की, एस.जी.एस.वाई. योजना है, जिसके माध्यम से भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हमारे भाई और बहन रोजगार पा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, उनका मूल उद्देश्य यही है कि गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नरेगा के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर गरीब और अकुशल श्रमिकों में एक आत्मविश्वास सृजित हुआ है। आज आम आदमी को लगता है कि जिस बात की लड़ाई आजादी के बाद से लड़ी जा रही थी और पूरे देश में लोग कहते थे कि लोगों को रोजगार का हक मिलना चाहिए और यदि रोजगार नहीं मिले, तो उन्हें रोजगार भत्ता मिलना चाहिए, वह मांग पूरी हुई है। यह एक ऐसा एक्ट है जिसके अन्तर्गत हर परिवार को रोजगार मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं। आप उन्हें सुन लीजिए। शांति बनाए रखिए। शांति बनाए रखिए। बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री प्रदीप जैन : निश्चितरूप से हम समझते हैं कि आज भी पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, इस योजना के अंदर श्रमिकों में आत्मविश्वास सृजित हुआ है। इसके अंदर हमारे देश की इस महापंचायत के सदस्यों को भी मौका मिलता है कि वे मॉनीटरिंग करें। यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके अनुसार हर संसदीय क्षेत्र के, हर गांव के अंदर कार्य किया जा रहा है और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कार्य जो किया जा रहा है, वह मांग आधारित है। जिस कार्य की मांग, ग्राम पंचायत का अंतिम व्यक्ति तय करता है, उस काम की मांग जिले तक पहुंचती है, जिले से राज्य तक पहुंचती है और वहां से भारत सरकार को पहुंचती है और भारत सरकार पूरी की पूरी मांग की धनराशि उस गांव के सर्वान्गीण विकास के लिए आबंटित करती है। मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की इन योजनाओं के माध्यम से वे किसी भी क्षेत्र के किसी भी गांव का सम्पूर्ण और समुचित विकास कर सकते हैं।

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा था कि गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है या नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी भाषण दिए जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, under the NREGA Scheme, it allows the small water channels which run through the fields of small and marginal farmers. But, as you are aware, the same water channel runs from the main canal into the field of all the farmers. So, how is it that under NREGA we can use it in the small and marginal farmers to make them pucca, but not in the big farmers because it is the same channel? You cannot do in somebody's farm and not do in the next farmer's farm. So, is there any proposal by the Government to change the scheme? ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please ask the question which is related to the original question.

... *(Interruptions)*

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, I have asked the question under No. 351, which is what I have sent the request to you. ... *(Interruptions)*

श्री प्रदीप जैन : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य महोदया ने जो सवाल पूछा है, वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्या, आप अगले सवाल से संबंधित सप्लीमेंट्री पूछ रही हैं।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, I had asked the supplementary under Q. No. 351 in respect of NREGA. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have to ask the supplementary in respect of Q. No. 351. But you have given me the notice in respect of Q. No. 350. That is why I gave you a chance.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, I am extremely sorry.

MADAM SPEAKER: It is all right.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नरेगा की बात कही है। हम लोग गांव में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : वह आपका अगला प्रश्न 351 है। अभी जो प्रश्न चल रहा है, वह 350 है। आप इस प्रश्न पर ही सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उसी पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहा हूँ। महोदया, सक्सेना आयोग ने 50 परसेंट बी.पी.एल. कार्ड-धारकों की रिपोर्ट दी है और सरकार ने अभी तक 36 परसेंट की ही रिपोर्ट दी है, जबकि बी.पी.एल. कार्ड-धारकों को नरेगा के अलावा, केन्द्र सरकार की जो अन्य स्कीम्स हैं, उनका लाभ भी सीधे-साधे मिलता है। अगर यह 50 परसेंट बी.पी.एल. धारकों की संख्या बढ़ाई जायेगी तो नरेगा के अलावा जो अन्य स्कीम गवर्नमेंट की हैं, उनका लाभ सीधे-सीधे जनता को मिलेगा। इससे पलायन भी रुकेगा और रोजगार भी मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, ताकि बी.पी.एल. कार्डधारकों की संख्या बढ़ाई जा सके?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि प्रो. सक्सेना की जो कमेटी बनी थी, प्रत्येक कमेटी के टर्म्स ऑफ रैफरेंस होते हैं, जो उनकी विषय-वस्तु थी, वह विषय-वस्तु उनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए नहीं थी। उनकी विषय-वस्तु जो थी, वह थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बी.पी.एल. परिवारों के निर्धारण के लिए सरल, पारदर्शी एवं उद्देश्यपरक ढंग से मापन योग्य संकेतकों के साथ अगली प्रयुक्त कार्य-पद्धति की सिफारिश करना...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्होंने 50 परसेंट माना भी है।

श्री प्रदीप जैन: सर्वेक्षण कराना, लेकिन जो आप संख्या बता रहे हैं, संख्या निर्धारण करने का उनकी टर्म्स ऑफ रैफरेंस में कुछ नहीं था, वह उनकी विषय-वस्तु नहीं थी और जो आपका संज्ञान है, जो संख्या आप जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने गरीबी की रेखा की संख्या निर्धारण के लिए प्रो. तेंदुलकर की

अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और योजना आयोग द्वारा संख्या का निर्धारण होता है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो प्रो. सक्सैना की रिपोर्ट थी, क्योंकि हर राज्य से यह शिकायत आती थी कि जिस समय गरीबी की रेखा का निर्धारण किया गया, वह ठीक ढंग से नहीं किया गया, उसके मानक ठीक नहीं हैं। उसके आधार पर बहुत सारे लोग, जिन्हें सारी सुविधाएं गरीबी की रेखा के नीचे की मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिल पा रहे तो प्रो. सक्सैना को जो टर्म्स ऑफ रैफरेंस दिये थे, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि असली गरीब को ही गरीबी की रेखा के सारे वास्तविक लाभ मिलें तो हम लोगों ने उसमें सारे स्टेप्स के सैक्रेटरीज़ को बुलाया और वैंबसाइट पर डाल दिया। सारे स्टेप्स से भी उसमें हम सजेरेंस ले रहे हैं, ताकि उस पर जैसे ही सारे राज्यों से हमें संशोधन के लिए सहमति मिल जायेगी, सारे मंत्रालयों से भी हम लोग इसके संशोधन और सुझाव मांग रहे हैं, जैसे ही यह मिल जायेगी तो इसके आधार पर हम लोग गांवों में गणना का कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री जी, आप इस पर चर्चा कराएंगे? फिर यह आयेगा बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपकी बात हो गई।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN : Madam, I would like to thank you for giving me an opportunity to put the question.

The hon. Minister's Statement says that the recommendation includes automatic exclusion of rural household from the BPL list, automatic inclusion in the BPL List. With the prices of essential commodities rising every week, the poor are suffering. The certain income which a family earns this month may not be sufficient for their survival in the next month because of the rising prices. Therefore, I want to know, through you, Madam, from the hon. Minister whether the Government would consider increase in the total income of a family every year or periodical increase in the total income of a family for including a family in the BPL or APL List.

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, क्योंकि जो प्रश्न था, वह पार्टिकुलरली प्रो. सक्सैना की रिपोर्ट के सम्बन्ध में था और प्रो. सक्सैना की रिपोर्ट में स्वतः इन्क्लूज़न और एक्सक्लूज़न के लिए जो प्रावधान थे, उनका उद्देश्य यह था कि एक नज़र में जो गरीब व्यक्ति है, तत्काल उसका नाम गरीबी की रेखा में जुड़ जाये और जो आदमी गरीब व्यक्ति के हक, अधिकार और सुविधा पर डाका डाल रहा है और किसी भी दबाव में उसने अपना नाम जुड़वाया है, उसका नाम नहीं जुड़ पाये। इसके लिए तीसरी कैटेगरी, जो पूरे देश के अन्दर है, उसमें ग्रेडिंग करना कि किस ग्रेड के आधार पर उसके पूरे

माक्स हैं कि इस आधार पर इनका नाम गरीबी की रेखा की सूची में जुड़े, जो आपने जानना चाहा, सारे लोगों के मन में यह बात है और हम लोग भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि जिस समय पिछली वाली गरीबी की रेखा की गणना हुई थी, कहीं न कहीं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, जो राज्य सरकारों को दी गई थी, उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। हम समझते हैं कि जब सब राज्यों और सारे मंत्रालयों से सुझाव और सहमति आ जाएगी, तब पूरे देश में जो बहुत बड़ी चिन्ता है कि पात्र आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसे बीपीएल का लाभ मिले, तो यह समस्या निश्चित रूप से बहुत हद तक दूर हो जाएगी।



(Q. No. 351)

श्री राकेश सचान : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगारों की कमी आई है। मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में 12 प्रदेशों को सूखाग्रस्त माना है जिसमें उत्तर प्रदेश में भी प्रति परिवार औसतन श्रमदिवस 2008-09 में 31 दिन कार्य मिला है और 2009-10 में 46 दिन कार्य मिला है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मिनिसस सौ दिन काम देने की सरकार की योजना है, वहां इन्होंने माना है कि 46 दिन काम मिला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी प्रश्न पूछिए। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान : मैं कहना चाहता हूं कि आपने सौ दिन में से 46 दिन काम दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र हैं, क्या आप आगे उनमें सौ दिन को बढ़ाकर डेढ़ सौ या दो सौ दिन अनिवार्य रूप से करेंगे?

श्री प्रदीप जैन : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिन राज्यों में सूखा पड़ा है, उन राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, उसके लिए इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, इससे हर मांगने वाले परिवार को काम मिल सकता है। लेकिन दिन बढ़ाने की जो बात कही गई है, हम सम्मानित सदस्यों से एक और आग्रह करेंगे कि यह इस सदी का सबसे बड़ा एक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा सैक्शनस नहीं हैं इनमें 34 धाराएं हैं। उन धाराओं के माध्यम से, चाहे हम किसी भी दल के हों, लेकिन अपने गांवों के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार पहुंचा सकते हैं। माननीय सदस्य इस एक्ट का अध्ययन जरूर करें।

यह डिमांड ओरिएन्टेड है। गांव में जितनी आवश्यकता होगी, वह जिले तक जाएगी, जिला पंचायत तक जाएगी, फिर राज्य में आएगी, राज्य से भारत सरकार में आएगी। हमारे पास जितनी मांग आती है, हम उसे पूरा करते हैं। उसे ज्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने की कोशिश रहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा काम मिले। अभी किसी भी राज्य में सौ दिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पिछले वर्ष तक पूरे भारत में केवल 16 फीसदी लोग ऐसे थे जिन्होंने सौ दिन का रोजगार प्राप्त किया था और ऐसे 65 लाख परिवार थे। हम समझते हैं कि जब लोग 46 दिन ही रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे अभी आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के 74 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। वे समझते हैं कि हम देश के सबसे बड़े मंदिर में जाकर विकास की कुछ योजनाएं लाएंगे। जब भारत सरकार के इस मंदिर से इतनी बड़ी योजना गई, तो हम चाहते थे कि वे गांवों में जाकर लोगों को मोटिवेट करें ताकि लोग गांवों से पलायन नहीं करें और इस योजना के माध्यम से रोजगार लें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना पूरक प्रश्न जल्दी पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि सौ दिन काम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने सीधा प्रश्न किया था कि आज नरेगा का बहुत सारा बजट जिलों में पड़ा हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान : उनमें पक्के कार्यों का जो 60:40 का रेशियो है, उसे बढ़ा दीजिए।...(व्यवधान) उसमें अल्प किसानों की रुपाई, मेढबंदी को जोड़ दीजिए जिससे सारा पैसा खर्च किया जा सके।...(व्यवधान)

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर बहुत संक्षेप में दीजिए।

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे एक्ट से ... (व्यवधान)

श्री राकेश सचान : मंत्री जी, आप सीधा जवाब दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन: सीधा जवाब है कि यह एक एक्ट है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसा न कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन: हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य इस एक्ट को पढ़ें, इसकी प्रस्तावना को पढ़ें। इसमें अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिले। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर दे दीजिए।



श्री प्रदीप जैन : क्योंकि पहला मुख्य काम यह है कि जो परिवार काम चाहते हैं, उन्हें हम काम दें। पक्का कार्य नहीं, बल्कि ऐसा कार्य जिस कार्य के माध्यम से अकुशल श्रमिकों को काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। यह इस एक्ट की मूल भावना है। इसमें पक्के कार्य के लिए हमारा 40 परसेंट का प्रावधान है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

12.01 hrs.**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1270/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Dock Labour Board, Hyderabad, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Dock Labour Board, Hyderabad, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1271/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1272/15/09)

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2008-2009, alongwith Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1273/15/09)
- (5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1274/15/09)
- (6) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1275/15/09)
- (7) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1276/15/09)
- (8) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2008-2009, alongwith Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1277/15/09)

- (9) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1278/15/09)

- (10) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2008-2009 alongwith Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1279/15/09)

- (11) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1280/15/09)

- (12) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Tuticorin Port Trust, Tuticorin, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tuticorin Port Trust, Tuticorin, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1281/15/09)

- (13) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1282/15/09)
- (14) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1276/15/09)
- (15) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1278/15/09)
- (16) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1279/15/09)
- (17) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1273/15/09)
- (18) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1280/15/09)
- (19) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1275/15/09)
- (20) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2008-2009.
- (Placed in Library, See No. LT 1277/15/09)
- (21) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust (Pension Fund Trust), Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Mumbai Port Trust (Pension Fund Trust), Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1283/15/09)

(22) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1284/15/09)

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1285/15/09)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): Madam, on behalf of my colleague, Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1286/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1287/15/09)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1288/15/09)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1289/15/09)

(c) (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1290/15/09)

(4) A copy of the Newsprint Control (Amendment) Order, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 2957(E) in Gazette of India dated the 20th November, 2009 under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(Placed in Library, See No. LT 1291/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1292/15/09)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Agricultural and Processed Food Products Development Authority, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1293/15/09)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1294/15/09)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1295/15/09)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1296/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1297/15/09)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 1298/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT): Madam, on behalf of my colleague, Shri Gurudas Kamat, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1299/15/09)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bangalore, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the ITI Limited, Bangalore, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1300/15/09)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the ITI Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 1301/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Apprenticeship (Third Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 736(E) in Gazette of India dated the 9th October, 2009 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 1302/15/09)

(2) A copy of the Notification No. G.S.R. 737(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 9th October, 2009, specifying the State Council for Technical Education, mentioned therein, in respect of the Trade Test or Examination with the Trades or subjects mentioned in the notification, issued under Section 2 of the Apprentices Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 1303/15/09)

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): Madam, on behalf of my colleague, Shri Mukul Roy, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Review by the Government of the working of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2008-2009.

- (2) Annual Report of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1304/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, on behalf of my colleague, Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year 2007, under Section 15A of the Protection of Civil Rights Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 1305/15/09)

- (2) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2007, under Section 21 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

(Placed in Library, See No. LT 1306/15/09)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2008-2009.
- (ii) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1307/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1308/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the SAMEER (Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research), Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the SAMEER (Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research), Mumbai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1309/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1310/15/09)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of the Section 87 of the Information Technology Act, 2000:-

(i) The Cyber Regulations Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer)

Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 95(E) in Gazette of India dated the 16th February, 2009.

- (ii) The Cyber Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 778(E) Gazette of India dated the 27th October, 2009.
- (iii) The Cyber Appellate Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Chairperson and Members) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 779(E) Gazette of India dated the 27th October, 2009.
- (iv) The Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 780(E) Gazette of India dated the 27th October, 2009.
- (v) The Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 781(E) Gazette of India dated the 27th October, 2009.
- (vi) The Information Technology (Procedure and Safeguards for Monitoring and Collecting Traffic Data or Information) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 782(E) Gazette of India dated the 27th October, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 1311/15/09)

- (5) A copy of the Notification No. S.O. 2689 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 27th October, 2009 appointing the 27th day of October, 2009 as the date on which the provisions of the Information Technology (Amendment) Act, 2008 shall come into force issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 1312/15/09)

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Indigenisation of Defence Production – Public and Private Partnership' pertaining to the Ministry of Defence.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): With your permission, Madam, I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Indigenisation of Defence Production – Public Private Partnership, pertaining to the Ministry of Defence.

Hon. Speaker Madam, the 33rd Report of the Standing Committee on Defence (Fourteenth Lok Sabha) relates to 'Indigenisation of Defence Production – Public Private Partnership'. The 33rd Report was presented to Lok Sabha on 24.02.2009.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the 33rd Report were sent to the Standing Committee on Defence on 30.10.2009.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in their 33rd Report is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that these may be considered as read.

(Placed in Library, See No. LT 1313/15/09)

12.03½ hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

**Agricultural and Processed Food Products Export
Development Authority**

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): Madam, I beg to move the following:

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to other provisions of the said Act.”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to other provisions of the said Act.”

The motion was adopted.

12.04 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

Situation arising out rapid increase in cases of Encephalitis in the country particularly in Eastern Uttar Pradesh and steps taken by the Government in this regard

YOGI ADITYA NATH (GORAKHPUR): Madam, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

“Situation arising out of rapid increase in cases of Encephalitis in the country, particularly in Eastern Uttar Pradesh and steps taken by the Government in this regard.”

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, it is a long statement. Would you like to read out or would you like to lay it on the Table?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Madam, I leave it to the House and your instructions.

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, हम मंत्री जी का स्टेटमेंट सभा पटल पर रख देते हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): ठीक है।

*SHRI DINESH TRIVEDI : Brain fever due to Japanese Encephalitis (JE) is an outbreak-prone viral infection having cyclic trends with seasonal phenomenon. Mostly children below 15 years are affected. JE is reported mainly from the areas where paddy cultivation and pig rearing are being practised because the vector (mosquito) breeds in paddy fields and the virus of Japanese Encephalitis maintains its natural cycle in pigs or birds. Man is an accidental host and does not play a role in JE transmission. The outbreaks occur where there is close interaction between these animals and human beings. The mosquitoes are outdoor resters and, therefore, vector control measures such as indoor residual spray are not very effective and hence not recommended.

* Speech was laid on the Table.

During 2009, up to 7th December, 4,185 Acute Encephalitis Syndrome (AES) cases including Japanese Encephalitis (JE) cases and 666 deaths have been reported from 11 JE endemic States in the country. Out of these cases and deaths, 2,996 cases and 545 deaths have been reported from Uttar Pradesh alone. In Uttar Pradesh, circulation of non JE viruses like enteroviruses also account for occurrence of a large number of encephalitis cases and deaths.

While there is no specific treatment for the disease, early symptomatic management is important. In case of JE and other viral encephalitis, the management of the critically ill children is directed at minimizing risk of deaths and complications. However, for prevention of the disease, various public health measures such as better sanitation & hygiene, protective clothing and keeping away the reservoirs of JE (especially pigs) from human dwellings are advocated.

The main components of strategy under National Vector Borne Disease Control Programme towards prevention and control of Japanese Encephalitis in the country are :

- a) Vaccination
- b) Case management
- c) Disease and vector surveillance
- d) Laboratory diagnosis through sentinel sites
- e) Capacity building

Under Universal Immunization Programme of Ministry of Health & Family Welfare, JE vaccination campaign was started in 2006 to vaccinate the children between 1-15 years of age in the States of Uttar Pradesh, Assam, Karnataka and West Bengal. Since then, 80 districts in 11 States, including 34 districts of Uttar Pradesh have been covered under vaccination campaigns in Uttar Pradesh are given in enclosed Statement. Vaccination campaign is currently Government of India in 10 more districts of the country, and 19 more districts are planned to be covered in 2010. JE vaccination has been incorporated in the routine immunization programme in those districts where the vaccination campaigns were completed during 2006 to 2008 – including 27 districts of Uttar Pradesh.

Government of India, is according high priority to prevention and control of Acute Encephalitis Syndrome (AES)/Japanese Encephalitis (JE). AES/JE

situation is being closely monitored at a senior level by Special Director General of Health Services and Director, National Centre for Disease Control (NCDC). Comprehensive guidelines to deal with JE and AES (enteroviruses) have been prepared and circulated to the States.

Further, for proper surveillance and laboratory diagnosis of JE, a total of 51 sentinel surveillance sites have been identified in the JE endemic states. 109 JE test kits during 2008, and 113 JE kits in 2009 have been provided to all the JE endemic States for lab diagnosis, by Directorate of NVBDCP for surveillance purposes. Out of 113 test kits provided in 2009, 66 have been provided to Uttar Pradesh. In addition, 13 apex referral laboratories have been identified across the country to assist in finding out etiological (disease causing) agents.

Funds to the tune of Rs. 4.37 crore and Rs. 2.90 crore were allocated during 2008-09 and 2009-10 respectively, within overall budget of National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) for various activities under JE.

Under JE immunization programme, an amount of Rs. 43.54 crore was spent in 2008-09 and Rs. 51.61 crore has been allocated in 2009-10.

As Uttar Pradesh contributes 80% of AES/JE cases as well as deaths, the following additional inputs have been provided in the State:

- (i) A field unit of National Institute of Virology (NIV), Pune at Gorakhpur has been set up for laboratory diagnosis of AES for viral etiology and for developing guidelines and strategies for control of JE/AES agents in the area and a total expenditure of about Rs. 10 crore has been incurred.
- (ii) A Sub-office of the Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has been set up at Gorakhpur to coordinate with districts and State health authorities for surveillance, field visits and improvement of prevention and control of the disease and close monitoring at Gorakhpur itself for Japanese Encephalitis.
- (iii) For the creation of additional facilities for the diagnosis and management of JE/AES cases, Government of India, has provided an

amount of Rs. 5.88 crore to BRD Medical College, Gorakhpur, for upgradation of JE epidemic ward in the College. Besides, a Vector Borne Disease Surveillance Unit (VBDSU) has been set up at BRD Medical College, Gorakhpur, for carrying out sero epidemiological and entomological studies in the field and for close coordination with district authorities.

STATEMENT**JE VACCINATION IN UTTAR PRADESH**

Year	District	Target Children (1-15 yrs)	Children Immunized	% Coverage
2006				
1.	Gorakhpur	1390307	1349047	97.03
2.	Deoria	1074219	1072683	99.86
3.	Kushinagar	1095877	1085055	99.01
4.	Maharajganj	776500	806996	103.93
5.	Kheri	1183481	1218364	102.95
6.	Sant Kabir Nagar	542062	511417	94.35
7.	Siddharth Nagar	775934	792944	102.19
2007				
1.	Ambedkar Nagar	764068	741354	97.03
2.	Behraich	990327	992254	100.19
3.	Balrampur	623020	622963	99.99
4.	Barabanki	1074154	1063815	99.04
5.	Basti	774322	750262	96.89
6.	Gonda	1040501	1045957	100.52
7.	Mau	719800	691341	96.05
8.	Raibareilly	1058987	1029154	97.18
9.	Saharanpur	1056185	923246	87.41
10.	Sitapur	1385606	1312326	94.71
11.	Sravasti	331903	326485	98.37
2008				
1.	Azamgarh	1400000	1329471	94.96
2.	Balia	1067337	1040948	97.53
3.	Bareilly	1337392	1399552	104.65
4.	Faizabad	649634	641736	98.78
5.	Hardoi	1270372	1296593	102.06
6.	Lucknow	1506695	1477852	98.09
7.	Muzzafarnagar	1340232	1243694	92.80
8.	Sultanpur	1234068	1229295	99.61
9.	Unnao	1030843	1049252	101.79
2009				
1.	Allahabad	1953904	1673687	85.66
2.	Pratapgarh	1028331	984230	95.71
3.	Kanpur Nagar	1660800	1227209	73.89
4.	Shajjahanpur	953078	887267	93.09
5.	Fatehpur	913749	681420	74.57
6.	Jaunpur	1546931	1370141	88.57
7.	Ghazipur	1202355	1007125	83.76

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, अब आप बोलिये।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, पिछले ग्यारह वर्षों से देश और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक महामारी की ओर मैं सदन का ध्यान लगातार आकर्षित करता रहा हूँ। इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की स्थिति राजा के उस हाथी की तरह है जो वास्तव में मर चुका है, मगर राजा की नाराजगी के डर से सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। स्वस्थ जीवन जीने की आजादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को है या नहीं? साल दर साल मासूमों की जो मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वे प्रदेश और केन्द्र, दोनों सरकारों की उपेक्षा को प्रदर्शित करती हैं। पिछले 31 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2000 मासूमों की मौत मस्तिष्क ज्वर से होती है, चाहे वह जेई हो, बीई या अब एईएस हो। अब तक इसके लिए कोई ठोस दीर्घकालिक राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार ने लागू नहीं किया है। पिछले 31 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हुई हैं और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हुए हैं। यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जनपदों - गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया और इनसे लगे हुए अन्य पांच-सात जनपदों में फैली है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 7 दिसंबर, 2009 तक, इस बार इस बीमारी के 4185 मामले आए हैं, जिनमें 666 मौतें हुई हैं। यह केवल इस बार की स्थिति नहीं है। पिछले 31 वर्षों में इस बीमारी से होने वाली मौतों के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। हर वर्ष मौतें हुई हैं। वर्ष 2005 में लगभग 1500 मौतें हुई हैं। माननीय मंत्री जी का मेरे पास जवाब आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्ष 2005 में 6061 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 1500 की मौत हुई, वर्ष 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए जिनमें से 528 की मौत हुई। वर्ष 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए जिनमें से 645 की मौत हुई। वर्ष 2008 में 3012 मरीज भर्ती हुए जिनमें 537 की मौत हुई। कल तक बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज के जो आंकड़े हैं, 2516 मरीज भर्ती हुए हैं जिनमें से 516 की मौत हो चुकी है।

लोक सभा का कोई भी सेशन नहीं होगा जब मैंने इस बीमारी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित न किया हो। एन.डी.ए. सरकार के समय जब सुषमा जी स्वास्थ्य मंत्री थीं, उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे आग्रह किया था और वैक्सीनेशन उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई थी। एन.डी.ए. सरकार जाने के बाद वह कार्यक्रम वहीं तक सीमित रह गया। माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि हम लोगों ने टीकाकरण कराया है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? यह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी स्वयं कहती है कि एक से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कम से कम दो या तीन टीके इस बीमारी के लगने चाहिए।

लेकिन 2005 में जो टीके आए होंगे, 2006 में वहां पहुंचे। वे टीके लगाए गए, मई में, जबकि जनवरी या फरवरी में लगाने चाहिए, क्योंकि तीन से चार महीने इसको एक्टीवेट होने में लगते हैं। मई-जून में टीके लगे और एक टीका लगा, उसके बाद दूसरा नहीं लगाया गया। मंत्री जी ने मुझे जवाब दे दिया कि उत्तर प्रदेश में 34 जिलों में हम लोगों ने टीके लगाए हैं। लेकिन वह टीका एक ही बार लगा है। वर्ष 2006 में टीके गोरखपुर और उसके आसपास पांच-छः जिलों में लगे थे। उस बार जे.ई. के मरीज कम आए थे। उस समय जापानी इन्सेफेलाइटिस के कम आए थे, काक्स की वायरस के इन्सेफेलाइटिस के मरीज ज्यादा आए थे, क्योंकि प्रदूषित जल से जो वायरस होता है, जो इन्सेफेलाइटिस होता है, उससे ज्यादा मौतें हुई थीं। उस समय जे.ई. के 72 पोजिटिव मरीज आए थे। लेकिन दोबारा टीका न लगने के कारण 2007 में फिर 226 मरीज जे.ई. पोजिटिव के आए, 2008 में 156 मरीज जे.ई. पोजिटिव के आए और 2009 में 345 मरीज अब तक जे.ई. पोजिटिव के गोरखपुर में आ चुके हैं। जे.ई. के केसेज की वहां लगातार बढ़ती जाती रही है। सरकार ने केवल अब तक उस बीमारी को उपचार तक ही सीमित करने का काम किया है, उस बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करने, उसके उन्मूलन के लिए ईमानदारी से कोई भी पहल नहीं की है। नेशनल वैक्टर बोर्ड डिस्सेज कंट्रोल प्रोग्राम 2007 के तहत भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जे.ई. देश के 21 प्रदेशों में है। लेकिन अब तक इन्सेफेलाइटिस को उसके तहत नहीं लिया गया। अभी तक कहीं भी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 31 वर्षों से इस बीमारी से लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं। घेघा है, फाइलेरिया है आदि बीमारियों को नेशनल वैक्टर बोर्ड डिस्सेज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लिया गया है, लेकिन इन्सेफेलाइटिस को अब तक नहीं लिया गया। यही नहीं, एन.आर.एच.एम. के तहत उत्तर प्रदेश को धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है, बीआरडी मेडिकल कालेज में मरीजों को दवा नहीं मिली। वहां दवा के अभाव में मरीजों ने दम तोड़ा है। एरआरएचएम के तहत लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि वहां से वापस आ जाती है। अगर उसका एक भी हिस्सा जे.ई. बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार ने लगाया होता, तो सम्भवतः यह नहीं होता।

महोदया, यही नहीं, 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश और केन्द्र दोनों सरकारों को एक निदेश जारी किया था और कहा था कि जापानी इन्सेफेलाइटिस से जो वहां पर मौतें हो रही हैं, उन मौतों के बारे में सेंटर आफ एक्सीलेंस फार जे.ई. को गोरखपुर में स्थापित किया जाए। वहां पर एक बॉरोलॉजी सेंटर 2005 के बाद स्थापित तो हुआ, लेकिन वह केवल एक उच्च क्षमता का पैथोलॉजी क्लिनिक जांच तक ही सीमित रह गया है। आज भी वहां पर उस प्रकार के शोध नहीं हो पाते हैं। आश्चर्यजनक तो यह है कि 31 वर्षों में कौन सा वह वायरस है, जो यहां के मासूमों को लील रहा है, वह जे.ई. है, वी.ई. है, ए.ई.एस. है, क्रॉक्सेकी है, इसका पता न तो अब तक सरकार लगा पाई है, न

एनआईवी पुणे उसका पता लगा पाई है और गोरखपुर में जो वारोलॉजी सेंटर स्थापित भी किया गया है, वह भी पता नहीं लगा पाया है। वह सेंटर केवल मात्र हाथी के दांत दिखाने वाले जैसी कहावत को ही चरितार्थ करता है। गोरखपुर में उस सेंटर को खोलने का कोई लाभ नहीं हुआ है। जब सेंटर आफ एक्सीलेंस फार जे.ई. स्थापित करने की बात आई, तो सर्वाधिक मरीज गोरखपुर में हैं, ईस्टर्न यूपी में हैं, उसे स्थापित कर दिया गया एसजीपीजीआई लखनऊ में, गोरखपुर में स्थापित नहीं किया। जबकि वह गोरखपुर में स्थापित होना चाहिए था। इसलिए 27 दिसम्बर, 2007 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का शोध केन्द्र गोरखपुर में स्थापित करने के बारे में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई गोरखपुर में स्थापित करेगी? क्या सरकार वायरस की पहचान के सही कारक का पता लगाने के लिए तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बचाने की किसी कार्य योजना को घोषित करेगी? वर्ष 2008 में सीडीसी एटलांटा की एक टीम गोरखपुर आई थी। उस टीम ने गोरखपुर में जल के नमूने लिए, रक्त के नमूने लिए, सीएसएफ के नमूने लिए, सीरम के नमूने लिए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक यह पता नहीं चला कि उन नमूनों का क्या हुआ? अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है, यह पता नहीं चल पाया है कि वहां के मासूमों को हुआ क्या है, किस बीमारी से ये लोग मर रहे हैं? उस बीमारी का अब तक पता नहीं लग पाया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बर्ड-फ्लू के मामले में सरकार ने बड़ा प्रचार-प्रसार किया, स्वाइन फ्लू के मामले में भी बहुत प्रचार किया, लेकिन जापानी इन्सैफलाइटिस या मस्तिष्क जवर से जितनी मौतें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश में हुई हैं, उसकी 10 प्रतिशत मौतें भी स्वाइन-फ्लू या बर्ड-फ्लू से नहीं हुई होंगी। लेकिन जो प्रचार मीडिया के माध्यम से इस बीमारी का होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हुआ है। इन्सैफलाइटिस से मृत्यु-दर 30 से 50 प्रतिशत है, जबकि स्वाइन-फ्लू से मौत की दर 0.2 से 0.5 प्रतिशत है। लेकिन अब तक सरकार ने उसके बारे में कोई स्वास्थ्य शिक्षा या जनजागरण का कार्यक्रम या अभियान या प्रशिक्षण के किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। वहां पर उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कुछ चीजें स्टेटमेंट में बताई हैं। आपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है कि पूरे देश में जितनी मौतें हो रही हैं उनमें से 80 प्रतिशत मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी, पूणे की तर्ज पर एक लेबोरेट्री आपने गोरखपुर में खोल दी है लेकिन वहां पैथॉलॉजी लैब के अतिरिक्त कोई जांच नहीं हो रही है। एक वायरलॉजिस्ट है लेकिन संसाधन नहीं है, स्टॉफ नहीं है।

आपने एक रीजनल ऑफिस गोरखपुर में खोलने की बात कही है, लेकिन वह रीजनल ऑफिस कहां काम कर रहा है, यह हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। मैं प्रति सप्ताह बीआरडी मेडीकल कॉलेज

में जाकर मरीजों का हाल पूछता हूँ। वहां उस ऑफिस का भी कोई अता-पता नहीं है। यही नहीं, जो आपने बीआरडी मेडीकल कॉलिज के बारे में कहा कि वैक्टर-बोर्न डिप्थीरिया सर्विलांस यूनिट आपने गोरखपुर में स्थापित किया है वह यूनिट है कहां पर? हम यह जानना चाहते हैं कि यह यूनिट गोरखपुर में है या किसी अन्य जगह आपने स्थापित कर दिया है। हम यह मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर में ये सब चीजें होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे गिनी-पिग्स हैं, जिनको टैस्ट-एनीमल के रूप में आप प्रयोग करते रहेंगे या इस घातक महामारी के उन्मूलन की दिशा में सरकार किसी कार्य योजना पर कार्य करके, जो माननीय उच्च-न्यायालय ने गोरखपुर के बारे में स्पष्ट आदेश दिया था, आदेश की प्रति मेरे पास है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर जेई के खोलने के बारे में आदेश दिया था, जिसकी फंडिंग प्रदेश और केन्द्र दोनों सरकारें करेंगी और संचालन करेंगी। वह या तो ऐसी पीजीआई से संबंधित हो या फिर गोरखपुर में ऑटोनॉमिक बॉडी के रूप में कार्य करे। 90 प्रतिशत मरीज गोरखपुर या आस-पास के 5-7 जिलों से हैं या बिहार और नेपाल से गोरखपुर में आते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर जेई को गोरखपुर में स्थापित करने की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं और साथ ही जो बच्चे इस बीमारी से विकलांग हो जाते हैं।

महोदया, जब आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री थीं, तब मैं आपसे भी मिला था और दो-तीन बार अनुरोध किया था कि बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 31 वर्षों में पचास हजार से अधिक बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हैं। उनकी असमय मौत होती है। मानव जिंदगी के रूप में रेंगती हुई जिंदगी हम वहां देखते हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है। उन बच्चों का मुफ्त उपचार, उनका पुनर्वास, क्योंकि सभी गरीब बच्चे हैं, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जिन क्षेत्रों में यह बीमारी होती है, वह पिछड़ा है। गरीब होने के कारण उनको यह सजा मिल रही है। इसलिए सरकार के कानों तक न उनकी आवाज पड़ती है और न उनकी आवाज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचती है कि जो उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सकें। इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। इसलिए उनके मुफ्त में उपचार, बीमारी के उन्मूलन की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, वायरोलोजी सेन्टर को उच्चकृत करने के लिए, सेंटर आफ एक्सीलेन्स खोलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? वह बच्चे, जो विकलांग हो जाते हैं, उनके पुनर्वास और मुआवजे के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से जापानी इनसैफलाइटिस, एक्यूट इनसीफलाइटिस सिंड्रोम और कॉक्सी के संबंध में काफी विस्तार से बातें कही हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि केवल गोरखपुर

मेडीकल कॉलेज की एक छत के नीचे 516 बच्चों की मौत इस सत्र में हुई है, जापानी इनसीफ्लाइटिस के कारण, आप इसकी गंभीरता को सोचती है। आज पूरे देश में स्वाइन फ्लू से 500 लोगों के मरने की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में 516 बच्चों की मौत रिकार्ड में दर्ज की गयी है। मैं उन तमाम जनपदों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात-आठ जनपदों में यह महामारी गंभीर रूप ले चुकी है, इसमें बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, और पैडरोना में इसके कारण हजारों बच्चे मर जाते हैं। यदि वे उपचार से बच भी जाते हैं, तो मैन्टली रिटार्डेड हो जाते हैं और विकलांग हो जाते हैं। पहले तो गांव में गरीब होना ही अभिशाप है और दूसरी तरफ उसका बच्चा विकलांग हो जाए तो उस अभिशाप के साथ सारा जीवन व्यतीत करना उसके लिए बोज़ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह परिवार उस लाचार बच्चे के साथ कैसे अपने घर की गृहस्थी चला सकता है।

मैं इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जापानी इनसीफ्लाइटिस के लिए टीकाकरण करने हेतु 43.54 करोड़ रुपया दिया है या आपने एक सेंटर एनआईबी खोलने के लिए 10 करोड़ दिया है। इसकी वास्तविकता क्या है कि आज तक पिछले 31 वर्षों में अगर इसके वायरस का पता न लगा हो, केवल यह कहा जाए कि जहां पैडी का कल्टीवेशन होता है या जहां लोगों की बस्तियों के साथ सुअरबाड़े हों, उसके कारण जापानी इनसीफ्लाइटिस बीमारी के कारण सैंकड़ों और हजारों की संख्या में लोग मरते हैं। बाबा राघवदास मेडिकल कालेज की संख्या, इसी तरह से पूर्वांचल के सभी जनपदों के अस्पतालों में दिन दो-चार बच्चे रोज़ मरते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 15 वर्षों तक के बच्चे ही इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो बच्चे अपने माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा हैं, जो देश के लिए कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और शिखर तक जा सकते हैं, उनकी जिंदगी इस एक बीमारी के कारण मौत के मुंह में जा रही है। उन जनपदों में आज तक इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आज तक इसका कोई उपचार भी नहीं है, न वायरस का पता लगा है, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वह भी प्रिवेंटिव है, यदि इम्युनाइजेशन किया जाए। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उन्होंने 34 जनपदों में किया है। इन जनपदों में जेईएस, एईएस या कॉक्सी हो, जो हर साल फैलती हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, खीरी, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006 में यहां पर इम्युनाइजेशन का काम हुआ था। उसके बाद से पिछले चार सालों से वहां नहीं हुआ है। इसलिए इस वैक्सीन का जो प्रिवेंटिव है, इसका एक साल तक प्रभाव रहता है, मैक्सिमम दो साल तक रहता है और इसीलिए इस महामारी को हम आज तक रोकने का...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपना प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैडम, मैं केवल यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बात हमारे माननीय सदस्य ने अभी कही है कि अगर इसका प्रकोप ऐसे तो तमाम प्रदेश में है और मैं समझता हूँ कि आंध्र असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जेईज हैं, ऐसे माना जाए तो 21 राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश के भी 34 जिलों में है। मैं उन मौत के आंकड़ों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन 95 प्रतिशत जेईज या एईज का प्रकोप उ.प्र. के ही 34 जिलों में है। जितनी मौतें हुई हैं, उनमें खुद स्वीकार किया गया है कि 655 में से 544 मौत अगर एक साल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी उ.प्र. में हुई हैं तो चाहे नेशनल ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेईज, एईज के लिए है, मैं समझता हूँ कि वह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही बनना चाहिए । आज अगर रिसर्च में जो भी हाइकोर्ट का उल्लेख किया गया है तो क्या केन्द्र सरकार एक अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाने की तरफ जिससे हम वायरस के कारणों का पता लगा सकें, इसके उपचार के संबंध में हम कोई उपाय कर सकें, उसके शोध के लिए, इम्युनाइजेशन के लिए प्रत्येक वर्ष कुछ इस तरह से व्यवस्था करें कि प्रत्येक वर्ष वहां के बच्चों, उन मासूमों को जिनकी चीख शायद यहां तक न आ पाती हो और केवल उनके परिवार और उनके घरों तक वह पीड़ा रहती हो, उस मर्म को समझकर क्या प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र में इम्युनाइजेशन का काम करेगी? इस संबंध में सरकार क्या उपाय करेगी? मैं यही मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ।

SHRI DINESH TRIVEDI : Thank you very much Madam Speaker. I am extremely grateful to hon. Members for bringing to this august House this serious problem. I have gone through the various deliberations in the House. Very rightly, Yogi Aditya Nath has said about it. This is not for the first time that he has raised it. Shri Jagadambika Pal has also been raising this serious issue. Today, very elaborately, he has not only talked about the various aspects of the disease but - I am grateful to him— he has also talked about what could be the solutions.

To begin with, let me accept that this situation where children are dying is just not acceptable to us. I also must add that these are not just verbal statements which I am making, which are vague statements, that if it is not acceptable then what are we going to do about it. That is the question. The question is, we have a responsibility. If this country can deal with such a disease like H1N1, we are fighting with polio and we have seen lot of such diseases, Madam, in this country, the question here again is – if we have been able to deal with lot of other diseases in this country, why can we not deal with this menace where children are suffering and dying and lot of children who have become *apaheez*, who have become mentally also ill? It just cannot be acceptable in this modern society and in this modern India.

I can tell you very proudly that when I was going through the entire research to prepare myself for this Calling Attention, I myself was absolutely – and I have no hesitation in accepting in this House – quite surprised and sad as well. To begin with, I must tell you that we are duty-bound here to not only reduce but eradicate this dreadful disease from this country.

Madam, since this has been talked, discussed and deliberated so many times in this august House, I do not think I should be taking the precious time of the House going through lot of historical details. I have got so many papers with me.

Instead of that, because everybody is aware of it, if I tell you that it started in 1871, what the genesis is, how it came from Japan etc., I think I will be taking of lot of time of the House which, I personally feel, will not serve any purpose.



All these details are there with me. Any hon. Member who would want, I will be very happy to give it to him. But let me answer the specific details which have been enquired here, with your permission, Madam.

One specific question was on what kind of dosage we are talking about. There were discussions between multiple doses *versus* single dose. The ICMR has recommended for single dose and they have done, I am sure, with lot of research. The vaccination is followed by incorporating it in the routine immunisation programme of the children. Earlier, it was not a part of the routine programme. So, this is one more addition that we have done. We are yet to see what is going to be the result.

Another very specific question was asked about the NIV, Pune as to whether they are going to have a branch in Gorakhpur. I am very happy to make a statement here that NIV, Pune's branch at Gorakhpur has already been set up in compliance with the order of the hon. High Court of Allahabad and Rs. 10 crore have already been spent on this and BRD Medical College is also being upgraded by spending Rs. 5.8 crore.

As we know that this disease is coming on from 1871, it is not a new disease. But it takes years together to find out an antidote to a virus. Although our scientists are working day and night, but it takes years to find an antidote to any virus. The same was the case with even H1N1 virus when it came. The vaccine has already come, but scientists all over the world are perplexed as to how this virus is going to mutate.

As far as this JE is concerned, we have a problem because there are some other diseases which are coming into being, as rightly mentioned by the hon. Member, which have the same symptoms, but may not be JE. It could be some other disease, but the symptoms could be the same. Unfortunately, here the host of this disease is a pig and human beings just become the target of it. It is not being transmitted from human to human; it just comes as the mosquitoes are bred during paddy cultivation. We have no choice. The paddy has to be there. When paddy is there, it is bound to have water and when water collection is there, mosquitoes are

going to be there. Now, we had a choice of pesticides. Then, excess use of pesticides is also bad for health. So, we have to deal with a very complex problem.

Now added to that complex problem, these mosquitoes go and obviously, they do not see who is an animal and who is a human being. It comes by biting a pig and the disease, as the research says, is in the pig and it spreads from there. When the mosquitoes also bite the bird, they can get the virus from them. Again, once they go and bite human beings, especially the children because immunity in children is very low, the disease spreads. Once this happens, the disease spreads not from human to human but, as rightly mentioned, from pig or bird to the children. This disease is not inside the house in the sense that mosquitoes are usually found outside and the kids obviously go out to play. All I am trying to suggest here is that there is a huge component of hygiene.

Hygiene is directly related to the standard of living. We had done our research as to why this disease is so prevalent in this particular area of Gorakhpur in Uttar Pradesh, and we found that there is a cluster of villages where piggery is very popular. They have to live; that is the way of life; and that is their livelihood. But the problem is that the pigs and the human beings live together almost in the same house. There is hardly any distance between the piggery and where the villagers live. In other words, they are almost neighbours or sometimes they live in the same house. Therefore, we have to give a two-fold treatment. Firstly, we have got to see as to how we can clean the area. We were looking at the figures, and I was pleasantly surprised that in Andhra Pradesh also they had similar problem. So, in addition to vaccination, they also ensured cleanliness.

This again is poverty-borne, and the hon. Member has rightly said गरीबी एक श्राप बन गई है और उस गरीबी की वजह से लोग अपना घर नहीं बदल सकते, जैसे हम लोग शहर में बदल सकते हैं कि यह इलाका गंदा हो गया है, चलिये कहीं और जाकर रहते हैं। लेकिन गरीब वैसा नहीं कर सकते और वे जो सूअर का व्यापार करते हैं, वही उनका रोजगार है। उसी व्यापार के जरिये उन्हें जीना है। हमें यह देखना है कि किस प्रकार से यहां कलीनलीनैस हाईजीन हो। यह कैसे किया जाए, वह एक सोशल प्रॉब्लम है। उसके बारे में I will seek the help of all the hon. Members in this House because if we have to go out there and we have got to do whatever is required, then again the role of the Centre and the role of the States also comes in. As far as the Centre is concerned and by no means I am trying to shirk the responsibility to the States, but the fact is that the States definitely have a role to play. I have with me the details as to who plays what role, but again I think that it is not going to serve any purpose by my talking elaborately on whose role is what because everybody is enlightened here and everybody understands it. The fact is that this disease needs to be, as I said, eradicated.

I have a pleasant duty to perform here by announcing in reaction to the hon. Member's comments, observations and suggestions. I am very pleased, and I had a choice in front of me while I was doing the research and the choice was to rattle off a lot of figures and take a lot of time of the House or face the problem head-on; seek the cooperation of all the hon. Members of the House; take their suggestions; and announce a few concrete steps, which the hon. Members would also be pleased to listen. I have three concrete steps, which I would like to announce in this august House. Firstly, an Encephalitis Research Group will be established under ICMR to carry out more intensified research on non-Japanese Encephalitis (JE) virus contributing to the problems in eastern Uttar Pradesh. This is my first announcement. Why did I come to this conclusion? It is because the hon. Members have rightly mentioned that we do not even know whether it is JE or whether it is some water-borne virus. So, if we are going to give vaccine related to JE and at the end of the day we realise that children are not dying of JE, but they are dying of some other virus that shows symptoms similar to that of JE, then we

would be totally misled. Hence, I felt it important, and the hon. Members have also suggested that we must have a thorough research.

We must find out what is the real virus. I am absolutely certain that our scientists are capable of finding out which is this virus so that the treatment can be given accordingly. That is why this Special Research Group is going to be established. The job of this Special Research Group is going to be finding out which is this virus. Once we find out the virus, the remedy would be much more easier and would be direct.

Madam, announcement two that I would like to share with the House, with your permission, is that a Department of Physical, Medical Rehabilitation, which both the hon. Members of Parliament have just now mentioned, will be set up at BRD Medical College at Gorakhpur to address the problems of disabilities among children affected by AES and JE. As rightly mentioned, there are a lot of children, Madam, who are not treated after they are affected physically. Some of them become physically challenged. They also become mentally challenged. So, it is very important to have a separate area or wing, whatever name we want to give – we are calling it a separate Department – to deal with such children, which we are duty bound. I am very happy to announce that we are going to take that up immediately.

Announcement three, which is very rightly mentioned, if this is a social problem, it needs social solutions as well. What are the social solutions? It is making people aware. Illiteracy and poverty are two very hard couples, but they are couples. Wherever there is illiteracy, there is poverty; and wherever there is poverty, the diseases are the most. It is very important that we make people aware of it. So, the third thing which I am going to do, Madam, is that a special campaign for creating awareness about the importance of hygiene and sanitation in prevention and control of AES and JE in Eastern Uttar Pradesh will be launched. Here, Madam, I seek the support of all the Members of Parliament that we literally go house to house and take this up on a war-footing. During the elections, we have seen that we go house to house, then why can we not do it on this issue? I am not at all shirking our responsibility, but alone we cannot do much. We need the

support of everybody – of the hon. Members of Parliament, of the people in different areas of public service, be it NGOs or Governmental Departments. Here again, I would seek the support. Whatever we need to, we are going to do.

In conclusion, I will tell you that we are absolutely committed in the Government, and I give you my word here that I am going to visit personally to these areas and ensure that this disease is eradicated from the surface of Uttar Pradesh at the earliest. I thank once again both the hon. Members of Parliament for giving me this opportunity.

MADAM SPEAKER: Thank you, hon. Minister.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं समझता हूँ कि आज आपने यह कार्लिंग अटेंशन एडमिट करके और उत्तर प्रदेश के इन दोनों सांसदों ने इस सवाल को उठाकर और मंत्री जी से जो उत्तर मिला उससे इस प्रश्न के महत्व को हम कितना मानते हैं, इसे उभारा है। मैं बिल्कुल दंग रह गया हूँ कि हिन्दुस्तान में पिछले कुछ महीनों में रोज स्वाइन फ्लू की, H1N1 की कहीं कोई एक-आद घटना हुई तो वह बड़ी न्यूज बन जाती है कि वहां स्वाइन फ्लू के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। यहां पर एक प्रदेश में और उसमें भी एक क्षेत्र में 15 साल से कम उम्र के बच्चे मर जाएं और पहली बार उसका संसद में नोटिस लिया जाए, ये पहले बोल चुके हैं, लेकिन आज मंत्री जी ने भी उसे लिया, आपने कार्लिंग अटेंशन के रूप में लिया। मैं समझता हूँ कि इसका जितनी गंभीरता से मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उतनी ही गंभीरता से यह फॉलोअप होना चाहिए। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य एक स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं। उन माननीय सदस्य ने बहुत बड़ी सेवा की है, इसलिए उन्हें पूछने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो वैक्सीन वहां लगायी जा रही है, वहां आईसीएमआर के तहत एक ही लगेगा। मेरे पास उस कंपनी का रैपर है, जो यह वैक्सीन दे रही है। उसने कम से कम दो या तीन वैक्सीन देने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी को यह देना चाहूंगा और वे स्वयं इसे देख लें कि आखिर सही कौन है। वहां पर कम से कम पल्स पोलियो की तर्ज पर जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक इस बीमारी की रोकथाम नहीं हो पाएगी। गोरखपुर में जिस वायरलोजी सेंटर की बात आपने की है, मैंने पहले भी कहा कि गोरखपुर में एनआईवी पुणे की तर्ज पर एक लैब तो स्थापित हुई है, लेकिन वह केवल एक उच्च पैथोलॉजी के स्तर की है। वह एनआईवी पुणे की तर्ज पर उस वायरस का पता लगा सकेगी, यह नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : इसके लिए मंत्री जी बोल चुके हैं। अब आप इसे मत दोहराइए।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मैं उसे ही स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसका एक और पार्ट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई की स्थापना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही थी, आखिर वह एसजीपीजीआई में क्यों स्थापित होगा, गोरखपुर में क्यों नहीं? जब 80 प्रतिशत मरीज गोरखपुर और आसपास के जनपदों में हैं तो उसे गोरखपुर में स्थापित किया जाना चाहिए न कि एसजीपीजीआई लखनऊ में।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए।

SHRI DINESH TRIVEDI : I welcome the suggestion. I had told initially also that this is one problem we have to solve collectively. Any such suggestions which are going to be beneficial to get the disease eradicated, I welcome the hon. Members

of Parliament to come to my office or wherever they want, I am willing to discuss and take appropriate action.

MADAM SPEAKER: Please call them to your office and discuss.

12.46 hrs.

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND BILL, 2009*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY):
Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period of up to the 31st Day of December, 2010 and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2010 and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.


SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I introduce the Bill.



* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 14.12.2009

MADAM SPEAKER: Now we shall take up Special Mentions.

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Madam Speaker, I am grateful that you have accepted my notice. This enabled me to raise the issue of *Bundh* and hunger strike in the Darjeeling district and adjoining areas. I have three appeals to make. The first is obviously to the Government. The second is to the larger collectivity of the House. And the third, of course, will be to the Gorkha Jan Mukti Morcha. But, I will before that, make a very short preamble. My short preamble is: I agree with the distinguished and hon. Leader of the House, the Minister of Finance, that small States is not a matter of principle. It is administrative efficiency that is obtained by the separation of a larger entity into smaller entity. But the guiding principle is, of course, not just the smallness but the emotional oneness, the geographical unity, and separation that is inherent, if the emotional unity is not there. So far as Darjeeling district is concerned, even though I might be stating the obvious, to the hon. Leader of the House because to mention this to an experienced Minister who has many years of service to the country, but the reality is that Darjeeling is the one district in the whole country that adjoins three international boundaries and is near contiguous to the fourth.

I do not have to list them. It sits cheek by jowl with Sikkim. It is close to Chumbi Valley. It is sitting atop the Chicken Neck. It is barely a few kilometres from Tin Bigha. It is the guardian, Madam. The people of the Hill District of Darjeeling have been our soldiers for many centuries. They are valiant nationalists. They have given up their lives for India. They are currently, emotionally separated from the rest of the State of West Bengal. Geographically they are  distanced.

The appeal, therefore, that I am making to the Government is to please issue an appeal to the Gorkha Janmukti Morcha to withdraw their *bandh* and to give up the hunger strike; to continue with the talks which are due on the 21st of December. I commend and am grateful to the efficient and energetic the Home Minister who was good enough to give them time and met the delegation. This much to the Government, Madam.

My second appeal is to the larger collectivity of the middle of the House. Please recognise that what is needed is not passion. What is required is

compassion and understanding. This is not a separation from the State of West Bengal. If the people are separated, do whatever is necessary to bring them together.

I also appeal to the distinguished Leader of the Opposition, my former colleague with whom I have had the pleasure and benefit of sitting for three decades; I appeal to my former colleagues with whom I used to sit. I do not have to cite to you the manifesto that was in the party's programme, what the manifesto says. Please at least join in the appeal the House were to make. Give up the *bandh*, give up the hunger strike, join the talks on the 21st purposefully, and do not do anything to stop Highway No.31A which leads into Sikkim.

I have no doubt in my mind that an appeal of this kind, if it went out from the House, will have signal effect and the agitational mode of the demand will be set aside. This is the appeal I make, Madam. The substance of it is: इंसान की आवाज़ सुनो, इंसान की आवाज़ सुनकर उस पर क़दम उठाओ। They are the guardians of our borders. उनको अलग मत करो, इमोशनली उनको अलग मत करो।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Leader of the Opposition wants to say something. Please sit down.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मेरे साथी जसवंत सिंह जी ने मेरा उल्लेख किया है, इसलिए मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में जो कहा है, शाम को वहाँ से आया हुआ शिष्ट मण्डल मुझ से मिलने वाला है।

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I am from the State. Please listen to me for a minute. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: I do not have your notice. You should have given your notice.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, just one minute. I have no objection in making an appeal to the people there in Darjeeling to withdraw their agitation. I agree with that. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: If you want to associate yourself, say yes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am not associating. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: You have not given your notice. Please take your seat. You know whenever you give a notice I allow you to speak. But how do I allow you to speak, if you do not give a notice?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No indirect encouragement should be given for a separate State of Gorkhaland. I accept the appeal.

MADAM SPEAKER: All right.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Let the 'Zero Hour' go on.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

... *(Interruptions)*



MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of this House and also the Government to a very important issue relating to the national security of our country. David Headley, who now appears to be the prime conspirator and the perpetrator of the heinous crime of 26/11, is in the custody of FBI in the United States. Since he is the one who conspired and guided 26/11 attack, India has every right to interrogate him. But the United States authorities

* Not recorded

have strangely denied our request to interrogate this prime accused in the 26/11 attack on Mumbai. At the same time, we should remember that the Government of India had no hesitation in allowing the FBI to interrogate Kasab, the only remaining link in the 26/11 attack.

This is the case and it has now become clear that the United States does not want to allow the Indian investigators to interrogate Headley because it has appeared in the newspapers that this Headley is having close links with the American Drug Enforcement Agency. And he may possibly have links with the CIA also. So, it is now clear that in the past, even after the 9/11 incident, this Headley had traveled frequently and freely in and out of Pakistan and also other countries, which the US consider to be the hotbeds of terrorism. It has come in the Press that the new name, Headley, was given to him by the United States Intelligence Agencies. The episode also exposed the subservient character of the Government of India's alliance with the United States. It is unfortunate that the Government of India is not bold enough to demand the integration of Headley. Hence, I urge upon the Government to take immediate steps to ensure that Headley will be interrogated by the Indian Intelligence Agencies.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैडम, एल.आई.सी. एजेंट्स का एक बहुत बड़ा समूह दिल्ली में आज हड़ताल पर है और जिनके तकरीबन एक करोड़ टोटल लोग हैं। 50 लाख से ऊपर परिवार हैं, जो इससे इफेक्टिव हैं। सरकार की तरफ से शायद यह कोशिश हो रही है कि इन एजेंट्स का कमिशन बंद कर दिया जाए और इनको डी-रजिस्टर कर दिया जाए।

मेरा मानना यह है कि ये वे लोग हैं, जो सरकार से कोई ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेते। इन्हें कोई दफ्तर एवं नौकरी नहीं दी जाती। ये खुद मेहनत करते हैं, घर-घर जाते हैं, पॉलिसी देते हैं और उसकी वजह से इन्हें कमिशन मिलता है, जिससे इनके परिवार का गुजारा चलता है। इन्हें जो एवरेज कमिशन मिलता है, वह तकरीबन चार हजार या पांच हजार रुपए महीना पड़ता है, जो शायद कम से कम एक सरकारी कर्मचारी की तनखाह होती है, उसका भी आधा हिस्सा है। मेरा मानना है और सरकार से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि इन परिवारों को, जो पूरी आबादी का एक परसेंट है, इन्हें बचाने के लिए कदम उठाएंगे, उनकी मांग को मानेंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Madhu Goud Yaskhi, Shri N.S.V. Chitthan, Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi, Shri Datta Meghe, Shri Vinay Pandey, Shri Harish

Chaudhary, Shri Ijyaraj Singh, Shri Kabir Suman, Shrimati Jayaprada, Shri K.L. Punia, Dr. Tarun Mandal, and Shri Hukumdeo Narayan Yadav are allowed to associate with the issue raised by Shri Jai Prakash Agarwal.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): माननीय अध्यक्ष महोदया, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के बीच में एक भी असेम्बली नहीं है। राज्य सरकार और भारत सरकार एक ही है। अंडमान-निकोबार में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 20-25 साल काम करने के बाद आज उन्हें जो ओनरेरियम मिलता है - टेन्थ पास को महीने में दो हजार रुपए, टेन्थ से कम वाले को 1800 रुपए और हेल्पर को केवल 990 रुपए। जब कि उन्हें न बोनस, पेंशन और न ही ग्रेचुअटी मिलती है। आप सोचिए कि उनकी क्या हालत होगी। खास कर उन्हें जीने के लिए घर का किराया 700 से 800 रुपए देना पड़ता है। खाने के सामान की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। बच्चों को लिखाना एवं पढ़ाना, आंगनवाड़ी आने के लिए उनका बस का किराया छः सौ रुपए लगता है तो उनके हाथ में कितने रुपए बचते हैं।

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया, जो यशोदा मैय्या, आंगनवाड़ी की वर्कर और हैल्पर हैं, वे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जिस प्रकार से तामिलनाडु और पांडिचेरी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बढ़िया काम किया है और उन्हें पे-स्केल दिया है, उसी प्रकार से अंडमान प्रशासन ने भी उसी परम्परा पर चलना शुरू करें। लोग कोर्ट में जाएं, तो सरकार सुनती है। अंडमान में चौकीदार लोगों ने 20-20 साल काम किया, जब वे कोर्ट में गए, तो सरकार ने उनकी मांग मान लीं। तामिलनाडु गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को पे-स्केल दिया है, घर का किराया दिया है और सिटी एलाउंस दिया है। इसी प्रकार पांडिचेरी गवर्नमेंट ने किया है। मैं उसी के बारे में केन्द्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर को भी पे-स्केल दिया जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णुपद रे जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मैटर पूरा हो गया। अब आप बैठिए।

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, जब तक पे-स्केल न दिया जाए, तब तक मिनीमम वेजेज, यानी जो वर्कर 10 वीं क्लास पास है, उसे स्किल्ड वेजेज, उससे कम कक्षा पास वाली को सैमीस्किल्ड वेजेज और हैल्पर के लिए अनस्किल्ड वेजेज दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदया, आंगनवाड़ी में जो स्नैक्स दिए जाते हैं, उनके बारे में मेरी यह आखिरी मांग है कि वर्ग 2006 में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। वर्ष 2006 में आंगनवाड़ी के लिए स्नैक्स देने हेतु जो लिस्ट बनाई गई थी, उसमें स्नैक्स में दी जाने वाली चीजों के दाम दिए गए हैं। उन दामों पर आज कोई भी सामान बाजार में उपलब्ध नहीं है। उस सूची के अनुसार अंडमान में एक अंडे की कीमत 1.25 रुपए लगाई गई है, जबकि आज वहां एक अंडे की कीमत 4 से 6 रुपए है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि आंगनवाड़ी के स्नैक्स का रेट भी कम से कम 10 रुपए प्रति दिन किया जाए। यही हमारी मांग है।

(Placed in Library, See No. Lt-1314/15/09)

MADAM SPEAKER: The rest of the matters will be taken up at the end of the day.

The House stands adjourned to meet again at 1400 hours.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.



14.02 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

(M) Need to withdraw the decision to acquire land of marginal farmers of Maharajganj, Uttar Pradesh for construction of residential and official complexes of Sashastra Seema Bal.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अन्तर्गत नौतनवा तहसील के सीमावर्ती गांवों जुगौली, सुकरौली, धौरहरा (टोला, तिलहवा), फरेंनी, केवटोलिया में सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के कार्यालय एवं आवास हेतु लगभग 184 एकड़ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

इस भूमि के अधिग्रहण से लगभग 218 किसान प्रभावित हो रहे हैं एवं इनमें से ऐसे भी किसान बड़ी संख्या में हैं, जिनकी समस्त कृषि योग्य भूमि अधिगृहीत की जा रही है। इस स्थिति में ये किसान भूमिहीन हो जाएंगे तथा अन्य किसानों की छोटी-छोटी जोतें और छोटी हो जाएंगी।

महाराजगंज जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों का कथन है कि उनके द्वारा अधिग्रहण की यह कार्रवाई उसी भूमि हेतु की जा रही है, जिसका रेखांकन सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) द्वारा निर्धारण कर उन्हें बताया गया है।

ऐसी दशा में मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि सशस्त्र सीमा बल की पहल पर महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमान्त कृषकों की कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करने के स्थान पर बड़ी जोत के कृषकों की भूमि को अधिगृहीत करना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) Need to take steps to increase literacy rate of Muslim minority for their socio-economic development in Andhra Pradesh and other parts of the country.

SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): India has a large number of Muslim population. Justice Rajinder Sachar Committee Report recommended upliftment of the downtrodden Muslim minority in India. In each and every city in the country, most of the Muslim minority live in slums and also undeveloped areas because they cannot afford to pay for higher cost of living.

Twenty five per cent of the Muslim children in the age group of 6-14 years have either never attended school or have dropped out. The percentage of graduates is only 3.6 per cent which is very low compared to other communities and in Andhra Pradesh it is still less.

Students belonging to Muslim minority are discontinuing their studies mostly after Middle School and settling down in self-employment schemes like tailoring, motor cycle repairing, welding works and petty business such as running pan shops, fruits and flowers besides working as labourers. This is mainly because of their inability to pay for education.

Education is the only way to increase the living standards of our Muslim community and also education will equip them with the skills to earn their livelihood. Education among Muslim women is very less. If a mother is properly educated, she will guide her children in their career.

I, therefore, urge the Union Government to provide financial help for opening of special schools, colleges, engineering colleges, professional colleges and hostels for Muslim students considering their social and religious sentiments and also provide infrastructure, health care facilities, *pucca* roads for the areas where Muslims are living because most of the Muslims are living in slum areas of Nizamabad, Krishna, Guntur, Kurnool and West Godavari Districts of Andhra Pradesh. I also request to change the criteria recommended by Sachar Committee for funding Schemes meant for Muslim minorities from 25% to 15%.

(iii) Need to withhold the decision of conversion of Government Medical Colleges into self-financed colleges in Gujarat

DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): The conversion of Government Medical colleges into Self finance Medical colleges by Gujarat Government is affecting the people of Gujarat. Health and Education are primary responsibilities of Government. At present tuition fees for all Government aided medical colleges are affordable to middle class and others. The level of education in many medical colleges is of world class standard. The facility for diagnosis and treatment in all medical colleges is very good.

If Government Medical colleges are converted in self finance colleges, there will be huge rise of tuition fees which will not be affordable to middle class and poor students. Though intelligent but poor, these students will be out of reach of medical education and there will be monopoly of rich people. In self finance colleges and hospitals, medical treatment will become costlier.

So I request the Central Government not to permit conversion of Government Medical Colleges into self-financing colleges and to instruct the Indian Medical Council for the same.

(iv) Need to revive the Ramagundam Fertilizer Factory in Karim Nagar District of Andhra Pradesh

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House towards the need for revival of Fertilizer Corporation of India Unit in Ramagundam, Karim Nagar district, Andhra Pradesh, which falls in my Constituency.

During the last four consecutive years in Andhra Pradesh, the area under cultivation has increased many-fold and accordingly, the fertilizer consumption has increased from 36.30 Lakh Metric Tonnes (LMTs) during 2002-2003 to 62.14 LMTs during 2008-09. Consequently, the consumption of urea has increased from 17.55 LMTs in 2003-04 to 27.4 LMTs during 2008-09.

The Government of Andhra Pradesh is implementing the prestigious "Jala Yagnam" - a massive and a unique programme in the country with the aim to bring every acre of area under irrigation. So, keeping in view the current increasing trend of fertilizer consumption in Andhra Pradesh and for "Jala Yagnam" programmes, the fertilizer consumption is expected to be increased manifold in the coming years in Andhra Pradesh.

Hence, I request the concerned hon. Minister that there is an urgent need to revive the Ramagundam Fertilizer Factory in Karim Nagar district to meet the increasing future fertilizer requirements of the farmers in Andhra Pradesh.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर. ध्रुवनारायण --उपस्थित नहीं।

(v) Need to give status of a full-fledged State to Delhi

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की सतत मांग रही है। लेकिन अब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है।

हालांकि दिल्ली में विधान सभा की स्थापना की गयी है और इसकी अपनी एक सरकार है। लेकिन दिल्ली सरकार को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो किसी एक पूर्ण राज्य की सरकार को प्राप्त होते हैं और यही एक मुख्य कारण है कि जिस तेजी के साथ दिल्ली का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

एक राज्य की चुनी हुई सरकार का मुख्य दायित्व राज्य में कानून व्यवस्था को बनाते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य सरकार का मामला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की न होकर संघ सरकार की है। जब दिल्ली में विधान सभा की स्थापना करते हुए एक लोकतांत्रिक राज्य सरकार की स्थापना की गयी है, तो राज्य सरकार को ही कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राज्य सरकार को वे सभी अधिकार दिये जाएं, जो अन्य राज्यों की सरकारों को प्राप्त है।

(vi) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Hoshiarpur district, Punjab

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज लगभग 63 वर्ष की आजादी के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से भारत में 977 केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं जिसमें से 38 पंजाब में हैं। आश्चर्य की बात है कि कई जिलों में सात-सात केन्द्रीय विद्यालय हैं परन्तु होशियारपुर जिले में आज तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। यहां पर अधिकतर लोग गरीब हैं तथा सैनिक परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिला होशियारपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए ताकि सेवानिवृत्त परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।

(vii) Need to create a National Rural Bank and redress the grievances of Regional Rural Banks in Andhra Pradesh

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, as per the plan of Union Government the Rural Banks are on a massive expansion in the next two years. They have been asked to open no frill accounts of all people associated with National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) and other welfare schemes. The Government also intends to introduce core banking in Rural Banks by 2011. Accordingly, the officers and employees of RRB are appealing for need-based manpower planning to ensure recruitment and promotions to all staff. They are also demanding formation of 'National Rural Bank' for effective implementation of all rural banking plans. The RRBs in the State of Andhra Pradesh are facing acute shortage of staff which is affecting the smooth functioning of the RRBs and lack of promotions for decades is demoralizing the staff.

I, therefore request the Finance Minister, through this august House, to initiate a large scale recruitment of the educated rural unemployed youth from local areas to augment flow of credit besides effective implementation of all the welfare schemes initiated by the Government. I request the Government to create National Rural Bank at the earliest.

(viii) Need to expedite setting up of a Steel Plant in Gwalior Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): महोदय, पूर्व केन्द्रीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.08.08 को ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलौआ, तहसील उबरा जिला ग्वालियर में स्थानीय बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लगभग 100 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले स्टील प्रोसेसिंग यूनिट (इस्पात कारखाने) का शिलान्यास किया गया था। इस कारखाने के निर्माण हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बजट भी आवंटित किया जा चुका है एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्याप्त भूमि भी आवंटित कर दी गयी है। परन्तु शिलान्यास के एक वर्ष बाद भी अभी तक उक्त कारखाने के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य प्रारंभ होता तो क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलता तथा क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलता, जिससे क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होता। परंतु अभी तक कारखाने का निर्माण प्रारंभ न होने के कारण क्षेत्रवासियों में आशंका पैदा हो गयी है।

छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश बनने के बाद अब प्रदेश में कोई स्टील प्लांट नहीं है। मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर क्षेत्र के विकास हेतु सरकार से आग्रह है कि स्वीकृत स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

(ix) Need to make available seeds of wheat through National Seeds Corporation in Madhubani and Darbhanga districts of Bihar

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, देश में बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसान परेशान हैं। किसान अधिक से अधिक गेहूं की खेती करना चाहता है। गेहूं की बुआई की समय सीमा निर्धारित है। राष्ट्रीय बीज निगम सबसे बड़ा बीज विक्रेता है। उसकी दुकानों पर गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं है। बिहार में इस बार किसान भरपूर गेहूं की खेती करना चाहते हैं। बिहार सरकार बीज पर अनुदान भी दे रही है, परंतु बीज उपलब्ध नहीं है। मधुबनी बिहार में राष्ट्रीय बीज निगम का बिक्री केन्द्र है, परंतु वहां पर अगैती या पिछेती किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हैं। उन्त किस्म के बीज के अभाव में किसानों को अप्रमाणित किस्म का बीज बोना पड़ रहा है। देशभर में, खासकर बिहार में और बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी एवं दरभंगा में राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा शीघ्र भरपूर बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही केन्द्र सरकार किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रति एकड़ एक हजार रूपए अनुदान दे।

(xi) Need to improve telephone services in Himachal Pradesh

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, बी.एस.एन.एल. ने टेलीकम्युनिकेशन हेतु देशभर में अपना नेटवर्क स्थापित किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लग गया है क्योंकि लैंडलाइन के माध्यम से निगम अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज महीनों तक खराब पड़े रहते हैं। कई स्थानों पर खुली तारें बिछाई गयी हैं जिन्हें असामाजिक तत्व काट-काटकर ले जाते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र में दूरसंचार बिल्कुल ठप्प हो जाता है।

मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के जिला शिमला, सोलन एवं सिरमौर में मोबाइल सेवा के नेटवर्क टावर लगभग एक वर्ष से लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें आपरेशनल नहीं किया गया है। इससे आम आदमी को जो दूरसंचार सेवा उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं हो रही है और दूसरी ओर निगम को भी राजस्व की हानि हो रही है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध है कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में भारत संचार निगम की सेवाओं में सुधार किया जाए, जहां टावर बने हुए हैं, उन्हें चालू किया जाए, जहां एक्सचेंज खराब पड़े हैं, उन्हें तत्काल सुधार जाए एवं जनता की शिकायतों को अविलम्ब दूर किया जाए।

(xi) Need to include unaided schools of Uttar Pradesh in National Literacy Mission

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): महोदय, देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार के गाइड लाइन में वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान देने एवं इस योजना में सम्मिलित करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों को उच्चिकृत करने का प्रस्ताव कर रही है। जब तक वित्त विहीन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में शामिल नहीं किया जाता, तब तक भारत सरकार का मकसद समग्र शिक्षा विकास संभव नहीं हो सकता।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए।

(xii) Need to check the menace of *Neel Gai* in eastern parts of Uttar Pradesh

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान देश में किसानों की गाढ़ी कमाई से तैयार होने वाली फसलों को नष्ट करने वाले जंगली जानवर नीलगाय (खड़रोज) की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग के अनेक जिलों यथा भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी व जौनपुर तथा अन्य जिलों में हर वर्ष हजारों एकड़ फसल नीलगायों के द्वारा समाप्त कर दी जा रही है। किसान खेती से पलायन करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों में भुखमरी की स्थिति बन गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में किसानों की फसलों की बर्बादी रोकने तथा फसलों की सुरक्षा हेतु नीलगायों (खड़रोजों) को एक अभियान चलाकर पकड़ा जाए तथा इन्हें जंगलों या वन्य जीव संरक्षण स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करें ताकि किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके और उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mahabali Singh – not present.

Shri Ambica Banerjee – not present.

Shri R. Thamaraiselvan – not present.

Shri Mahendra Kumar Roy – not present.

(xiii) Need to fix the price of iron ore and other minerals on *ad-valorem* basis for the State of Orissa

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Of all the major minerals, it is only coal, chromite and bauxite that enjoy *ad-valorem* basis of royalty and all other minerals including iron ore continue to be subject to specific rates of royalty regimes. On account of this, States like Orissa, a leading iron ore producer of the country, is losing hundreds of crore of rupees as mining royalty. It is only the mine owners and traders who are garnering all the benefits from these finite resources. Therefore, it is of critical importance that the Union Government should effect necessary amendments and bring in *ad-valorem* linked royalty regime in respect of all the other minerals also.

The existing system of compilation and publication of sales price by IBM which forms the basis of calculation of *ad-valorem* leaves much to be desired. The issue, therefore, needs to be addressed suitably. A delay of more than two years in case of last change effected in respect of coal has deprived Orissa of substantive sums of legitimate revenues. The revision that was due after 15th August, 2005 was notified only on 1st August, 2007. Though the 11th Finance Commission had recommended that in case the process of revision is not completed by the date the new revision is due, the State should be entitled to compensation. But no steps have been taken so far in this regard.

It is indeed an irony that instead of revising the royalty, the Government has levied an export duty on minerals which accrues to the Union Government of India. It is but fair and rational for the Government to share the revenue that accrues to it from the export duty levied on chrome and iron ores entirely with the States of origin.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramesh Rathod – not present.

14.24 hrs.

COMPETITION (AMENDMENT) BILL, 2009

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 15.

Shri Salman Khursheed.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
(SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Competition Act, 2002, be taken into consideration.”

This is a very short Bill. This is only on procedural matters. It was to convert the Ordinance passed during the interregnum between the two Sessions of Parliament, essentially for the reason that when the Competition Commission Act was passed in 2007, it was expected that the MRTP under Section 66, although abolished, the pending cases before the MRTP would be continued to be handled by the MRTP Commission.

However, we found that our attempts to bring about the selection of a Chairperson, a post that was lying vacant, could not find fruition for the simple reason that the best person picked for the job was already assigned as the head of another Tribunal. We were left with two members to finish all the pending work of the MRTPC during the sunset period of two years. However, it so transpired that both those members also retired. As a result, we were left with no personnel on the MRTPC. Our attempts to find replacement personnel, only for the limited period of less than two years, was obviously not very successful and suitable personnel were not available. We, therefore, brought the Ordinance to diminish the two year period, the sunset period, and transfer all the matters from the MRTPC to the Competition Appellate Tribunal which would normally have happened at the end of two years. So all, in effect, that we have done is that we have taken away the

two-year period in which the pending matters would have been disposed of by the MRTP Commission itself.

Sir, we were also conscious of the fact that since the coming of the Competition Act, the work has just begun before the Competition Commission. There are still no cases in which appeals have been filed to the Competition Appellate Tribunal. Therefore, the Competition Appellate Tribunal, headed by a retired hon. Judge of the Supreme Court, also had no work. It had the competence and it had the available infrastructure, but it had no work. Therefore, it was convenient that the pending work of the MRTPC be shifted to the Appellate Tribunal for the Appellate Tribunal to be able to dispose it of expeditiously.

As the figures will show, the pendency before the MRTPC from 2006 to 2009 was of the following nature. The pendency at the end of the year 2006 was 1,110 cases, at the end of 2007 was 1127 cases; at the end of 2008 was 1,136 cases; and finally in 2009, it went up to 1,186 cases. So, all these cases would now be shifted to the Tribunal. There will be some minor matters of investigation and so. That will go before the Commission as intended in the Act itself.

So, all we have done is that we have taken away the two-year sunset period simply because we have inter-structured personnel available in the Appellate Tribunal and we have nobody to look after this work in the MRTPC.

Sir, with these words, I commend the Bill to the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Competition Act, 2002, be taken into consideration.”

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बिल छोटी-मोटी मॉडिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसमें तीन-चार पाइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्ष 1999 से कंपीटिशन बिल चल रहा है। वाजपेयी जी की सरकार के कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण थे जो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए, लिब्रलाइजेशन के लिए, डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे। उसमें से कंपीटिशन बिल भी ऐतिहासिक कदम था। वर्ष 199 में जब वित्त मंत्री जी ने इस बिल को रखा और दो साल का पीरियड जो माननीय मंत्री जी बता रहे थे, पता नहीं, अंकों का खेल है, शब्दों का खेल है या ग्रहों का खेल है, लेकिन ये दो साल कंपीटिशन बिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पड़ाव हमेशा दो-दो पर आते हैं। वर्ष 1999 में वित्त मंत्री जी घोषणा करते हैं और उसके बाद एक चक्रवर्ती कमेटी बनती है। चक्रवर्ती कमेटी इसके बारे में विशेष तौर पर देखती है कि डब्ल्यूटीओ ऑब्लिंगेशन में हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए, हमारा कंपीटिशन क्या होना चाहिए, ट्रिप्स की टर्म्स क्या होनी चाहिए और सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद ये वर्ष 2001 में बिल इंट्रोड्यूस होता है।

महोदय, वर्ष 1999 के बाद वर्ष 2001 में यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद राघवन कमेटी बनती है, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस में जाती है और वर्ष 2002 में दिसम्बर के महीने में यह बिल संसद में इंट्रोड्यूस होता है और वर्ष 2003 अक्टूबर में फाइनल रूप लेता है। यदि वर्ष 2001 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वर्ष 2003 में बिल प्रभावी होता है, तो वह भी दो साल बाद। उस समय कोई मुद्दे उठाए गए थे कि इसमें जज का रोल होना चाहिए, ज्यूडीशियरी का रोल होना चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस होता है तथा सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ष 2005 में आता है। यदि देखें तो इसमें भी दो साल का समय लगा है। वर्ष 2005 में कहा जाता है कि कम्पीटिशन कमीशन अलग होगा और ज्यूडीशियल बॉडी अलग होगी। इसके लिए सरकार फिर दो साल बाद जागती है और वर्ष 2007 में इसका अमेंडमेंट ले कर आती है। वर्ष 2005 और 2007 का अंतर देखेंगे, तो फिर दो साल का अंतर है। आपको ताज्जुब होगा कि वर्ष 2003 में जब कम्पीटिशन बिल लागू हो गया, उसके चेयरमैन की नियुक्ति पहली बार वर्ष 2008 में होती है, यानी पांच साल बाद चेयरमैन की नियुक्ति होती है। सरकार किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में आप देखें। वर्ष 2007 में अमेंडमेंट के बाद फिर वर्ष 2009 में फिर से इसे ले कर आए हैं और कानून यह था कि एमआरटीपी के जितने केसिस थे, वे दो साल में एक्सपेडाइट होने थे। संयोज ऐसा था कि वह दो साल का पीरियड कहीं न कहीं रुक गया है, क्योंकि एमआरटीपी में चेयरमैन नहीं थे, मैम्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद सरकार यह बिल ले कर आई है, तो मुझे लगता है कि इसमें दो साल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जब वर्ष 2002 में यह बिल संसद में आया था, उस वक्त खरमास था, हम हिंदू धर्म को मानते हैं

और आप फिर से खरमास में यह बिल ले कर आए हैं, इसमें दो साल नहीं लगने चाहिए। केस एक्सपेडाइट होना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ।

यह जो कम्पीटिशन बिल आया है, इसमें संविधान का आर्टिकल 301 से 307 है और आर्टिकल 307 में आपको पावर दी गई है कि

“Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.”

यह जो दिया है, इसमें आपके ऊपर काफी बाइंडिंग है। सेंटर और स्टेट रिलेशन का सवाल है, प्राइज़ राइस होता है, सर्व शिक्षा अभियान है, आप सब कुछ स्टेट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए कम्पीटिशन कमीशन बिल लोगों ने दिया और आपके हाथ में यह हथियार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को कम्पीटिशन बिल को देखना है। प्रोड्यूसर जहां चाहता है, आपनी कम्पनी बना सकता है, ट्रेडर को जहां बेनिफिट होगा, वह दे सकता है, लेकिन हम जिस गरीब मुल्क में रहते हैं, जहां हमारा निवास स्थान है, हम संसद में चुनकर आते हैं, गरीब लोग हमें वोट देते हैं, उसमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहीं न कहीं इस बिल में या हमारी विल पॉवर है, उसमें कहीं न कहीं परेशानी देखता हूँ। माइक्रो साफ्ट कम्पनी अमरीका में थी। अमरीका में इतना साहस था कि वह माइक्रो साफ्ट कम्पनी को तोड़ सकता था। मैं पूछना चाहता हूँ कि एमआरटीपी एक्ट से ले कर कम्पीटिशन कमीशन बिल तक हमने इस बारे में क्या किया है? हमें दो मोर्चा पर लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा है कि बड़ी-बड़ी ज्वायंट कम्पनी है, मल्टी नेशनल कम्पनी है, जो डब्ल्यूटीओ ओबलिंगेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश में आना चाहती हैं। हमारे देश में बड़ी कम्पनियां हैं, जो कहीं न कहीं छोटी कम्पनी को खा रही हैं। उसका कम्पीटिशन कमीशन बिल कैसे प्रोटेक्शन करेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां सिल्क इंडस्ट्री है, पावरलूम है, हैंडलूम है, भागलपुरी सिल्क है, भगइया सिल्क है, साहबगंज की सिल्क है, इसी तरह से बड़ी-बड़ी कम्पनियां सिल्क इंडस्ट्री में आना चाहती हैं। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और छोटी कम्पनियों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वह कहां से प्रभावित होगा और कम्पीटिशन बिल इसे कहां से प्रभावित कर पाएगा, यह सवाल मेरे मन में है, जो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ।

दूसरा सेक्टर आटोमोबाइल का है। मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर को क्या फायदा है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, क्या पैसे घट रहे हैं? क्या हम कम्पीटिशन लॉ के आधार पर कुछ कर पाने की स्थिति में हैं? इसी तरह से स्टील सैक्टर है। स्टील सैक्टर में बड़ी-बड़ी कम्पनियां यहां आने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड की दो चार कम्पनियां इतनी बड़ी हैं कि हमारी सारी छोटी कम्पनियों को खा जाएंगी। कम्पीटिशन

बिल में वह प्रोटेक्शन कैसे होगा? कंज्यूमर को ऊंचे रेट पर स्टील खरीदना पड़ता है, उसका कार्टेल आप कैसे खत्म करेंगे। क्या इतनी विल पॉवर हमारे पास है?

तीसरा सीमेंट सेक्टर है, जो सरकार की भी बात नहीं मान रहा है। सीमेंट सेक्टर हमेशा कहता है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, हम अपने आप दाम बढ़ाएंगे, इसमें कम्पीटिशन कहां होता है? क्योंकि जापानी में कम्पीटिशन का मतलब किलिंग होता है। यदि आप देखेंगे, छोटे लोग, कंज्यूमर और छोटी-छोटी कंपनियां कहीं न कहीं किल हो रही हैं। जापानी टर्म जो कम्पीटिशन का किलिंग है, वह हमारे यहां लागू हो रहा है। उसी तरह से एविएशन में मान लीजिए कि बोइंग है, और एयरबस में प्रतिस्पर्धा है लेकिन हमारे यहां मान लीजिए कि दो कंपनीज मर्ज कर जाती हैं, इसके पहले केस हुआ था और एमआरटीपी में केस गया था, कम्पीटिशन कमीशन में केस गया था। उसके बारे में क्या हुआ और उसके बाद उपभोक्ता को क्या फायदा हो रहा है? क्या हम सस्ते रेट में जा रहे हैं? यदि यहां से मलेशिया या सिंगापुर जाना है तो हम यहां से सस्ते में जा सकते हैं लेकिन यदि यहां से त्रिवेंद्रम जाना है, मद्रास जाना है तो हम महंगे रेट में जा रहे हैं। तब कम्पीटिशन कमीशन उसमें क्या कर रहा है? मैं केवल यह कह रहा हूँ कि केवल लॉ बना देने से हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो रहे हैं? जो समस्याएं हैं, वे समस्याएं वहां हैं। पैट्रो-कैमिकल में बहुत बड़ा ज्वाइंट हो गया है। कोई छोटी कंपनी नजर नहीं आ रही है। क्या माइक्रो सॉफ्ट की तरह हम पैट्रो-कैमिकल सेक्टर को काट सकते हैं? क्या इतनी ताकत हमने कम्पीटिशन कमीशन को दी हुई है? यदि ताकत दी हुई है तो वे चीजें अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? उसी तरह से कोकाकोला और पैप्सी है। आपको ध्यान होगा कि स्वदेशी कंपनी हुआ करती थी, उसने खरीद लिया। अब कोकाकोला और पैप्सी अपना रेट बढ़ा रही है। इस पर कहीं कम्पीटिशन नहीं है। उस दिन हमारे मित्र संजय निरुपम टी.वी., रेडियो, पत्र-पत्रिका और अखबार की बात कर रहे थे। सारे लोग एक ही हैं। एक टी.वी. में जा रहे हैं, दूसरे प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं। तीसरे एफ.एम. रेडियो में जा रहे हैं। क्या कम्पीटिशन कमीशन में आपको लगता है कि कम्पीटिशन कमीशन इसके लिए वैल-ईक्विड है?

मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो भी चीजें आती हैं, जितनी भी सरकार की एजेंसी हैं, वे डिसाइड कर लेती है कि यह मेरा काम है, सीरियस थॉट इन्वेस्टीगेशन ऑरगेनाइजेशन आपके पास है, कम्पीटिशन कमीशन ज्यादातर इंपुट उसी के माध्यम से लेगा। उसी के रहते हुए सत्यम हो जाता है। हमारे यहां जितने भी लोग होते हैं, कभी सीबीआई है, कभी ईआईयू है, कभी डीआरईआई है, ताजमहल होटल में घटना घट जाती है और मैं इस सदन के माध्यम से इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि राजनीतिज्ञ के ऊपर आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जनता में कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। जब हमारे यहां आतंकवादी आ जाते हैं तो मिलिट्री, इंटेलीजेंस विभाग क्या कर रहा होता है? आई.बी. क्या कर रहा होता है? राँ क्या कर रहा होता है? उसी तरह से आपके यहां सत्यम हो जाता है तो एसएफआईओ क्या कर रहा

होता है? मधु कौड़ा का इतना बड़ा इंसीडेंट हो जाता है, ई.डी. जांच कर रही है, इंवेस्टीगेशन एजेंसी जांच कर रही है, सीएजी क्या कर रही है? इंकम टैक्स विभाग और डीआरआई विभाग क्या कर रहा है? जब आप कोई एजेंसी बनाते हैं तो किसको क्या अधिकार देने हैं, किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी फिक्स करनी है, कौन से अफसर किस तरह की जिम्मेवारी में काम करेंगे, यह आज तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। यही कारण है कि राजनीतिज्ञ के ऊपर आज पूरा देश हंसने का काम कर रहा है। हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं न कहीं जा रही है। आप यह देखिए कि हसन कपूर का मामला हो जाता है। जब ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, हवाला हो रहा होता है, क्या हमने किसी को पकड़ने की कोशिश की है? सवाल यह है कि आपका एफएसआईओ है, सत्यम हो गया है या और भी बड़ी कंपनियां यहां बहुत बड़ा स्कैम कर रही हैं, उसके बारे में सरकार को कहीं न कहीं जवाब देना चाहिए।

मेरा चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि कम्पीटीशन कमीशन बना है और इसको हमने बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है और इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रश्न उठा रही है। कह रही है कि मेरे क्षेत्र में आप अधिकार क्षेत्र नहीं कर सकते क्योंकि मर्जर और एक्विजिशन भी हमने सीसीआई के डोमैन में डाल दिया है। कंपनी के फ्रॉड को भी हमने सीसीआई के डोमैन में डाल दिया है। अब वह एक बहुत ही टेक्नीकल इश्यू है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि बैंकिंग के बारे में उसको क्या पता है। टीआरएआई कह रही है कि हमारे डोमैन में आपको लड़ने-झगड़ने की क्या आवश्यकता है क्योंकि एक टीआरएआई ही है जो कि कहीं न कहीं उपभोक्ता को प्रोटेक्ट कर रही है। यदि कहीं उपभोक्ता का प्रोटेक्शन हो रहा है तो मोबाइल सैक्टर में ही भाव घटे हैं। उपभोक्ता को सस्ती दर पर मोबाइल मिल रहा है और आपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या किया है कि अलग-अलग पेट्रोलियम रेगुलेटर बना दिया है और वे कहीं न कहीं सीसीआई के डोमैन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में अपने पास क्या जवाब होता है और यदि आपने इन सभी के ऊपर चाहे पॉवर रेगुलेटर के ऊपर, चाहे पेट्रोलियम रेगुलेटर के ऊपर, चाहे ट्राई के ऊपर या आरबीआई के ऊपर आपने सीसीआई को बना दिया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है। जब अर्जुन को कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं:

“सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज
अहम् त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः”

इसका मतलब यह है कि यदि कोई रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, कोई कंज्यूमर काम नहीं कर रहा है, आप सीसीआई के पास आइए, कम्पीटीशन कमीशन के पास आइए, एपीलैट ट्राईब्यूनल के पास आइए और हम आपको सारी चीजों से मुक्त कर देंगे। मर्जर एक्विजिशन भी कर देंगे, बैंकिंग भी समझा देंगे,

पेट्रोलियम भी समझा देंगे, टेलीफोन भी समझा देंगे और फिर आपको क्या करना होगा, सीसीआई की पावर को करटेल करना पड़ेगा। आप यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो इन चीजों को सोचना चाहिए। कांस्टीट्यूशन का प्रिंम्बल है कि आप अच्छे से अच्छा कानून बना दीजिए, यदि उसे गलत हाथों में डाल देंगे तो गलत प्रभाव होगा और गलत से गलत कानून बना दीजिए, उसे अच्छे आदमी के हाथ में डाल दीजिए तो अच्छा प्रभाव होगा। इसके अपाइंटमेंट में कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सीसीआई इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, डब्ल्यूटीओ का ऑब्लिगेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सीसीआई का यह छोटा अमेंडमेंट लग रहा है, यह इन्होंने खुद कहा है कि 1000 से ऊपर केसिस है, ये केसिस 25-30 साल से चल रहे हैं। इन केसिस को कब ट्रिब्यूनल एक्पीडाइट करेगा? कब खत्म होगा? लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? कन्ज्यूमर का हित कैसे देखा जाएगा? यदि इन बातों को मंत्री महोदय आपके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, आदरणीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह बहुत छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। वर्ष 2002 में कम्पीटिशन लॉ आया, उस समय एनडीए सरकार थी। उस समय सर्वसम्मति से इस कानून को बनाया गया था। इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में चार-पांच साल तक एक लीगल लड़ाई लड़ने के बाद यूपीए सरकार को अनुमति मिली कि नई व्यवस्था के तहत कानून में अमेंडमेंट करके आ सकते हैं। आज जो कम्पीटिशन लॉ हमारे सामने है, यह उसी व्यवस्था के बाद तैयार हुआ। 14 अक्टूबर, 2009 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसी ऑर्डिनेंस को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्री महोदय बिल लेकर आए हैं। उस व्यवस्था में एमआरटीपी और एमआरटीपीसी, दोनों के लिए सनसेट क्लॉज था जिसके तहत दो साल के अंदर एमआरटीपी स्वयं अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर वापिस चले जाएंगे और सारी जवाबदारी कम्पीटिशन कमीशन पर आएगी। इसके तहत कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कमीशन, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थी, उसके भी सारे केसिस इधर शिफ्ट करने थे, ट्रांसफर करने थे। इसके तहत एक ट्रिब्युनल बनाने का प्रावधान आया। इस हिसाब से आज का बिल इन्हीं दो मुख्य बातों को लेकर हमारे सामने उपस्थित है। मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि एमआरटीपी चूंकि दो साल में वाइंड अप होना था, कोई अच्छे अफसर नहीं मिल रहे थे और जो अफसर मिले वे किसी दूसरे ट्रिब्युनल में जाने वाले थे। एमआरटीपी लगभग खाली हो गया था क्योंकि जो दो मैम्बर कमीशन के थे, वे रिटायर हो चुके थे। ऐसी स्थिति में सारे केस कम्पीटिशन कमीशन और ट्रिब्युनल के हवाले किए जाएं, इस अच्छे उद्देश्य के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया और इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए हम सामने खड़े हैं। व्यापक अर्थ कम्पीटिशन लॉ है। 1991 के बाद हमारा देश एक उदारीकरण की व्यवस्था स्वीकार करता है, ग्लोबलाइज्ड हम इकनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह से दुनिया में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, वे सब खत्म हो गए। कोई किसी भी देश में जा सकता है, किसी भी देश से आ सकता है, बिजनेस कर सकता है। ऐसे में उस समय की सरकार की चिंता थी कि कन्ज्यूमर्स का प्रोटेक्शन और हित सर्वोपरि हैं इसलिए उपभोक्ताओं का ख्याल रखना चाहिए। इस अंधाधुंध में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तैयार होगी, उसमें कहीं ऐसा न हो कि एक मोनोपली तैयार हो जाए, कर्टलाइजेशन हो जाए और कन्ज्यूमर का हित बहुत पीछे छूट जाए। इस कानून को कन्ज्यूमर के हितों का ख्याल रखते हुए लाया गया। मुझे याद है 2002 में एक कानून आया था, तब मैं सौभाग्यवश राज्यसभा में था, उस कानून में एक मूल उद्देश्य बताया गया था:



“The Competition Act, 2002 was enacted in 2002 keeping in view the economic developments that resulted in opening up of Indian economy, removal of controls and consequent economic liberalization which required that Indian economy be enabled to allow competition in the market from within the country and outside.”

यह हमारा मूल उद्देश्य था और मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम आगे यहां तक पहुंचे हैं। जो सैक्शन 66 है, हमारे सामने उसके अंदर मूल तौर पर एक अमैन्डमेंट है और उस अमैन्डमेंट के तहत हम लोगों ने कम्पिटीशन कमीशन को पिछले साल एक तरह से लागू किया और कम्पिटीशन कमीशन का काम शुरू हुआ। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्युनल बनाने का पूरा प्रस्ताव सामने आया। मेरे पास मंत्री जी के लिए दो-तीन सवाल और सुझाव हैं कि सबसे पहले इस कमीशन के काम करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि एमआरटीपी मोनोपोली को रोकने के लिए था और कम्पिटीशन कमीशन का जो उद्देश्य है, वह स्पर्धा को बढ़ाने का है। दोनों संस्थाओं में बुनियादी तौर पर एक परिवर्तन है। एक कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहा है और दूसरा कहीं न कहीं एनकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अपने देश में स्पर्धा बढ़नी चाहिए और जब स्पर्धा बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ कंज्यूमर को होगा, उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। यह उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टेलिकोम सैक्टर है। टेलिकोम सैक्टर में एक जबरदस्त क्रांति आई है। मुझे याद है जब मोबाइल फोन यहां आये थे तो उसका रेट 16 रुपये प्रति मिनट था, लेकिन आज यह 25 पैसे प्रति मिट चल रहा है और कई जगह पूरी जिंदगी भर के लिए इनकमिंग फ्री है। आज यह जो चमत्कार हुआ है, यह चमत्कार और किसी वजह से नहीं, सिर्फ कम्पिटीशन की वजह से हुआ है। एक-एक सर्किल में पहले दो प्लेयर्स थे, आज बढ़ते-बढ़ते एनडीए के जमाने में मेरे ख्याल से उस समय छः प्लेयर्स आ गये थे। आज मुम्बई में, दिल्ली में अलग-अलग सर्किल्स में कितने सारे प्लेयर्स आ गये हैं और उनके बीच जो एक कम्पिटीशन चल रहा है, उसका सीधा लाभ हमारे कंज्यूमर्स को मिल रहा है। ऐसे लाभ की स्थिति में हमें यह ख्याल रखना पड़ेगा कि भविष्य में किसी प्रकार की मोनोपोली तैयार न हो। एफडीआई लिबरेलाइज्ड हो गई है, पूरी इकोनोमी लिबरेलाइज्ड हो गई है। बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों की हिंदुस्तान में रुचि है। क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, यहां सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं। अभी और बड़ी-बड़ी कंपनियां आयेंगी। इसलिए मेरे दो-तीन सुझाव हैं कि पहले कम्पोजीशन ऑफ कमीशन क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जेक्शन था, वह यह था कि इसमें रिटायर्ड जज होने चाहिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए। मैं ट्रिब्युनल की बात नहीं कह रहा हूं कि वह सही है। वहां पर कानून के जानकार रिटायर्ड जज हो सकते हैं। लेकिन कमीशन में बार-बार जो एक व्यवस्था की जाती है, कमीशन के बारे में जो एक निर्णय लिया गया है कि वहां सिर्फ रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मुझे लगता है कि यह व्यवस्था अच्छी नहीं है।

कम्पिटीशन कमीशन को आने वाले दिनों में एक बहुत विशेषज्ञतापूर्ण काम करना है, कहीं टेलिकोम सैक्टर की मोनोपोली की बात आ जायेगी, कहीं पेट्रोलियम सैक्टर की मोनोपोली की बात आ जायेगी। जैसे टेलिविजन सैक्टर में, मीडिया सैक्टर में ऑलरेडी एक मोनोपोली तैयार हो रही है। बैंकिंग सैक्टर में मोनोपोली तैयार हो रही है। ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कहीं ट्राई है, कहीं आरबीआई है, कहीं इंश्योरेन्स रेगुलेटरी है। यह दूसरी बात है कि जो हमारा आई. एंड बी. सैक्टर है, वहां अभी तक कोई ब्रोडकास्टिंग रेगुलेटरी नहीं आई है। उस दिन मंत्री महोदया कह रही थीं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में कम्पिटीशन कमीशन में जो सदस्यों की नियुक्ति हो, उसके तहत कोशिश यह की जानी चाहिए कि उसमें उस विषय के जानकार लोगों को लिया जाए। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती का जो एक पूरा कार्यक्रम चलता है, जो एक परम्परा सी बन गई है, मुझे लगता है कि इसे कम्पिटीशन कमीशन में नहीं आने देना चाहिए। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स के प्रति पूरा आदर रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स भी अजीब होते हैं, यदि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में हैं तो शिक्षाविद् हो जाते हैं। उसके दो साल बाद यदि ट्रांसफर हो कर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाते हैं तो कृषि के विशेषज्ञ हो जाते हैं। यदि वहां से ट्रांसफर करके उन्हें टेलिकोम सैक्टर बना दीजिए तो टेलिकोम के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये जो परम्परा पिछले कई वर्षों से चल रही है, कम से कम इस परम्परा से कम्पिटीशन कमीशन को बचाना चाहिए। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है और कोशिश यह करनी चाहिए कि थोड़े यंग लोग आए, नौजवान आए। जितनी नियुक्तियां होती हैं, सब बुजुर्ग लोगों की होती हैं। मेरी बुजुर्गवार लोगों के प्रति बहुत आस्था है, आदर है, मैं उन लोगों को खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कोशिश करिये, क्योंकि एक नये जमाने की रीत आ रही है, ग्लोबल इकोनोमी के बाद नये-नये सवाल आयेंगे, नये-नये प्रश्न निकल कर आयेंगे, इसलिए उनके जानकार भी वैसे होने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि उसके जानकार कोई रिटायर्ड लोग हों, नौजवान लोग भी हो सकते हैं, टेलीकॉम सैक्टर के किसी एक्सपर्ट को आप हॉयर कर सकते हैं,, पेट्रोलियम सैक्टर के किसी एक्सपर्ट को आप हॉयर कर सकते हैं, किसी इंजीनियर को आप कमीशन में ले सकते हैं, किसी डाक्टर को ले सकते हैं। आज के जमाने में एम.बी.ए. ग्रेजुएट बैंकिंग सैक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हॉयर किया जाना चाहिये। कमीशन के कम्पोजीशन के बारे में मेरा यह मुख्य सुझाव है।

उपरोक्त महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुल केसेज़ एक हजार के करीब अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिसेज के बारे में बताया है। अगर कुल केसों की गिनती की जाये तो यह 2685 हैं जो पेंडिंग पड़े हुये हैं। वैसे भी एम.आर.टी.पी. केवल एक दिखावे की व्यवस्था थी और कोई मजबूत कानून नहीं था। उसका जितना दुरुपयोग किया गया, उसकी कोई इंतहा नहीं है। पिछले सालों में 2685 केसेज पेंडिंग पड़े हुये हैं और साल में सिर्फ 2-3 केसों को निपटाया जाता रहा है। चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेज़ हो या अनफेयर ट्रेड के केसेज़ हों, वे सारे केसेज लम्बित पड़े हुये हैं। मुझे नहीं लगता कि कमीशन के पास इतना

बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर है कि वह इन तमाम मामलों को निपटाये और इन केशों का हल निकालकर दिखाये। मर्जर और इक्विजीशन दो मुख्य विषय हैं। मेरा मानना है कि मर्जर और इक्विजीशन के अलावा एक डीमर्जर विषय भी होना चाहिये। एक बड़ी कम्पनी दो हिस्सों में बंट जाती है, दो भाई अपना-अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि फलां सैक्टर में यह भाई नहीं आयेगा और फलां सैक्टर में यह भाई नहीं आयेगा। अगर मर्जर के सारे एग्रीमेंट अप्रूवल के लिये कमीशन के पास जायेंगे तो डिमर्जर के एग्रीमेंट पर जाने चाहिये। एक्विजीशन के बारे में जो व्यवस्था की गई है, जो इक्विटी एक्विजीशन होता है, उसके तहत कितनी भी एक्विटी का एक्विजीशन होता है तो एग्रीमेंट का जो फाइनल निर्णय होता है, वह कमीशन लेगा। मुझे लगता है कि केश होल्ड तय करना चाहिये। यदि 20 परसेंट से ज्यादा हो तो कमीशन को उसमें आना चाहिये, क्योंकि जो यूरोपियन लॉज़ हैं, उनके तहत 25-26 प्रतिशत है। अगर उससे ज्यादा इक्विटी कोई एक्वायर करता है, तो कम्पीटीशन कमीशन के पास जाता है। जो बड़ी बड़ी कम्पनियों में मर्जर एग्रीमेंट अप्रूवल के लिये आपके पास आना है, उसके लिये सात महीने की अवधि दी है। मेरा सुझाव है कि यह बहुत ज्यादा है। इसे कम करके दो-ढाई महीना किया जाना चाहिये। प्राइवेटाइजेशन के जमाने में जब कम्पनियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जब तेज़ी से मर्जर-डिमर्जर और एक्विजीशन हो रहा है, मेरा निवेदन होगा कि इस समय अवधि को कम किया जाये क्योंकि 6-7 महीने तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। एग्रीमेंट-अप्रूवल के लिये यह टाइमबाऊंड होना चाहिये।

बड़े-बड़े कॉरपोरेट सैक्टर के लिये नियम बनाया है कि 50 हजार रुपये कम से कम फीस देनी होगी। अगर कम्पीटीशन कमीशन के ट्रिब्यूनल में आपको अप्लाई करना है तो कॉरपोरेट सैक्टर के लिये ठीक है लेकिन आम कंज्यूमर कहां जायेगा? आम उपभोक्ताओं के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि पहले नेशनल कंज्यूमर कमीशन था जो आज वह कमीशन भी खत्म हो रहा है जिससे उस कमीशन के सारे केशेज यहां आयेंगे। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये एक पूरी इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि जैसे वह आरटीआई में दस रुपये भरकर पूरी जानकारी ले लेता है, उसी प्रकार इस में भी उपभोक्ताओं के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग सैक्टर के रेगुलेटर हैं। जैसे ट्राई ने बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट कर रखा है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो टैलीकाम सैक्टर है, उसमें कम्पीटीशन कमीशन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यह भी नहीं होना चाहिये। आर.बी.आई. ने शायद ऐसा कोई प्रोपोज़ल दिया है कि बैंकिंग सैक्टर को कम्पीटीशन कमीशन से बाहर रखा जाये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आर.बी.आई. के रहते बैंकिंग सैक्टर में क्या हो रहा है, यह सब को मालूम है। बड़े-बड़े बैंकों का मर्जर हो रहा है, कनसोलिडेशन हो रहा है, ऐसे में जो इंटरैस्ट रेट तय होते हैं, सभी बैंकों का एवरेज में एक जैसा ही होता है। जब हम ओपन मार्कीट में रह रहे हैं तो बैंकों को आपस में कम्पीट करना चाहिये। आप होम लोन के बारे में देख लीजिये। एक ही तरह के

होम लोन के इंटरैस्ट से चलते हैं कि फिक्सड रेट यह है और फ्लोटिंग रेट यह है। ऐसे में कम्पिटीशन कमीशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कम्पिटीशन कमीशन का उद्देश्य यह है कि लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प हों और कीमतें बहुत कम हों। ऐसे ही बैंकिंग सैक्टर में होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं एक-दो मिनट में समाप्त करता हूं। उसके बाद हमारा एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर आता है। मैं मुंबई में वर्ष 2003 की एनडीए के जमाने की एक कहानी बताता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कहानी लंबी हो जाएगी। आप कहानी मत बताइए।

श्री संजय निरुपम : महोदय, हमने अलग-अलग सर्किल बना दिये और अलग-अलग ऑपरेटर्स दे दिए। पहले पब्लिक सेक्टर में पावर सप्लाई थी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें मौका दे दिया है। आज मुंबई के सबरबन एरिया में एक ही कंपनी के पास सारे अधिकार हैं और जब वह चाहती है, तब भाव बढ़ाती रहती है। पूरी मुंबई के सबरबन कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो बिजली के बिल कभी 1,500, 2,000 या 3,000 आते थे, वे आज 15,000, 20,000 या 25,000 आते हैं। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे वक्त में कम्पिटीशन कमीशन की भूमिका बढ़ जाती है। वहां पर कम्पिटीशन हो, क्योंकि बाकायदा वर्ष 2003 का जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके सेक्शन 60 में कम्पिटीशन को प्रमोट करने की बात कही गयी है। वह कम्पिटीशन आज प्रमोट नहीं हो रहा है। वहां पर एक ही प्लेयर की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि जो इलैक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उसमें भी एक कम्पिटीशन कमीशन रेगुलेट करने का प्रयास करें। अमेरिका में एक बहुत पुराना 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून एंटी ट्रस्ट लॉ है। यह कानून बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इसी कानून के तहत क्रॉस मीडिया होल्डिंग की व्यवस्था है। यानी कि एक व्यक्ति अखबर भी निकाल रहा है, टेलीविजन भी चला रहा है, रेडियो चैनल भी चला रहा है और इंटरनेट भी चला रहा है। पूरे मीडिया सेक्टर में उसकी मोनोपोली तैयार हो रही है। मैंने पहले भी इसकी डिमांड की है और मैं आज फिर से मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपकी जवाबदारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की है। ऐसे में कहीं न कहीं यह व्यवस्था हो कि अगर कोई नया कानून नहीं बन रहा है तो कम्पिटीशन कमीशन को यह अधिकार दिया जाए, क्योंकि मीडिया क्षेत्र में कोई मोनोपोली तैयार न हो। डेमोक्रेसी में अगर किसी एक व्यक्ति के पास राय, जानकारी, संवाद, सूचना देने के लिए पूरी मोनोपोली दे दी जाए तो यह एक तरह की गैर जनतांत्रिक व्यवस्था होगी। मेरा निवेदन है कि उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए और पूरी अर्थव्यवस्था में स्पर्धा तैयार रहे, इसके लिए आने वाले दिनों में कम्पिटीशन कमीशन की और ताकत बढ़े और वह बेहतर तरीके से काम करे। एक सुपर रेगुलेटर हमने बनाया है और इस सुपर रेगुलेटर को पूरी ताकत मिले। ऐसा न हो कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को सिर्फ परेशान और हैरान करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि एक स्वस्थ कम्पिटीशन हो और उसका सभी को लाभ मिले। माननीय मंत्री

महोदय जो संशोधन विधेयक लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूँ और इसके पास करने की आपसे गुजारिश करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे प्रतिस्पर्धा कम्पिटीशन संशोधन विधेयक 2009 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी इस वर्ष 2002 के संशोधन को लेकर आए हैं। ये बहुत ही विद्वान मंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। पिछला जो आयोग बना था, उसमें चटर्जी साहब वाणिज्य सचिव थे और एक सदस्य थे, जिनका इस आयोग में बहुत कम इंटरैस्ट रहा। जिस कारण बहुत दिनों से यह संशोधन लाने की जरूरत महसूस हो रही थी। हमारे पिछले मंत्री जी चाह रहे थे कि इस संशोधन को जल्दी से सदन के सम्मुख पेश करें, लेकिन उसमें कुछ विलंब हुआ। वर्तमान समय में जो आपने गठन किया है, धनेन्द्र कुमार जी को आपने चेयरमैन बनाया है और एस.सी.गुप्ता साहब को सदस्य बनाया है। यह बहुत अच्छी बात है। भारतीय स्पर्धा आयोग के नये अध्यक्ष बनने के बाद मेरे ख्याल से जैसी अभी सम्मानित सदस्यों की चिंता रही, उसमें जरूर सुधार आएगा। जहां तक इस आयोग का कार्य रहेगा कि सर्वोत्तम वैश्विक सुविधाएं मुहैया कराकर, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको कम से कम कम्पिटीशन में न आना पड़े, उन्हें संरक्षण मिले और उन्हें अच्छे मूल्यों पर हर चीज उपलब्ध हो सके। आयोग को भी उपभोक्ताओं के हित को ही सोचते हुए काम करना पड़ेगा। अभी एयरलाइंस के बारे में चर्चा हुई। यह बात सत्य है कि एयरलाइंस की जो भी कंपनियां हैं, वे आपस में मिलकर, मिल-बांटकर इसे मनमाने तरीके से कर लेती हैं। कभी-कभी ऑफर भी आता है और वह ऑफर खत्म हो जाता है। कहीं न कहीं लोगों की इसमें मिलीभगत होती है और इससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। जैसे हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है, जिसमें कंज्यूमर्स को बहुत सहूलियतें हैं।

15.00 hrs.

इसी प्रकार से इस आयोग को भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं इस बिल को देख रहा था। मध्य प्रदेश में दो प्रतिशत प्रवेश कर लगता है, लेकिन अन्य राज्यों में प्रवेश कर नहीं है। इसे भी माननीय मंत्री जी देखें। इसी प्रकार से समुद्री भाड़े में 90 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह कुछ कम हुआ है। यहां पर सीसीआई के बारे में भी कहा गया है। एकाधिकार प्राप्त कम्पनियां जो दाम बढ़ाती हैं तो इस आयोग को चाहिए कि इस पर अपना कंट्रोल रखे। सीसीआई का गठन वर्ष 2003 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रभुत्व बनाने की कवायद पर अंकुश लगाना है। विलय और गठजोड़ की दिशा में दिशा-निर्देश तैयार करना, इस आयोग की प्राथमिकता है। इस आयोग का शिकंजा और कसना चाहिए जिसमें एयरलाइंस और दवाई उद्योग भी होने चाहिए। जीवन रक्षक दवाइयां हमें उचित दाम पर उपलब्ध हो सकें, इस ओर हमें देखना चाहिए। मूल्यों के निर्धारण से बचने की कोशिश तमाम कम्पनियां करती हैं, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका एकाधिकार न हो। दवा के अलावा तमाम कम्पनियों के बारे में सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। इसमें किसी कम्पनी

का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। हमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। विदेशी कम्पनियां देश में आ रही हैं, साथ ही हमारी सार्वजनिक एवं निजी कम्पनियां हैं, इनके कम्पीटिशन में हमें देखना होगा कि उपभोक्ता पर बोझ न पड़े। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Mr. Deputy-Speaker Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill.

Though it is declared by the Government of India that we promote competition, monopoly is emerging everywhere. It is seen that the number of millionaires and billionaires are increasing in great numbers day by day. On the contrary, we also notice that the poor are becoming poorer and their number is increasing in leaps and bounds.

Whatever the Government may say, monopoly and unfair trade practices are rampant in our country. Monopolies are swallowing smaller companies. Since 1991, after the so called liberalization, corporate giants are controlling the Indian economy more than ever. So, concentration of economic power is a threat to the political power of the common people. The growth of cottage and small industries was a dream of the Father of the Nation, but with the present policies, they are facing extinction. This means lakhs of people are becoming jobless and social security measures are going down. In medical fields also, corporatisation of hospitals has made the cost of medical care sky rocketing, thus, making healthcare for the common people beyond their reach.

We also have reservations against the Bill for the following reasons. Independence of the Commission is under threat as it is required to adhere to the policy guidelines by the Central Government from time to time. The purpose or objective should be in the main body of the Bill rather than provided as the preamble. The Bill appears soft on serious competition abuses like hardcore cartels. Despite the increasing importance of the intellectual property rights issues, the Bill does not adequately deal with them. There is no provision for the regulation of mergers and acquisition that do not fall within the meaning of combination. Yet it has the potential to effect competition.

Appointing retired judges and civil servants as the Member or Chairperson of the Commission is undesirable for two reasons. Firstly it leads to corruption among the judges and civil servants who may succumb to the establishment to get sinecures after retirement and secondly most of them are ill-equipped to deal with economic issues.

There is no scope for the Commission to cooperate with and seek cooperation from the counterparts in other countries in case of cross-border competition. Merely having an extra-territorial clause may not be enough.

By making the Commission depending on its grants, the Government is taking away the much needed financial autonomy. The Commission should be funded by the Consolidated Fund of India.

The power of exemption from the purview of the Bill has been left upon the Government without any proper guidelines, having a potential to be misused. The exemption should be well-debated.

Transfer of the subject area of the 'unfair trade practices' from competition law to the consumer protection law is welcome; but cases pertaining to unfair trade practices in a commercial transaction should be retained under the Competition Act.

With these words I conclude.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to place my views on the floor of this House. The hon. Minister in his preface said that this is a very innocuous piece of legislation sought to be brought in and is really procedural in nature. I do not want the House to misunderstand me. I do not hold the hon. Minister responsible in entirety for all that has gone wrong till date. But, I think, it is trite to say, Mr. Deputy-Speaker, Sir, that if anything, any Ministry has been symptomatic of the kind of adhocism, indolence, non-functionality of the first UPA Government, then this Ministry and this Commission, I think, is an example of that.

Hon. Member Shri Dubey has already said in some detail as to how the delays were occasioned up to January, 2005 because there was a matter pending in the Supreme Court. I think the Government could have had some refuge, a fig leaf of justification for not acting till then. But thereafter, from January, 2005 till date, very little has been done and I find that the Statement of Objects and Reasons as well as the Statement which has been placed before this House, Statement under Rule 71 – both of them are identical – contain quite honestly a bizarre explanation for why this ordinance and this Bill has been necessitated.

I quote from both these documents, “Efforts were made to fill up the posts but were of no avail. The MRTPC became non-functional and a gap was created for the disposal of cases pending with the Commission. On the other hand, the Appellate Tribunal was not having adequate work at all.” And then, kindly see, Clause 7 of the Objects and Reasons. Kindly see this. This is very important. I hope the House understands what we are doing here. It says :

“Since the National Commission expressed its inability to accept the transfer of cases and also the investigations or proceedings as many of the cases were not covered by the definition of ‘Consumer’ under the Consumer Protection Act, 1986, and due to lack of investigating machinery with them, further amendments are proposed to Section 66.”

So, the National Commission says that ‘we have a lack of investigative machinery; we cannot handle these cases.’ I ask, with great respect, how is the Appellate Tribunal going to function then. How is the Appellate Tribunal going to

look into these cases? Where does the Appellate Tribunal have the investigating machinery? Is anybody looking into these aspects? Is this the kind of adhocism with which Government legislation is going to be piloted in this House? Mr. Deputy-Speaker, Sir, kindly see this.

After four years, we have a competition Commission today with seven Members and with 15 employees and there are only 14 complaints now before this Commission. There are hundreds and thousands of cases. I commend hon. Minister Mr. Khursheed – at least he has managed, after all these years, to bring in a notification. Kindly see how the will of the House is being frustrated. Cartels and abuse of dominance today has been notified in May; mergers and acquisitions are still not notified. Hon. Member Mr. Sanjay Nirupam was waxing eloquent about how this Act is going to help obstruct iniquitous mergers which are against national interest or against the interest of consumers.

In respect of mergers, I ask Shri Nirupam how this Act is going to function when mergers are still not notified. It is only cartels and abuse of dominance which have been notified. Why are mergers not being notified? Mr. Deputy-Speaker, through you, I would like to ask the hon. Minister why mergers have not been notified yet. I will tell you the reason. It is because there are large mergers which are still in the pipeline. They do not wish to come before the Government or before the Commission in order to get sanctions.

We know what is happening in the market out there. The market place has a great deal of under-hand free play which is going on and that is the reason why these large corporations are operating as cartels in any case. Sir, there is a very large merger which is taking place today of two gigantic Australian corporations – Rio Tinto and BHP Billiton. Now, ArcelorMittal in Europe is able to challenge it and obstruct it. But today if we do not notify in respect of mergers under this Act, there will be no obstruction possible in India. That international merger will continue to obtain here as far as India is concerned.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, frankly I say with great respect that the manner in which this Ministry and the three arms of this Ministry have functioned is not satisfactory at all. The first arm is the Serious Fraud Investigation Office and we

have already found out what has happened in the Serious Fraud Investigation Office and how serious this Office is. We have already seen in the Satyam Scam what its position is. As far as the second limb of this Ministry, the Company Law Board is concerned, one member of the Company Law Board today has found residence in Tihar Jail. He is there today and we do not know when the next member will go to Tihar Jail. There are supposed to be at least eight members while only three are functioning. This is the kind of *ad hocism* that unfortunately this Government has become symptomatic of.

I say with respect that when you bring a piece of legislation to the House, please do not bring it saying 'The Government is helpless. We cannot find officers and therefore, what we are going to do? It would make the Competition Appellate Tribunal as a dustbin. Basically, you cannot find officers to man these cases anywhere else and therefore, you come and dump them on this institution. How are they going to function and investigate 1,200 cases which are going to be dumped over their heads today?

I say with great respect that while Shri Khursheed may not be largely responsible for what has happened during the five years between 2004 and 2009, the manner in which this Ministry has functioned, the manner in which these very importance institutions continue to function is not up to the mark. The issue of Company Law Appellate Tribunal is till today pending adjudication before the Courts. I ask the Government why the Government does not move the Courts, why the Attorney General does not go to the Court and mention the matter and say that 'we need this judgement fast". Would you like to have your Company Law Board members in jail today or would you rather like to have a flourishing and bustling Company Law Appellate Tribunal? I ask this with great respect.

I say with respect that the Government and this Ministry needs to seriously shape up or frankly, it should ship out.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Deputy Speaker Sir, according to the Competition Bill of 2007, on 14th October 2003, the Competition Commission of India was constituted. The prime objective of Competition Commission was to ban monopoly trade practices. Another objective was to give a boost to trade and commerce in the country; to create a healthy environment for competition, so that the Indian businessmen get a fair playing field and grew with dignity. After a long hiatus, this Bill has been reintroduced. It has already been referred to the Standing Committee and thus I feel that it needs to be scrutinized properly. So far as my knowledge goes, this kind of a Bill was first introduced in America and the Government of India was inspired by its tenets to import it to our country. In the USA, the Bill led to the bifurcation of such a big organization of Bill Gates and it was also held guilty. This was the strength of the American version of the Bill.

In case of India, we find that the Competition Commission practically has no teeth. For two years, the cases remain pending and they are sent to the National Commission which says that it does not have enough time to go through the cases and the cases are redirected to the Competition Commission again. Therefore Hon. Minister may enumerate the cases which have been already disposed off and which are still pending. There is no doubt that in this age of globalisation, in this age of fierce competition, big foreign companies are pouring in with their business ventures. It will be very difficult for the relatively smaller Indian companies to fight these big players – this issue should not be forgotten.

There are several other issues like the cement industry, media industry etc. which are not getting their due and the consumers are also being deprived of the right deal. A time may come when all the companies in India will be owned by foreign entrepreneurs and not a single business house or factory will be in the hands of Indian businessmen. Thus my proposal would be to take good care of this Bill because already there has been a delay and after a long gap the Bill has seen the light of the day. All the privileges should not be handed over to the big

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

industrial houses. Keeping this in mind, the Bill needs to be scrutinized meticulously. What do we find the SOR – it is said that the Competition Appellate Tribunal is in existence but actually it has no work like the Competition Commission – this is very surprising. Then what is the need of such toothless organizations? This question looms large. The only reason is that the Commission does not function properly and does not do what is expected from it.

15.14 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Not a single violator in our country has been punished till date whereas punitive action was taken in USA against the biggest entrepreneur there. The law is not at all stringent in India. Therefore I would say that you should not be in a hurry to pass this Bill. Though there has already been much delay, yet all the nitty – gritties should have been checked properly first. Everything should be done keeping the interest of the citizens and the nation as a whole in mind.

One more thing is that the bureaucrats must not be involved in this Commission as it would serve no purpose. Also the stipulated time frame must be followed, otherwise there will be unnecessary delay. The life saving drugs should also be given topmost priority along with other perishables. This is my request to Hon. Minister.

With these words I thank you and conclude my speech.

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, प्रतियोगिता पांच मिनट में ही हो जायेगी।

एक उद्योग से निर्माण का काम, फिर ट्रेड का काम और फिर उसकी खरीद-बिक्री का काम, ये तीन पक्ष हैं। जब से उदारीकरण हो गया, मतलब सामान की आवाजाही में देश की, दुनिया की सीमाएं टूट गईं। उस समय में इसकी और अधिक जरूरत हो गई, क्योंकि बड़े उद्योगपति, मल्टीनेशनल और लघु उद्योग वाला, फिर ट्रेडर में बड़ा ट्रेडर, छुटका ट्रेडर और फिर कंज्यूमर आता है। उसमें वे लोग, जो बड़े आदमी हैं, संगठित हैं और जो खरीदने वाला है, वह असंगठित है। ऐसे में यदि खुलेआम बाजार छोड़ दिया जाये तो मोनोपोली हो जायेगी। एम.आर.टी.पी.सी. पहले से था, अब इन लोगों ने कंपीटीशन विधेयक बना दिया, कानून बना दिया और उसमें कम्पीटीशन कमीशन हो गया। लेकिन कहा गया कि जो ट्रांजीशन फेज़ में कुछ मामले लम्बित हैं तो उनको एम.आर.टी.पी.सी. देखेगा। एमआरटीपीसी से रिटायर हो गया, तो कौन जाना चाहेगा, जो डूबती नाव है, उस पर कौन चढ़ना चाहेगा? कोई अधिकारी नहीं जाना चाहता तो वह डिफंक्ट हो गया, डिफंक्ट हो गया तो आर्डिनेंस आ गया। आर्डिनेंस आया कि जो कंपीटीशन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल है, वही इन सब मामलों को देखेगा। यही मोटा-मोटा सार इस विधेयक का मुझे समझ में आता है।

महोदय, आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर है। यदि मोनोपोली हो गयी और उस पर कोई बाध्यता नहीं है, तो वह जो चाहेगा, उस चीज का दाम वसूल लेगा। उपभोक्ता के संरक्षण की बात हमने कही है कि उनको दाम कम लगे, रीजनेबल लगे, उचित कीमत लगे, साथ ही उन्हें अच्छी क्वालिटी भी मिले। उपभोक्ता को तो सिर्फ इतने भर से मतलब है। जो लोग जरूरत की चीजों की खरीद करते हैं, उनको अच्छे गुण वाला सामान कम दाम में मिले। यदि हम एक चीज बना रहे हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं, तो जो दाम चाहेंगे, वह ले लेंगे, जो अभी हो रहा है। लोग ठीक कहते हैं कि कंपीटीशन कमीशन में दांत कहां है, जो इसको ठीक करे और उपभोक्ता का संरक्षण करे? छोटे-छोटे ट्रेडर भी उसमें मारे जा रहे हैं। इसलिए इसकी ठीक आलोचना हो रही है कि यह एडहाकिज्म होता है। आप कहां थे, वह रिटायर हो गया? अब कोई उस पोस्ट पर जाना ही नहीं चाह रहा है। काम ठप हो गया और वहां केसेज का अंबार लगा हुआ है। उसको कौन तय करेगा? तब कहते हैं कि कंपीटीशन कमीशन की जो एपीलीट अथारिटी है, वही उसकी देखभाल करेगी। इतना ही इस बिल में है।

महोदय, मोटे तौर पर सदन और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि अभी जो उदारीकरण और वैश्वीकरण हो गया और उसमें लोग और सब सीमायें टूट गयीं। यहां तो बड़े लोग पहले से ही हैं, लेकिन बाद वाले इनसे भी बड़ा आदमी मल्टीनेशनल्स हैं। वह जो दाम चाहेंगे, वसूल लेंगे। यदि सही में

कंपटीशन कमीशन ठीक काम करे और हेल्दी कमीशन हो, तो जो टेलीफोन वाला उदाहरण देते हैं कि जब कभी कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, तो उपभोक्ता की जान बचेगी, बहुत रीजनेबल प्राइज पर उनको सामान मिलने लगेगा। आप कल्पना कीजिए, वही टेलीफोन वाला सामान, वही काम जो पहले एक सौ रूपए में होता था, वह आज दो रूपए में होने को तैयार है। इसका क्या कारण है? उसमें हेल्दी और फेयर कंपटीशन हुआ। जहां-जहां हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वहां उपभोक्ता शोषित हो रहे हैं। सरकार का ही तो यह काम है। लोग कहते हैं कि सरकार लाचार हैं, हेल्पलेस है और लोग बोलते भी हैं कि हम क्या करें, मार्केट फोर्स है? मार्केट फोर्स क्या है? बड़े आदमी का, जो पूंजीपति, उद्योगपति, मल्टीनेशनल है, उनका फोर्स है। सरकार का काम है उसमें संतुलन बनाना। यही उद्देश्य है और यही कंपटीशन स्पर्धा का मूल सिद्धांत है कि हम हेल्दी कंपटीशन करायेंगे। हम उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको रेग्युलेट करेंगे, लेकिन कहां रेग्युलेशन है? हम पूछते हैं कि रेग्युलेशन करने का जो काम था, कहां आपने उसे रेग्युलेट किया है, किसने रेग्युलेट किया है? उधर फ्री छूट है, जो जितना दाम चाहता है, ले रहा है। जो चाहता है, कर रहा है कि हम यह चीज बनायेंगे और यह नहीं बनायेंगे, लेकिन जिन चीजों की जरूरत उपभोक्ताओं को है, जो इसका उद्देश्य था, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। यही गंभीर बात इन सभी बातों के मूल में है। जब जिंदगी चलानी है, खरीद-बिक्री होना ही है, उत्पादन होना ही है, क्या यह व्यापार कारोबार आज से है? हमारे देश का सामान हिमालय से होकर, खैबर, बोलन घाटी से बाहर जाता था। अब बाहर से आने की आपने इजाजत दे दी। अब डब्ल्यूटीओ आ गया। यह मूल बात है कि आम उपभोक्ता को कैसे संरक्षण दिया जाए? चूंकि वह असंगठित है, अनआर्गनाइज्ड है, उसे जरूरत होगी तो बाजार में जो दाम होगा, वह लेगा, उसको पता नहीं चलेगा। यहां से वहां कम दाम में मिलता है, तो वहां से जाकर ले लेगा। लेकिन जब मोनोपाली हो जाएगी, बड़े आदमी बैठकर इसे तय करेंगे, तो क्या होगा? आप देखिए कि सीमेंट के दाम का क्या हाल है? फिर इसी तरह से छड़ के दाम का क्या हाल है? क्या इन लोगों की बात कोई सुनता है? कंपटीशन कमीशन कहां है? कहां पर मोनोपाली का रिस्ट्रिक्शन है? हम इसके लिए सवाल उठाते हैं कि आप देखिए कि किस वजह से सीमेंट के दाम बढ़े हैं या छड़ के दाम किस वजह से बढ़े? कोई बताये कि फलां लागत बढ़ गयी, इसलिए उसके दाम बढ़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लोग पूरी तरह से मालिक बने हुए हैं और सरकारी कर्मचारी की तरह लाचार हैं हम कि क्या करें, यह मार्केट फोर्स की वजह से है?

लोग आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या वे प्रार्थना करने से मानेंगे? इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए, टेलीफोन जैसे हेल्दी कम्पीटिशन होना चाहिए कि अन्य सामानों की खरीद में भी ऐसे होगा। आप देखिए सब गावों में हाहाकार मचा हुआ है। सीमेंट का दाम 6 रुपये, 10 रुपये, 120 रुपये से बढ़कर 325 रुपये हो गया है।...(व्यवधान) इसका विश्लेषण होना चाहिए कि उनकी क्या लागत है और वे कितना



मुनाफा लेंगे। यह उनकी मोनोपोली है। कम्पीटिशन कमीशन कहां है, मैं सवाल उठाता हूं? कहां मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन है? कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ एक तरफा चल रहा है। उपभोक्ता लाचार हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है। वे ज्यादा दाम में खरीदेंगे। वे जब कहते हैं कि पहले 120 रुपये दाम था तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अब 200 रुपये हो गए हैं। उनके पास क्या उपाय है? ...(व्यवधान) आप कारपोरेट सैक्टर के मंत्री हैं। कारपोरेट का बोलबाला है। आप मंत्री हैं तो उस पर नियंत्रण कीजिए। आप उसके लिए हैं या उन्हें छूट देने के लिए हैं।...(व्यवधान)

हमारा सरकार से आग्रह है कि इसका जो उद्देश्य था कि व्यापार, कारोबार बढ़े, लेकिन उसमें रेगुलेशन हो, नियंत्रण हो, हैल्दी कम्पीटिशन हो जिससे बड़े लोग गरीब और आम उपभोक्ता को लूट नहीं सकें। ऐसे करने से व्यापार खराब होता है। छोटे-छोटे व्यापारी त्रस्त हो रहे हैं। इसलिए इसे देखकर कानून को ठीक से लागू कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दो-तीन मिनट में छोटे-छोटे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं कम्पीटिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2009 के संबंध में कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। क्या यह विषय कम्पीटिशन कमीशन के अंडर आएगा? आज हम राजस्थान में पेट्रोल किसी और भाव से लेते हैं और यदि पंजाब में चले जाएं, तो और भाव हो जाता है, गुजरात में चले जाएं, तो और भाव हो जाता है। ...(व्यवधान) इस सिस्टम को देखना पड़ेगा। इसे ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ दिया, स्टेट के सेल्स टैक्स के साथ जोड़ दिया, लेकिन यह पेट्रोल पम्प के मालिकों के हितों पर कुठाराघात है और कन्ज्यूमर जो पेट्रोल लेता है, उसके हितों पर भी कुठाराघात है। ट्रैक्टर ओनर को तेल लेने के लिए राजस्थान से पंजाब जाना पड़ता है। कम्पीटिशन कमीशन को इस बारे में देखना चाहिए।


कुछ चीजें कम्पीटिशन कमीशन के परव्यू से बाहर होनी चाहिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स। अगर कोई उसे आर्टीज़न बना रहा है, हैंडलूम के आइटम का कोई आर्टीज़न बना रहा है, तो वह इसके परव्यू से बाहर होना चाहिए। यह उसके वर्षों की लेबर है, उसके हाथ का हुनर है जिसकी वजह से वह बना रहा है। इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसे किया जाना चाहिए। नहीं तो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के लोग परेशान हो सकते हैं।

डब्ल्यूटीओ का जमाना आ गया, उदारीकरण हो गया, बाजार खुल गया, यह बात सही है। लेकिन जब हम बड़े-बड़े मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि रिटेल प्राइस कुछ और होता है। प्रोडक्ट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड होता है, लेकिन दुकानदार का एक स्टिकर भी चिपका रहता है, जिसमें कुछ और दाम लिखा होता है। दाल में भी ऐसा ही होता है। क्या यह कम्पीटिशन कमीशन के परव्यू में आएगा?

यह दो-तीन छोटे-छोटे बिन्दु थे जिन्हें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाया हूँ।

SHRI SALMAN KHURSHEED : I am very grateful to all the hon. Members who made very valuable suggestions and also expressed, what I believe, very honest and genuine concerns about the area of competition law.

May I just preface it, before I take up the respective suggestions that have been made, by simply saying that the hon. Members must appreciate that the competition policy and the competition law in our country is still in its infancy. We still have a great deal to do and develop in terms of our own requirements, our own inputs and our own ideas of growth with equity and justice.

We have obviously learnt from examples of the United States of America; one of the hon. Members mentioned the anti-trust legislation that has been there for many years; we have looked at Europe, we have looked at South East Asia; and we have looked at Australia. We do believe that we have a very good legislation in place. But I do want to add that this legislation is **not** a panacea for every problem that exists in our system and our structure. 

सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था की हर समस्या न तो कम्पीटिशन से संबंधित है और न ही उसका निराकरण कम्पीटिशन कानून से हो सकता है। हमारी समस्याओं में उपभोक्ताओं की भी समस्याएं हैं। उपभोक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हम नहीं देखेंगे, बल्कि उपभोक्ता विभाग देखेगा। उपभोक्ता विभाग का एक प्रस्ताव है कि वह बहुत जल्द एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं— National Consumer Disputes Redressal Commission, a national Commission constituted under the Consumer Protection Act, 1986.

हमने भी प्रयास किया था कि एमआरटीपीसी के पास ऐसा काम है, जो कमीशन के पास जाना चाहिए, जो उस नैशनल कमीशन के पास जा सके। उन्होंने जब हमसे यह याचना की कि हमारे पास अभी वह इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह मानते हुए कि जब तक उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, अगर उपभोक्ताओं को हम कहेंगे कि आप इसकी प्रतीक्षा करें, तो वह बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमने उन सब मामलों को तत्काल ही अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया। ऐसा नहीं है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास काम नहीं है। लेकिन काम तभी होगा जब अपीलें उनके पास आयेंगी। अब अपीलें उनके पास तब आयेंगी जब कम्पीटिशन कमीशन अपने निर्णय सुनाना शुरू करेगा। कम्पीटिशन कमीशन बहुत सारे मामलों में अभी सुनवाई कर रहा है। उस सुनवाई के समाप्त होने पर उससे असंतुष्ट लोग ही फिर अपीलेट कमीशन के पास जायेंगे। अगर हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आये, तो फिर यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट बैठा क्या कर रहा है, उचित नहीं होगा। पहले हाई कोर्ट मामला तय करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जायेगा। मेरे

सम्मानित साथी पिनाकी मिश्रा जी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे, जानते होंगे। इन्होंने एडहॉकिज्म के संबंध में कुछ शब्द उपयोग किये और यह कहा कि “symptomatic of ad-hocism”. इन्होंने जो शब्द हमारी सरकार के लिए इस्तेमाल किये हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसका धरातल और इसकी बुनियाद आपकी सरकार, जिस सरकार से आप संबंधित रहे, वहीं पर आरंभ हुई थी। शायद उस समय आगे दो-चार साल नहीं देख पाये, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा। मैं भी यह मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2005 में आने के बाद हमें समय क्यों लगा? हमें समय इसलिए लगता है कि आज कम्पिटिशन कमीशन का मामला छोड़िये, आज कम्पनी बिल हम संसद के सामने लाये हैं। मैं कहीं नहीं कह पाता हूँ कि इस कम्पनी बिल को हम छः महीने या एक साल में पारित करा सकेंगे, क्योंकि संसद की अपनी व्यवस्था है। संसद विस्तार से हर चीज को देखती और समझती है। स्टैंडिंग कमेटी जब सुझबूझ से अपना निर्णय देती है, तो फिर हम नये प्रस्ताव तैयार करके लॉ मिनिस्ट्री, कैबिनेट और आपके पास ले जाते हैं।

पिनाकी जी, अगर कुछ ऐसा प्रस्ताव रखते कि किस तरह से संसद में तत्काल ये निर्णय लिये जा सकें और तत्काल ऐसे लेजिस्लेशन पारित किये जा सकें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर पाये, उचित नहीं होगा। हम सब नहीं कर पाये, कहना उचित होगा। पूरा विश्व क्या पूरा देश इस बात को देख रहा है। हमारी यह चिन्ता थी कि अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद और उस निर्णय में इतना समय निकला, अगर वह समय हमारे पास रहता, तो कम्पिटिशन कमीशन बहुत कुछ काम कर सकता। लेकिन क्योंकि उस निर्णय के कारण सब कुछ लंबित रहा, नये लोगों को हम उसमें ला भी नहीं पाये, उनकी नियुक्ति भी नहीं कर पाये और जब अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना तभी फिर ये कार्य तत्काल शुरू हुआ। अब हम उसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि किसी उपभोक्ता को कोई असुविधा न हो और जिस उपभोक्ता की समस्या या जिसका केस एमआरटीपीसी के सामने था, उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाये, फैसला किया जाये।

सदन को बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि जब से यह आर्डिनेंस आया है, कम से कम 30-40 केसेज का निराकरण अपीलेंट ट्रिब्यूनल कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो दो साल की अवधि रखी थी, उसमें सभी नहीं तो अधिकतम केसेज अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने समाप्त हो सकेंगे। उसके बाद वे अपने काम में फिर जुट जाएंगे। जब तक अपीलेंट ट्रिब्यूनल यह काम पूरा नहीं कर देता, तब तक एमआरटीपी की पूरी व्यवस्था उनके सहयोग के लिए रहेगी, जितने भी अधिकारी हमें चाहिए, डायरेक्टर जनरल, इंवेस्टीगेशन्स के साथ-साथ कार्यालय में जितने भी और लोगों की नियुक्ति हुई थी, वे सभी एक सुविधानुसार पूरा काम करते रहेंगे और इसमें कहीं आलोचना का कोई अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।...(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा : महोदय, मर्जर वाली बात का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री सलमान खुर्शीद: उसका जवाब मैं अंग्रेजी में दूंगा, क्योंकि आपने "मर्जर" की बात पूछी है।

श्री पिनाकी मिश्रा : इस तरह से पार्लियामेंट को क्यों फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है?

श्री सलमान खुर्शीद: नहीं-नहीं। फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, उस पर मैं विस्तार से जवाब दूंगा।

माननीय सदस्य श्री मजूमदार जी ने कहा है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यह संसद का निर्णय है कि यह ऐसा बिल नहीं है जिसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। जैसा मैंने बताया है यह सिर्फ प्रोसीजरल है, सिर्फ दो साल की अवधि जो एमआरटीपी को दी गयी थी, उसको वहां से शिफ्ट करके अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास लाए हैं।...(व्यवधान) मूल बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जा चुका है, वहां विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी और उनके सुझाव सामने आए थे।

मैं माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जो बात उपभोक्ता के सन्दर्भ में आपने कही है, उसे मैं उपभोक्ता विभाग और मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा, किन्तु जहां तक कीमतों की बात है, मूल्य की बात है, हम सभी चिन्तित रहते हैं कि कहीं भी बेलगाम मूल्य के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण न हो, लेकिन कंप्टीशन कमीशन का मूल्य से सीधा सम्बन्ध नहीं है। वह रेगुलेशन होता है विभिन्न विभागों के माध्यम से।

May I just also say in this context that the issue of multiple regulators is a matter of serious consideration. We have seen different models in the world where separate prudential sectoral regulators control even competition in their own respective areas and the Competition Authority is denied jurisdiction in such cases. There are other models in which there is an overlap between the Competition Commission or the Competition Authority and the concerned sectoral regulator. There are rules of engagement. We are trying ourselves also through consultations amongst all the sectoral regulators to see what kind of accommodation, rules of engagement can be provided so that there is no multiplicity of proceedings, no clash of interest or conflict and I can assure the House that this will not be seen as a point of view of turf battles but will be seen as providing maximum facility and convenience to those people who come for justice before the Competition Commission. Of course, the Competition Commission will be necessarily concerned with issues relating to competition in specific sectors as well. Those sectors in some cases have already provision to ensure that competition is taken care of. In some cases, they do not have that facility. We will be able to supplement and complement through the Competition Commission.

My learned friend and the hon. Member, Shri Pinaki Misra is concerned essentially about the notifications still pending Sections 5 and 6, essentially about mergers and acquisitions. I must take the House into confidence that this is an Act under which consciously and deliberately, the House ensured that provisions would be notified separately knowing fully well that a new regime was being put in place. I might explain the difference between the MRTP and this Act, as essentially like looking at a glass of water. Earlier, we used to think that the glass of water is half full. Now, we are looking at the glass of water as half empty. It could be *vice versa*. If I might briefly read out the purpose of the Act, which is in the Preamble of the Act itself, it says:

“An Act to provide, keeping in view the economic development of the country, for the establishment of a Commission, to prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in markets, to protect interests of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the markets in India and for matters connector therewith or incidental thereto.”

So, the purpose now is not only to prohibit and restrict; but also to encourage and to regulate. The expression that we like to use now is ‘enlightened regulation’, so that the purpose of growth is served – that is, the Indian companies continue to grow and enhance their coverage, not only in the country, but abroad as well, across the borders as well. However, not at the cost of curtailing competition. This fundamental issue has to be understood – competition must not be curtailed; it must not be curtailed by mergers and acquisitions; it must not be curtailed by agreements between separate entities for cartelization or for controlling prices and the expression used in the Act is ‘abuse of dominant position’. The issue is not whether a dominant industrial unit or a business house is actually dominating the market; the issue really is whether that dominant position is being abused in the market place.

Obviously, the presumption is that de-mergers do not automatically bring about more competition, but that mergers can be adverse to competition. This is the basic assumption under the Act.

But irrespective of whether there are mergers or there are no mergers, there would be intervention under sections 3 and 4, if it is found that the dominant position is abused – it could be abused by cartelization, and therefore there is an effect on prices; it could be abused by bid rigging. We see bid rigging even in rural areas. Even when a road is to be built or a building is to be built under AMGSY or under any other scheme, we find that wherever there is a bid for supply of materials or services, there can be and is a real and eminent of cartelization. This Act will prevent bid rigging and cartelization.

We will take a view on mergers and acquisitions. I want to assure the hon. Member and my learned friends Shri Pnaki Mishra and Shri Nishikant Dubey. We will take a view on mergers and acquisitions. There are three issues involved in mergers and acquisition, notification. One is the concern of our industry that this might be a major set back in their efforts to grow larger. Understandably, Indian industry, in front of global multinationals is still relatively small. And therefore, we need to encourage growth. But mergers and acquisitions, *per se*, must not be assumed to be anti-competitive. Mergers and acquisitions would well be seen as enhancing competition through consolidation. Certainly there are some sectors like banking, as learned friend Shri Nishikant Dubey pointed out, where there are feelers to us saying that consolidation of banking would suffer a set back if banking is not given an exemption from the completion Act.


As you know, exemption to any sector can be given by the Government. ...
(Interruptions)

SHRI PINAKI MISRA : We have the case of petroleum sector. ... (Interruptions)

SHRI SALMAN KHURSHEED: We have not had any feelers from petroleum. But as I said we have had feelers from banking because that has come from the Reserve Bank – it is also a much respected regulator; for us, it is a very important regulator. We certainly have not had any feelers from petroleum, unless this is the first feeler that we are getting from petroleum. ... (Interruptions) Let me assure the House that even without merger and acquisition notifications under section 5 and section 6 – if there is a case of misuse or abuse of dominant position, then the law will kick in with section 3 and section 4. That would not be a problem at all.

But there are some genuine concerns, and we want to address those concerns. Those concerns come not only from people amongst the industry and business, but also from people who are experienced in economic affairs, who give to us wisdom in the Government on how to respond to emerging modern economic trends. It is important that when we get ready to take a position on this; it must of course be a position that does not impact adversely India's growth profile in the world as an emerging economic power.

I think that is also very essential.

I must stand corrected if I am wrong on the figures that I have given. The figures that I have officially of the pending cases are not the figures that my hon. colleague on this side of the House, Shri Sanjay Nirupam has given. He says that the figure has gone beyond 2000, to be specific 2685, but the figure which I have is much lower than that. As I said, it is about 1186  but the fact is that they are now being looked at. Hopefully, pendency will continue to drop every month as we go along.

There were issues raised about automobile, steel, cement and textile sectors. I assure the House that as the Competition Commission continues to take these cases *suo motu* or on whenever complaints come before the Competition Commission, we will get much better accountability in this country as far as competition impact is concerned.

I mentioned the models that are available on mergers and acquisitions; there are models that allow for voluntary disclosure rather than mandatory or compulsory pre-merger disclosure. That is another issue that we are looking at. At present, we believe that the better view is that there should be mandatory disclosure. We will of course, address the concern that one hon. Member mentioned about seven months being too long. We will address that concern that there should be a limited period and total confidentiality should be observed during that period. I hope that the 210 days limit would be taken care of in due course.

Hon. Member, Shri Saha said that millions of poor people are getting poorer and a small number of people are becoming millionaires. Let me just say

that the Competition Commission is only one aspect of social, economic and political policy that this House approves. It comes in the form of the Budget. It comes in the form of the Prime Minister's speech regarding the state of the nation and it is the totality of our government's approach that we speak of growth with it, growth which is of inclusive nature. We do believe that what we are doing here is itself a part of that very commitment.

Hon. Member, Shri Pinaki Misra had said that the National Commission had its investigative agency and how will the Appellate Tribunal continue to work without an investigative agency. As I said, the MRTP provisions will remain intact till such time as these cases are disposed of and all the facilities and infrastructure that was available to MRTP will also be available to the Appellate Tribunal.

Shri Majumdar has said that we have no teeth, no power. That is not the case. If we have no teeth, no power as far as the CCI is concerned, people would not be so concerned about coming under the purview of CCI. That is why efforts are obviously being made for exemptions. Our view is, let us get every sector in the purview of CCI for the present. Let us see, as we go along with experience, whether it becomes important to make an exemption. It could be on a case to case basis. It could be when we do a review some months, or years down the road. But our present view is that it is best if everybody comes under one single law rather than have exemptions that give an indication, as the hon. Member said, that the will of Parliament is being undermined. The will hon. Members may please be assured that the of Parliament will never be undermined. We just want Parliament to stand with us in this nascent stage as we provide to this country an institution that will form an invaluable part of economic growth storey and economic policy in the years to come.

There was one last question and that was about the preponderance of bureaucrats, civil servants and judges as far as tribunalisation of law is concerned. This is something that my colleague, the Law Minister would answer better. But there is a general view that the High Courts have been overburdened. The hon. Law Minister is now working on a very enlightened grid on arrears and finding

ways and means through which over the next three to five years, we will become a much better adjudicated country. Nevertheless, there is a view and the Supreme Court has accepted this view that tribunalisation of justice in some specific areas of expertise and the emerging areas of economic management is advisable. That is the reason why several new tribunals have come into existence.

The selection process involves the Supreme Court as it would be a judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice or the Chief Justice himself. It is certainly true that we have a preponderance of civil servants but that is for the reason that the requirement for the Competition Commission is 15 years experience in allied fields of competition, economics and administration. For the Tribunal, it is 25 years of experience. So, 15 years and 25 years of experience respectively are to be conveniently found only amongst bureaucrats. Let us not think that bureaucrats in this country are in any way less determined and committed to national welfare. We can have the best amongst all of us and we can have not the best amongst all of us. It is the purpose of the Act and the Government to ensure the best minds are available.

We do realise that whenever new legislations are introduced and whenever a reform is initiated there are doubts about the implication and the impact. I promise the House that it is our intention that over the next few months we will see this Commission not only grow but also glow and give the message to the world that India not only means business but means business in a manner which is respectable, transparent and effective in terms of translating the will of the people and the will of Parliament into something substantial and concrete.

With these words, I commend the Bill to the House for passing.

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने केसिस की जो संख्या बताई है, वह मंत्रालय से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर है। एमआरटीपी अंडर सैक्शन 10 A (1) के अंतर्गत 211 केसिस हैं। एमआरटीपी अंडर सैक्शन 8 (3) के अंतर्गत 259 केसिस हैं। जब मैंने गिनती करनी शुरू की, तो लगभग 2000 से ज्यादा केसिस हैं। ये केसिस एमआरटीपी कमीशन के अंदर और नेशनल कमीशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, वे केसिस भी चूंकि ट्रांसफर होने वाले हैं, वे सभी केसिस मिलाकर 2000 से ऊपर होने वाले हैं।

श्री सलमान खुरशीद : मैं इतना स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि नेशनल कमीशन का हमसे कोई संबंध नहीं है, वह एक और मंत्रालय में है। मेरे पास जो फिगर्स हैं, वे मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the Competition Act, 2002, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SALMAN KHURSHEED: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.



15.55 hrs.**STATE BANK OF SAURASHTRA (REPEAL) AND THE STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS) AMENDMENT BILL, 2009**

MR. CHAIRMAN : The House would now take up item no. 16 – State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I, on behalf of Shir Pranab Mukherjee, beg to move:

“That the Bill to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

Sir, the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009 was introduced in the Lok Sabha on 4th December, 2009 to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and to make consequential amendments in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. All shares of the State Bank of Saurashtra rests in the State Bank of India. In view of the recent developments in the international banking scenario and for the better functioning, the State Bank of India, with the sanction of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, entered into negotiations of acquiring business including the assets and liabilities of the State Bank of Saurashtra. Accordingly, the acquisition of the State Bank of Saurashtra Order 2008 was published in the Gazette of India on 13th August, 2008. After the acquisition of the State Bank of Saurashtra by the State Bank of India, the State Bank of Saurashtra ceases to exist and therefore it is necessary to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and to make consequential amendments in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

MR. CHAIRMAN :Motion moved:

“That the Bill to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति महोदय, आज यह जो सौराष्ट्र बैंक रिपील का बिल सामने आया है और एक प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके मर्जर की बात उसमें आई हुई है, धीरे-धीरे ऐसा होना है कि एक के बाद एक छोटी मछलियों को खाने की बू इसमें कहीं न कहीं आती है। पहली बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं आर्थिक बातों की विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन 1959 में जब स्थानीय बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के छत्र में लाने या सहयोगी बनाने की दृष्टि से जब यह अधिनियम लागू किया गया था, उस समय वास्तव में जो बात दिमाग में थी कि 1955 में यह बात सामने आई थी कि निजी बैंकों की उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। गांवों के लोगों को या निजी किसानों को साहूकार के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार आवश्यक है और चूंकि उस समय राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था लेकिन जहां तक मुझे याद है, इम्पीरियल बैंक को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, मगर उसके बाद भी कहीं न कहीं ग्रामीण और शहरी इन दोनों के विकास का असंतुलन बढ़ता गया और ग्रामीण क्षेत्र में या मैं यह कहूंगी कि अपने-अपने प्रदेश में छोटे छोटे स्थानों पर लोगों के विकास की दृष्टि से बैंकों का जितना विस्तार होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा था। एसबीआई भी इसमें कहीं न कहीं दिख रही थी और तब एक बात सामने आ गई कि इस असंतुलन को कैसे दूर करें और इस असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से यह विचार किया गया कि क्षेत्रीय पहचान वाली जो बैंक्स हैं, अलग-अलग रियासतों ने अपने-अपने क्षेत्र में जो स्थापित की हुई बैंक थी, चाहे बैंक ऑफ त्रैवणकोर हो, बैंक ऑफ इंदौर हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो।

16.00 hrs.

ऐसे अलग-अलग बैंक जिनका इंटरस्ट भी स्थानीय होता था। स्थानीय लोगों के स्वभाव और अस्मिता से जुड़ा हुआ ऐसा एक बैंक था, जो स्थानीय विकास में सहभागी होता था, सहयोगी बनता था। ये बैंक अपने-अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में ज्यादा इंटरस्ट लेते थे इसलिए इनका सहयोग लिया जाए।



16.0¼ hrs.*(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)*

मैं समझती हूँ कि जब 1959 में अनुषंगी बैंकों का बिल लाया गया, तो मन में यह बात आई थी कि इन सभी बैंकों को बड़ा दर्जा दिया जाए और स्टेट बैंक से जोड़ा जाए ताकि ये बैंक अपनी जगह पर अच्छे तरीके से काम करें। मैं इन्हें छत्रछाया में लेने की बात कह रही हूँ, तब विलय की बात नहीं थी। यह राष्ट्रीय विकास का एक दृष्टिकोण था और इस दृष्टिकोण को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा था। आप इस राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते रहें और आगे बढ़ाने में सहयोग दें। यह बात 1959 के अधिनियम के अंतर्गत थी। इसमें विलय की बात कहीं भी जरा सी भी नहीं थी। इसमें इन्हें अनुषंगी बैंक बनाया गया था। हालांकि अपर हैंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही था। इसमें कई ऐसे प्रावधान थे जैसे - चेयरमैन एक्स ऑफिशियो रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कहेगा, जैसे एडवाइज करेगा वैसे इन बैंकों ने चलना है, आरबीआई सबसे बड़ा रहेगा। ऐसा लगता था कि ये बैंक उसी तरह से काम करेंगे जैसा स्टेट बैंक चाहेगा। वहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन अगर हम अपने स्टेट में देखें कि इन बैंकों ने, छः-सात बैंकों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया।

मेरा अनुभव है और मैं इसलिए इतने विस्तार से बता रही हूँ क्योंकि इसका अगला भक्ष्य मेरे यहां का स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है। यह भक्ष्य बनने वाली है। मैं अंतर्मन से बोल रही हूँ कि यह पहचान थी, अपने प्रदेश की पहचान थी। ये बैंक अपनी संस्कृति की पहचान हैं। ये बैंक आपकी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छत्रछाया में काम कर रहे थे और वास्तव में यह तय था कि विलय नहीं करना है। यह तय था, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि 2007 में एक अधिनियम लाया गया था और यह संसद में पास हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का संशोधन लाया गया था और इसमें कई सारी चीजें सहयोगी बैंकों को दी गई थी कि अपना अलग चेयरमैन बना सकेंगे, पूंजी बढ़ाने का मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकेगा, निदेशक मंडल को स्वायत्ता दी जाएगी। इसमें ये सभी प्रावधान किए गए थे। मैं 2007 के संशोधन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ क्योंकि उस समय भी विलय की बात दिमाग में नहीं थी। इसमें उलटा इन बैंकों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी कि अपना चेयरमैन बनाओ, एक्सऑफिशियो नहीं, आपका अपना निदेशक मंडल रहेगा, अपना कारोबार और बढ़ाओ। यह संसद में पारित है। मैं संसद में पारित बात पर जोर दे रही हूँ क्योंकि आगे यह बात आएगी। यहां भी यह बात दिखती है कि ये बैंक अच्छे काम कर रहे हैं। यह वास्तविकता भी है। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अपना लगता है। मैं केवल इंदौर की बात नहीं पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कह रही हूँ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था इसलिए यहां के लोगों को लगता है कि यह हमारा अपना बैंक है। उसी तरीके से वे उसकी तरफ देखते हैं, निवेश करते समय भी, बैंक में पैसे रखते समय भी, बैंक से लोन लेते समय भी और बैंक का लोन रीपे करते समय भी यही एक भाव मन में रहता है कि यह

मेरा अपनी बैंक है। उसी के अनुसार यदि आप देखो तो इनसे जो अपेक्षा थी कि ग्रामीण क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश बढ़ाइये तो यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को देखो तो 2008 में साख जमा का अनुपात 115 परसेन्ट है यानी अगर उन्हें सौ रुपये मिले हैं तो उन्होंने 115 निवेश किया है।

दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इतना नहीं किया है, उसने 80 प्रतिशत किया है। इसके अलावा बाकी भी कई सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इसने ज्यादा से ज्यादा विकास की तरफ ही ध्यान दिया है। 2007 में आप एक प्रकार से यह बात करते हो और मुझे नहीं मालूम तुरंत एक ऐसी कोई वैश्विक बात आ जाती है और उसमें यह होता है कि पूरे विश्व में हमारे हाथ में कोई एक बड़ा बैंक होना चाहिए। ठीक है, वैश्विक परिस्थिति बदल गई और इसलिए लगता है कि बाहर के बड़े-बड़े उद्योग आयेंगे, उन्हें देने के लिए हमारे पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए। इसलिए छोटी-छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट बढ़ाओ। जो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं। जो कहीं न कहीं अपने-अपने प्रदेश के विकास में लगी हुई हैं। जो कहीं न कहीं अपने-अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो अपेक्षित भी है। इसके बाद में पूछना चाहूंगी कि इतना करने के बाद भी यह संभव हो रहा है, यदि देखा जाए तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे विश्व में हमारा नम्बर 64वां है। बीच में मैंने यह भी सुना था कि एक मीटिंग हुई थी कि सभी बड़े बैंकों का विलय करके क्या हो सकता है, इस बात पर भी सोचा गया था। ऐसा सोचने के बाद जो बात सामने आई थी, वह यह थी कि यह होने के बाद भी हम 50वें नम्बर पर आ सकते हैं, पहले नम्बर पर फिर भी नहीं आ सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पास आंकड़े हैं, मगर आंकड़े आपके पास भी हैं, इसलिए मैं वे आंकड़े यहां दे नहीं रही हूँ। यह देखकर भी जो बड़े-बड़े बैंक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या सिटी बैंक हो, जिससे भी आप तुलना करना चाहोगे तो सब छोटी-बड़ी मछलियों को खाने के बाद भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं यह कहती हूँ कि यदि पूर्ति हो भी रही हो तो आखिर हम करना क्या चाहते हैं? यदि आपको बड़ा बनना ही है तो अपने ही तालाब का कुछ खाने के बजाय दूसरे सागर में से कुछ खींचकर लाओ, किसी विदेशी बैंक को अपने में विलीन करो, वहां की छोटी-छोटी बैंकों का विलीनीकरण करने के प्रस्ताव लाओ और फिर बड़े बनो तो बात समझ में आती है। लेकिन वास्तव में मेरे यह बात गले नहीं उतर रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें एक बात यह हो गई, जिसका मुझे दुख हो रहा है, हमने बीच में एक ऐसा स्टेटमैन्ट पढ़ा कि अब इसके आगे नहीं करेंगे यानी हम लोगों को तो खा लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का शायद प्रस्ताव कर लिया और वह प्रस्ताव भी आप आड़े रास्ते से कर रहे हो, चोरी-छिपे कर रहे हो और फिर सदन में ला रहे हो। जैसे बैंक ऑफ सौराष्ट्र का आपने किया। मुझे नहीं मालूम कि इससे कर्मचारियों का थोड़ा बहुत फायदा हो भी सकता है, मगर मैं अभी

इसलिए आश्वस्त नहीं हूँ, कि एसबीआई में विलीनीकरण के बाद इनकी जो सीनियरटी बनेगी, वह सीनियरटी किस प्रकार से बनेगी, मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ।

बैंक ऑफ सौराष्ट्र की भी मैंने जो थोड़ी बात देखी है, वे तीन-तीन वर्ष पिछड़ ही रहे हैं, लेकिन समान रूप से एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से कहीं न कहीं कर्मचारियों का कोई बहुत बड़ा फायदा इससे नहीं होगा। वैसे भी आपकी दृष्टि कर्मचारियों के फायदे पर नहीं है। आज की तारीख में आप कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं देख रहे हो, ना आप हिंदुस्तान के उस गांव के गरीब और किसान का फायदा देख रहे हो कि उन्हें हम कुछ ज्यादा दे सकें, इसके लिए हम अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, ताकि किसान को हम ज्यादा कर्जा दे सकें, गांव के छोटे उद्योग को हम ज्यादा कर्जा दे सकें, इसके लिए हम बड़े बन रहे हैं तो भी बात समझ में आ जाती। वह उद्देश्य अनुषंगिक बैंक बनाने के समय था। किसी को खाने के समय यह उद्देश्य नहीं है। आज आप अपना उद्देश्य यह बता रहे हो कि हम विश्व में बड़े बनेंगे। अगर विश्व में बड़ा नहीं बन रहे हैं तो यह सब कवायद क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे की बात है। यह क्यों कर रहे हैं, इससे कौन सी आप की जोखिम क्षमता बढ़ रही है, कौन सी लाभप्रदता बढ़ रही है क्योंकि मंत्री महोदय ने वैश्विक की बात कही थी? विश्व को दिखाने के लिये यहां के लोगों को पहले खाया जाये और छोटे बैंकों की जो प्रासंगिकता है, वह समाप्त करते जा रहे हैं। हमारी अपनी एक पहचान थी। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बात कहना चाहती हूँ। यहां के महाराजा ने उस बैंक को खड़ा किया। हमने लोगों को लगा कि यह हमारा अपना बैंक है और जो मैनेजर बैठा हुआ है, वह अपना आदमी है, हमारे विकास की बात करेगा और गांव-गांव में ब्रांचेज़ खुलेंगी। हम न केवल मध्य प्रदेश के लिये कह सकते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग भी उस बैंक को अपना मानते थे क्योंकि वे सोचते थे कि यह बैंक उनके विकास के लिये काम कर रहा है। अब यह अपनत्व का भाव समाप्त हो जायेगा।

जो कर्मचारियों की भावना होगी, विलीनीकरण के बाद उनके ट्रांसफर हो जायेंगे। बैंक की पौलिसी है कि हर तीन साल के बाद ट्रांसफर होना है। हर आदमी अपना बिस्तर बांधकर तैयार बैठा है कि न जाने कहां जाना पड़ेगा? गुजरात के आदमी को आप न केवल डिसप्लेस कर रहे हैं बल्कि डीस्टेबल कर रहे हैं। उस आदमी की काम करने की मानसिकता समाप्त हो जायेगी। जो इस में संतुलन और स्थिरता होनी चाहिये, वह नहीं है। अगर इन सब मूल्यों पर बात आ रही है तो आपको पुनर्विचार करना चाहिये कि आप विश्व में बड़े नहीं बन रहे हैं। आपने 2007 में संशोधन किया लेकिन आज उसके उलटे जा रहे हैं। कुछ कदम जाकर कुछ मछली खायेंगे जबकि आप चुप रहने की बात कर रहे हैं। आपने मूल उद्देश्य को लेकर विलीनीकरण की बात कही थी जो आपका सफल नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि जो बाकी पांच बचे हुये बैंक हैं, उनका विलीनीकरण नहीं कर रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट इस

आशय का संदेश दे रहा है कि बड़ा बनने के बजाय मुझे लग रहा है कि आपने अपना प्रस्ताव कहीं न कहीं डैफर कर दिया है क्योंकि आप वैश्विक नहीं बन सकते हैं। इससे फायदा नहीं है क्योंकि विश्व के बैंकों का अपना दिवाला निकल रहा है और बड़ा बनने के लिये आप अपने को संभाल नहीं सकते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं कि आगे पांच बैंकों के लिये नहीं सोचेंगे, मेरा सोचना है कि अगर आपका यह मन है तो आड़े रास्ते पर जा रहे हैं। अगर ऐसा था तो पहली बात यह होनी चाहिये थी कि जब यह ससद द्वारा बनाया हुआ अधिनियम है तो इसके विलीनीकरण के पहले यह प्रस्ताव विचारार्थ संसद में आना चाहिये था जो नहीं आया। आपने कहा कि सब प्रक्रियायें पूरी कर दीं और केवल बैंक ऑफ सौराट्र का नाम समाप्त हो गया, इसलिये यह संशोधन विधेयक संसद में आया है। यह 1959 में संसद द्वारा बनाया गया कानून है और वर्ष 2007 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ तो संशोधन भी संसद के द्वारा होना चाहिये था। आप गलत बात क्यों कर रहे हैं, एक आड़ में बात क्यों की जा रही है? यह नहीं होना चाहिये। विलीनीकरण के पहले चर्चा के लिये संसद में प्रस्ताव आना चाहिये था जो यहां नहीं आया। इसलिये मेरा इस पर विरोध है।

दूसरी बात यह है कि इससे सरकार को जो साध्य करना था, वह आप नहीं कर पाये। एस.बी.आई. जो बैंक बनाना चाहती है, आंकड़ों के हिसाब से जो जमा-पूंजी करनी चाहिये थी, वह आप नहीं कर पाये हैं। यह बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बाकी पांच बैंकों का विलीनीकरण नहीं करना चाहेंगे तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराट्र क्यों? इस पर कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिये। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से आपकी काम करने की प्रवृत्ति है, यह तानाशाही प्रवृत्ति हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के संदर्भ में जो हमने देखा है, जो प्रस्ताव हुआ, एक सुबह एग्जीक्यूटिव के सामने प्रस्ताव आता है, पहले से कोई जानकारी नहीं है, एकदम अचानक आखिर में सब प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव आता है कि हम यह मर्जर का प्रस्ताव रख रहे हैं और वह पास भी हो जाता है। उसी समय बैंक ऑफ इंदौर में भी वही प्रस्ताव रखा जाता है और उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां आपको करना है, वहां भी यह उसी समय हो जाता है। इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है। मैं चाहूंगी कि बैंकिंग सिस्टम में ये गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इसमें जो स्थानीय लोगों का भाव है, जो स्थानीय आधार पर लोग काम करते हैं, वे सांस्कृतिक पहचान को कायम रखते हैं। बैंकिंग केवल पैसे का लेनदेन नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इससे कभी भी बैंक आगे नहीं बढ़ सकता है। उस बैंक के साथ एक आत्मीयता होना आवश्यक है। बैंक अगर केवल पैसे का लेनदेन करने वाली मशीन होती तो जिस प्रकार एटीएम मशीनें जगह-जगह लगायी हैं, ऐसे ही लगा लीजिए। यह नहीं होता है। इसमें भी इस प्रकार के जो बैंक्स हैं, जिनकी अपनी एक स्थानीय पहचान है, उनके साथ कहीं न कहीं वहां का समाज, वहां की संस्कृति जुड़ी हुई है। जो अपेक्षा सरकार करती है कि हम गांव-गांव में जाएं, गांव-गांव के विकास के साथ हम जुड़ें, इसके लिए अगर आप योजनाएं बनाते हों, तो जो प्रादेशिक स्तर पर

स्थापित बैंक्स हैं, वे यही काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। यह दिखावे के लिए आप यहां पर आये हैं, इसे मैं संसद का अपमान मानती हूं। मुझे माफ कीजिए, मैं अपमान इसलिए बोल रही हूं क्योंकि विलीनीकरण के पहले चर्चा के लिए संसद में प्रस्ताव आना चाहिए था। यह मेरी मान्यता है और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। यह विधेयक संसद द्वारा पारित है। यह 1959 का कानून संसद द्वारा बनाया गया है और उसके बाद वर्ष 2007 का संशोधन भी संसद द्वारा किया गया। वह संशोधन फिर क्यों किया? उसके बाद अब आप इसे पूरा विलीनीकरण का काम होने के बाद, मर्जर का काम होने के बाद, खाने का काम होने के बाद डकार देने के लिए आप संसद में आते हो, जो बहुत गलत है। मेरा निवेदन है कि, मैंने ये दो या तीन प्वाइंट रखे हैं, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहूंगी, आज आप जो प्रस्ताव लाये हो, वह गलत है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सौराष्ट्र बैंक के लोगों ने भी इसका विरोध किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की जो बात है, हम उसका भी विरोध ही करेंगे। कम से कम आप इससे जागरूक हो जाएं और आगे इस तरीके के प्रस्ताव न आएँ, यही मेरा निवेदन है।

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I rise to support the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill moved by the Hon. Minister Shri Meena.

While supporting this Bill, I would like to mention certain things related to this Bill. I have been listening with great interest to understand what Shrimati Sumitra Mahajan was trying to make out. I probably thought that this being, as it was said in the earlier discussion by Shri Pinaki Misra – an innocuous piece of legislation, so this will receive the attention or support of the different sections of the House. Even though I failed to grasp what exactly was the difference that Shrimati Sumitra Mahajan was trying to make out, yet I am happy that they are now seems to be concerned about the rural areas, farmers and the poor people. Normally, Shrimati Sumitra Mahajan's Party is concerned about the *Mandir* and *Masjid* only.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : That is what you always feel and not we.... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : At least now, they are showing concern about the rural areas and the poor people. I think I must appreciate Shrimati Sumitra Mahajan.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : You make the poor the poorest!... (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : This Bill has come before this House. Maybe, any hon. member in this House has got the opportunity or the right to say that this should have been presented in the House first before the ordinance was issued.

We have to understand how this merger has taken place. The fact is that the merger has taken place. How did this merger take place? The State Bank of Saurashtra was formed under the State Bank of Saurashtra Act of 1950. Subsequently, in 1959, the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act was also passed. Both these Acts were passed by this Parliament only. But now acquisitions and mergers are the order of the day. We know that not only in banking companies,

but generally in all companies acquisitions and mergers are taking place. Sumitraji will also agree that all these acquisitions and mergers are happening because of the changed scenario in the whole world. Science and Technology has developed to a stage that today the world is a global village. It is not that we are ignoring the poor and it is not that we are not concerned about the rural people or the farmers. The technological explosion has made the whole world into a global village. So, competition is important now. What do you mean by 'competition'? There is a competitive atmosphere in the whole world. We cannot shy away from that. We have to compete with all the big banks in the world, not with the big banks in India. We have a very good set up in the banking sector. We should compliment the Indian banking system and the control imposed by the Reserve Bank of India.

Sir, the beauty of our democracy is that when there is nationalisation, then there is opposition and when there is denationalisation then also there is opposition. It is good also because unlike in many other countries, in our democracy we have the maximum freedom and so everybody can criticise.

Coming to the subject, I would like to say that when banks are competing in the international field, we should also have a State Bank of India which is as big or as competitive as that of any big bank in the world. Should we not have a big bank of international size? There are some apprehensions. Sumitraji also mentioned about the issue of the failure of some of the big banks in the world. This is there in the back of my mind also. Banks like Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch etc., have failed. Too big does not give any guarantee that it will not fail. How a bank is functioning, under what control, under what guidance, that is more important.

There is a background, there is a history to the banking sector in this country. We remember the days when all the banks in this country belonged to the business groups. Bank of India was Tata's Bank, United Commercial Bank was Birla's Bank etc. belonged to big business groups. There was a time when all the big banks were owned by the big business houses in the country. How did they become national banks? How did they become people's banks? I remember the days as a student activist in 1969 when Indiraji nationalised the banks in India. We

all took out torch light processions in the streets supporting it. In those days also, some parties looked at it with an element of doubt and said that it is a populist measure. So there were some criticisms. But the nationalised banks, as a whole, in the country were made people's banks and this was done by Indiraji in 1969. That is the greatest achievement of the Congress Party.

What happened after that? The banks have started growing. Today, as mentioned, banks are spreading into rural areas. Today, there is a bank branch for every 10,000 people. This is has to be expanded further. I am sure that most of the Members of this House, by the grace of God, will have the privilege to see the India after 15 years. What are we envisaging? We want that every Indian should have a bank account. We should reach that level. I know that there is poverty in the rural areas. Keeping that in mind, I think, social transformation is required. Nobody can stop that. A day will come when every Indian will have a bank account and above poverty line.

So, banks are spreading in such a way that today, after nationalisation, banking services are available throughout the country. State Bank of Saurashtra, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, all these are subsidiary banks. Even in the instant case, the Board of Directors of the State Bank of Saurashtra met and considered the offer made by the State Bank of India. The State Bank of India in its Board decided to make a negotiation. They obtained the order from the Government of India; they had the sanction of the Reserve Bank of India. I do not understand what was circumvented, what was overtaken, what was bye-passed. For the sake of difference, you can make a difference, but I know whether they have observed the rules of the game. They observed the permission from Reserve Bank, then the Government of India, then they negotiated and they made an offer. The State of Saurashtra could have very well rejected that. Nobody was forcing them saying that you should accept this. The Government of India did not say that. The Reserve Bank did not say that. The Bank of Saurashtra, in its wisdom, in its Board of Directors, has decided that here is an offer we will accept it.

I would like to bring it to the notice of the hon'ble members that today any service conditions in the State Bank of India are far better than any other subsidiary banks. We are all living in the same country. I would request everyone not to get unnecessarily worried about this kind of organisational arrangement which is going to take place. Why should we see this with a pinch of salt? Is it really necessary, when it is strengthened, when this country is going to have a bank which can compete with any big bank of the world?

Today big business people or investors are coming to this country. Their requirement or even the requirement of the poorest of the poor in the village or the ordinary farmer, all this can be catered to. It depends on the size. Our capacity to compete with big banks does not mean that we are ignoring the rural people, we are ignoring the villagers or ignoring the farmers. The fact remains that this was done after observing all the rules.

Today, what is the necessity? As said by the hon. Minister, the Bank of Saurashtra is no more there. On the 13th of August 2008, as per the order issued by the Government of India, the Bank of Saurashtra is merged with SBI. Still, Sumitra Ji is saying that this should be withdrawn. I would like to bring to her notice that it is not there. So, the Bill is to be passed.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : That is why I have said कि यह बिल मर्जर से पहले आना चाहिए था।

SHRI P.C. CHACKO : Yes, there is a logic in that. It should have been done earlier. I agree with that.

But the point is that, it is with the full understanding and full discussion, full consent that both banks come together, they obtained the permission of the Government and they come together in the larger interest of the country, in the larger interest of the banking industry as a whole and today they are emerging as a bigger bank, stronger bank capable to cater to the ordinary man and capable to cater to the international business as well and to take care of the interest of this country's future. So, in that kind of a situation this Bill is essential and to be

accepted. Since the State Bank of Saurashtra is not there, the repeal of the Bill is one part of that.

The twin objectives are one is to repeal and the other is amendment. Amendment is because the subsidiary Bank of Saurashtra does not exist so whatever was referred to in terms of Bank of Saurashtra is to be deleted. Probably, with all the differences in approaches and ideology, this is something where we can give and lend our support together.

But at the same time, there are certain apprehensions. I want to, of course, share with some of the apprehensions expressed by my hon. colleagues. The question is that merely becoming big in size does not mean that it is stable because in the international scenario we see certain things. Certain dangers are lurking. So, here there is a system where the Central Bank of India, that is, the Reserve Bank of India has got a very effective control on the banking system in this country. Whether it is an ordinary scheduled bank in a village or the State Bank of India, every bank is guided by the rules, regulations, restrictions, etc. of the Central Bank of India, that is, the Reserve Bank of India. Today, nobody's money is at risk.

Lehman Bank had a crisis or Merrill Lynch had a crisis. But what is the difference of the Indian banking system? One thing is certain that a single penny of any Indian which is in any bank in India is hundred per cent safe and guaranteed. No bank in India will be a flop. It is because of the control of the Reserve Bank of India. So, it is under the guidance of the Reserve Bank of India that these banks have come together and they are now merging and coming together and these kinds of mergers may become necessary, for other general banks also.

What are we attaining and what are we achieving? Definitely it is more competency and more capability to survive in the given situation. But, at the same time, international monetary crisis and international financial crisis have happened. It is a rare occurrence of the recent past. That should always be a reminder to us. If the system of control is not effective and not proper and if everything is left to the market forces or the private sector or whatever it is, as many people are advocating, then probably which has happened to many of the international banks



would be lost, and it is an example before us. I am sure that this will not happen in India because effective control is available in this country. But, at the same time, Sir, today three trillion US dollars were extended by international community to salvage the international banking system after they had collapsed. It is almost three times of India's GDP. It is a huge amount of money which was pumped to save the international banks which had. That shows that in the banking system, the controls and restrictions imposed by the Reserve Bank of India and the controls by the Government are giving the protection to Indian banks as never before, and these are not seen in many other countries.

The fact is that when we are strengthening the banks, we should also be very much aware of our social responsibilities. When the banks are growing bigger and stronger, it does not mean that it is for catering to the big business people and forgetting the common man. Even today, whether it is the ordinary farmer's loan or whether it is the education loan extended to meritorious students or whether it is the loan to the trader or anything for that matter, the Indian banks are capable of catering to these sections because of the resources available to them and because the resources that are available in this country are utilized in a very judicious manner. So, Sir, here we are strengthening the banks to cater to the poor. If that is the slogan, then where is the doubt? We need not have any apprehension on this score.

So, I think, probably there is nothing reasonable or logical to oppose this Bill being passed here. This kind of a situation gives us an opportunity to look a little deeper into the banking scenario, and also see whether the requirements of the people or whether the services as desired by the Government or whether the policies declared by the Government are available to the people.


Sir, the other day, in this august House, there was a question asked about the facilities or the services available to the people from the banks, and also the review being done by the Government. The fact remains that those who are at the helm should think that every pie that is available in the Indian banks belongs to the people of this country. If their welfare is not taken care of by the banks as a whole, then they do not have the legal right to exist.

Sir, probably, our banks are now developing as a model for the whole world. When the banking industry all over the world is failing, the Indian banking system is faring well, and it is proving as a model and an inspiration to the whole world.

The State Bank of Saurashtra has been merged. There is one thing, that is, about the sentiment. It is said that the State Bank of Saurashtra is a sentiment for some Member; the State Bank of Indore is a sentiment for Sumitra ji; the State Bank of Travancore is a sentiment for me; and the State Bank of Mysore is a sentiment for some Member. So, the sentiment is important. But, at the same time, the State Bank of India is a sentiment for the whole of India, and as a member of the biggest Opposition Party, she should rise up to that level. When it is the sentiment of Saurashtra, it is the sentiment of India also... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : There is the Bank of Travancore also... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

SHRI P.C. CHACKO : I feel proud when I hear Travancore. But at the same time I can be equally proud when hear India also. 

Sir, the point is that every inch of this country belongs to India. There is a Travancore, there is an Indore, there is a Saurashtra, and there is an India as a whole. That India is more important to us. Today, we are getting a bank, a bigger bank, a competent bank, a capable bank, which can cater to the growing economy of our country. Look at our rate of growth today. Even in a crisis situation all over the world, India has achieved almost 6.8 per cent rate of growth. The rate at which we are growing today, it is another 10 years time – whatever may be the prophesy of the prophets of Doom –that India is going to emerge as a big economy, a powerful economy. For that kind of a situation, we need a supporting mechanism.

Therefore, to help the growth of this economy, a strong and vibrant banking system is necessary. What had happened in the past is history. But, we are looking for the future, now. There are so many banks, like the Scheduled Banks, Commercial Banks, nationalized banks and foreign banks. Hundreds of banks are

there. Banks are doing very well in India. Even the small banks are also doing very well. Take for example, the growth of deposits, the case of Non Performing Assets. In all these parameters, Indian banks are emerging as a model in the whole world. Forget the subsidiaries of the State Banks, the profitability of even the smaller banks is increasing. Their NPA is coming down. Their deposit is increasing. They are catering to the poorer sections of the society.

But the fact remains that mergers and amalgamations cannot be ruled out because that is all part of the present day scenario. It is a fact that the banks, even though the smaller banks, are working well because of the guidelines of the Reserve Bank of India. But at the same time, with the same guidelines and same control remaining there, the smaller banks are coming together. That is why the Government of India is now encouraging amalgamations and acquisitions. This all has got a very clear roadmap. There is no ambiguity about it. It is not that anybody is doing things at the back of somebody and after doing everything, they are coming to the Parliament. It is all very transparent. It is all according to the norms and guidelines that all these things are being done.

Sir, today, probably, it is another historic moment. In 1969, banks were nationalized. Now, people are asking that earlier we got nationalization of banks; and now it is all privatization. It is continuity in a chain. It is because the world is changing. You cannot remain where you were, like our Communist friends are doing. They are still living in the past; they are still living 50 years back or 100 years back. We cannot remain like that. The whole society is moving; the whole world is moving. So, we have to move with the world. In that kind of a situation, probably, this is an unavoidable reform, which this Parliament has to give consent to.

Probably, the place we are coming from, a bank with that local name, always gives some kind of an identity or inspiration. But seeing the growth of this country, seeing the growth of this economy, and seeing the way our banks are propelling this growth, we need big banks. That kind of a situation is needed. It is a welcome thing that these kinds of mergers are taking place.

Now, both the repeal of the Saurashtra Bank Act and the Amendment in the State Bank of India Subsidiary Act are done. So, instead of taking a negative and pessimistic approach to the whole question whenever it is coming, let us, with optimism, wait and see, how it is going to emerge. It should not be our approach: “Let us all oppose it because it is brought from the Government side.”

So, with optimism, with confidence and with great vision for our future, let us hope an India without poverty, an India where the entire population is above poverty line, An India of the dreams of Rajiv Gandhi. Those days are going to come. In that kind of a situation, this merger will help to have social transformation in a big way.

Therefore, Sir, I wholeheartedly support this Bill and I feel that this is a necessity. In spite of minor or technical opposition, I hope that the entire House would support this Bill. I congratulate the hon. Minister, Shri Meena, for bringing forward this Bill for consideration of the House.

With these few words, I conclude.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश करते समय कुछ बातें रखीं। जैसे अभी चाको साहब ने कहा कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह बात सत्य है कि उस वक्त हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई देश में एक क्रान्ति हुई है, खासकर जो गरीब लोग हैं, उन्हें इन बैंकों से सुविधाएं मिलेंगी। गरीब से गरीब आदमी भी इन बैंकों से लाभ उठा सकेगा और उसका विकास होगा। मेरे ख्याल से यही सोचकर स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसी सदन में पिछले सप्ताह श्री गुरुदास दासगुप्ता ने बैंकों के विलय के बारे में कॉलिंग अटेंशन में बड़े विस्तार से अपनी बात कही थी। हमने सदन में भी सुना था। हमारे सदन के नेता, वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जब जवाब दे रहे थे, तो यह बात रखी थी कि सरकार का इससे कुछ लेना-देना नहीं है, चाहे विलय का मामला हो या बैंकों के अधिग्रहण का मामला हो। विलय या अधिग्रहण आरबीआई और भारतीय नियामक बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, जब बैंकों से कोई प्रस्ताव आता है या बैंकों के ऊपर कोई परेशानी आती है, उसके बाद यह दोनों मिलकर उसे करते हैं। यह देखा जाता है कि समय-समय पर बैंकों के अधिकारियों, कर्मचारियों के विलय के विरोध में स्ट्राइक भी हुई हैं। पटना, उड़ीसा, राउरकेला या तमाम जगह देखा गया है कि इसके विरोध में राज्यव्यापी स्ट्राइक भी हुई।

मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम पर्सनल, पब्लिक ग्रिवांस, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में गए थे, तब हमने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था। उस वक्त चाहे प्राइवेट बैंक हों या सरकारी बैंक हों, हमने उन सबका परीक्षण किया था, उन्हें बुलाकर उनके स्टेटमेंट लिए थे। हमने बैंकों के बारे में जानकारी ली थी कि कौन सा ऐसा बैंक है जो बेहतर काम करता है। उसमें खासकर हम यह देख रहे थे कि वह बैंक रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से ऐडॉप्ट कर रहा है या नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना दे रहा है या नहीं, बैंक से संबंधित तमाम वेल्फेयर के कार्य ठीक से चल रहे हैं या नहीं या कस्टमर हित में बैंकों का रिस्पांस कैसा है। मेरे ख्याल से गीते जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

अभी हमारी बहन सुमित्रा महाजन जी ने बड़े विस्तार से कहा। उन्हें ऐसा खतरा लग रहा है कि अभी सौराष्ट्र का मामला है, फिर इंदौर का मामला आएगा, ट्रेवेनकोर मैसूर बैंक का मामला भी आएगा। तमाम ऐसे बैंक हैं जिनकी स्थिति अपने आप में वाकई बहुत अच्छी है। जैसे आपने कहा कि यदि क्षेत्रीय बैंक रहता, खासकर उस प्रदेश के नाम से होता या प्रदेश का एक भावनात्मक अटैचमेंट होता, तो वहां के कस्टमर सोचते हैं कि हमारा इस बैंक पर अधिकार है। बेहतर बैंक की सुविधा है, सेवा है। हम आसानी से लोन ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ये तमाम तरह की सुविधाएं उनको इन बैंकों से

मिलती हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है? अगर उनके अधिकारियों से पूछा जाये कि क्यों विलय की स्थिति आयी है या वे क्यों विलय करना चाहते हैं, तो यह वे ही बता सकते हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एक सपना संजोया गया था कि आम आदमी को इससे सुविधा मिलेगी, आम पब्लिक की भागीदारी सुनिश्चित होगी और यदि वे बैंकों में निवेश करेंगे, तो उससे उनकी जीवन शैली बदलेगी। हमारे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग धंधे हैं, जो इन बैंकों से ऋण लेकर अपना कारोबार चलाते हैं। उस कारोबार से वे केवल अपना ही जीवनयापन नहीं करते, बल्कि इलाके के भी तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ते हैं। ये सारी बातें हैं। जहां तक बैंकों के कामकाज और विलय आदि की जो बात आयी है, वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में कालिंग अटेंशन में कहा था कि हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। इस बारे में आरबीआई, सेबी या उस बैंक का तमाम प्रबंध तंत्र जाने कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे डिसाइड करते हैं। हम लोग तो ऐसे ही देखते हैं। लेकिन सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलता। मेरे ख्याल से सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आरबीआई, सेबी और तमाम बैंक्स उनके अंडर हैं। जो बैंक्स अनुबंधित होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं यानी जिनका अनुबंध होता है और वे सैमी गवर्नमेंट के तहत काम भी करते हैं, उनका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और वे हर तरीके से कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा न हो कि धीरे-धीरे तमाम बैंकों ने, जब आपका बैंक कहीं नहीं खुला हुआ था, तो उस वक्त ये सभी बैंक्स, जो स्थानीय स्तर पर बैंक्स थे, ने वहां अपने बैंक खोलकर लोगों को सुविधा देने का काम किया था। ऐसा न हो कि वहां के अस्तित्व पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो और कल आम जन-मानस में यह बात पैदा हो कि पहले हमें वहां सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इस बैंक से सुविधा नहीं मिल रही है। इस तरह की बातें आती हैं। कभी-कभी कस्टमर केयर के बारे में भी हम लोग इस सदन में भी चर्चा करते हैं। किसानों और सामान्य उपभोक्ता की बात भी यहां होती है। उनके संरक्षण की बात हर संसद सदस्य यहां करता है और सरकार भी उस में पहल करती है, इसलिए हमें इस ओर देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आज सौराष्ट्र की बात आयी है, तो कल दूसरे बैंक की बात नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी बात आती है, तो उस बैंक के कर्मचारी, अधिकारी या वहां की जनता से राय-मशविरा लेकर स्टेप उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बैंक सबसे विश्वसनीय संस्था है, जहां कोई भी कन्ज्यूमर, कस्टमर, उपभोक्ता उससे अपना संबंध बनाता है जैसे पैसों का लेन-देन, पैसे जमा करना, पैसे निकालना या फिर ऋण लेना आदि। ग्रामीण अंचलों में, जहां से हम लोग बिलांग करते हैं, वहां बैंकों का जिस तरह से विकास हुआ, विस्तार हुआ और उसका सीधा-सीधा लाभ जनता को मिला, तो निश्चित रूप से वह समाज, देश और हम सबके लिए एक उपलब्धि है। लेकिन जहां ये सारी चीजें होती हैं वहीं उसका दूसरा पहलू भी है।

अभी सुमित्रा महाजन जी अपनी बात रख रही थीं। चाको साहब ने भी अपनी बात यहां रखी। हम लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) के विलय होने के बाद संसद में जो विधेयक आया है, वह पूर्व में ही आना चाहिए था। निश्चित रूप से हमारा देश बहुत बड़ा है, देश के बाद हम अपने प्रदेश और अपने स्थानीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जो बैंक बने, वे पहले उन स्थानों के नाम से जोड़कर बनाए गए, उनसे कहीं न कहीं लोगों का भावनात्मक लगाव हुआ। मैं भदोही क्षेत्र से आता हूं जो बनारस और इलाहाबाद के मध्य है। वहां बैंक चलते हैं इलाहाबाद बैंक। पहले दि बनारस स्टेट बैंक हुआ करता था, किन्हीं कारणों से उसका मर्जर किया गया, लेकिन जो उपभोक्ता हुआ करते थे, इन बैंकों से उनके सीधे लगाव और जुड़ाव हुआ करते थे और उन्होंने वे अपना पैसा जमा करना या ऋण लेने आदि का काम ज्यादा विश्वसनीयता के साथ किया करते थे। इस तरह जब पहले ऐसी स्थिति थी कि बहुत छोटे-छोटे बैंक हुआ करते थे, वे बैंक्स कभी-कभी दिवालिया हो जाया करते थे या फेल हो जाया करते थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो निश्चित रूप से देश में एक अच्छा मैसेज गया और जो बैंक दिवालिया हुआ करते थे, फेल हुआ करते थे, उसके बारे में एक निश्चितता हुई। लेकिन जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए इस तरह के विलय के प्रस्ताव आने के बाद, वह एक व्यवस्था के तहत होता है। जैसा सुमित्रा महाजन जी ने कहा है, कि छोटी मछली को निगलकरके बड़ी बनी और वह अपना अस्तित्व बनाए और जब वह फेल होता है, तो उसका ज्यादा व्यापक नुकसान होता है। ऐसे का भी अस्तित्व होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि विलय से पूर्व विधेयक आना चाहिए। इसके लिए एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

यह जो विधेयक आप लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Madam spoke about the difficulties faced by the customers of the banks, and the sentiments attached to the name of the bank. Our hon. colleague, Shri P. C. Chacko, took us down the memory lane regarding 1969, and showed us how they were celebrating the event of nationalization of the banks. Last week, the hon. Finance Minister while replying to a Calling Attention Motion said that the Government has no role to play in the merger of any bank, and it is for the management of the bank to decide on the issue of merger.

The State Bank of Saurashtra has decided to merge with the State Bank of India. The question now before us is this. The State Bank of India is a Government bank and it is not a nationalised bank, and the State Bank of Saurashtra is also a Government bank and not a nationalised bank or a private bank. A nationalised bank is merging with a nationalised bank. Why should it choose to merge? Is it the failure of the management or do they any other reason for doing it? I can understand if a private bank is merged with a nationalised bank or a private bank is nationalised by the Government. The question now is that the management decided about the merger, but the role of the employees and the role of the customers were not taken into account. Hence, the interest of the employees may not be protected in this.

As Shri P. C. Chacko also mentioned earlier that it is over now as the State Bank of Saurashtra is merged with the State Bank of India, but in future, if a question of merger comes before the Government, then the first step of the Government -- if it is a nationalised bank or a Government bank -- is not to accept the proposal. You can change the management as it may be because of the failure of the management, and it may be because of the mis-management that the management wants to merge with another bank. How can the management decide to merge with some other bank without taking into consideration the employees of the bank; without taking into consideration the customers, who are going to the bank; and who are used to go to that bank? How can the management decide to

merge with some other bank? It is not fair. It is not a private bank, it is a Government bank.

While I support the Bill because it is already over, I wish to state that when a bank decides to merge with another bank, the Government of India should take utmost care. As a first step, I would suggest that the management should be changed and somebody else should take over so that at least the new group tries to stabilize the bank. Merger is not always welcome; merger is not in the interest of the employees; and merger is not always in the interest of the customers.

My friend, Mr. P.C. Chacko, was talking about the banks in other countries which had failed. Those banks failed because they were not Government banks; they were private banks. Here, the Reserve Bank of India has a number of controls, like the SLR (Statutory Liquidity Ratio), which has to be maintained by the commercial banks in India. It is the Government, and I appreciate the Government, for controlling the banks, for ensuring that the public money is safe, and for having provisions to protect the public money.

At the same time, a merger may lead to many apprehensions. A merger may create doubts in the minds of the people, that too particularly when a Government bank is merged with some other bank. It may create many doubts in the minds of the people. Having all these things in mind, I request the hon. Minister to see that when a question of merger comes, the Government takes utmost care.

With these words, I support the Bill.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, with your permission, I oppose the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009. With due respect to late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi Ji, I oppose the Bill. Some of my colleagues senior to me, I understand, think that some of the banks failed just because they are small. Many of the banks even in the United States failed. We know their names – the Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac, Bear Stearns – and they were not small banks. They were very big banks. They had a very long history. This Bill which has been introduced in this august House has a hidden agenda, I fear. That hidden agenda is to consolidate the public sector banks into a monolith, and that monolith or that monopoly is being created with the sole purpose of privatization of the whole banking industry in India. I have a genuine fear that this has such a hidden agenda and hence I oppose this Bill.

The State Bank of India has seven associate banks in its fold. If this Bill is being passed, then the remaining banks will be six. Bank of Saurashtra had more than 460 branches, deposits worth Rs. 15,804 crore, and as per the latest accounts, the 2006-07 figures, it had given advances to the tune of Rs. 11,081 crore. Now, some other banks are in the queue. What will be the fate of the State Bank of Mysore? What will be the fate of the State Bank of Indore? What will be the fate of the State Bank of Travancore, the very Bank of the State of Kerala from where hon. Chacko, myself and some of my colleagues, both in the Treasury Benches as well as in the Opposition, come? It is our Bank. Now, there is a tendency to snatch away that Bank, just like these other banks are being snatched away.

My humble request to the Government of India, through you, Sir, is do not touch the butcher's knife to cut these banks, our banks, which have the local flavour.



17.00 hrs.

They are the States' entity; they are the States' icon. Do not touch them. Let it be there. These banks are working in profits; these banks are working very efficiently. For whose purpose, for whose benefit these are being merged into? Now, there is an urge for merger and for whom? Is it for the benefit of the employees? No, Sir. Is it for the benefit of the shareholders? No, Sir. Is it for the benefit of the customers? No, Sir.

Let me tell you a sad story. Quite recently, we had heard and even in this august House there was a discussion regarding the State Bank of India, who showed some discrimination towards women. That has happened in the State Bank of India itself. I do not take much time. These banks have a social responsibility. These social responsibilities should be fulfilled to create a large bank. Some of my friends, I feel, are under the impression that what we, at present, need is a large bank so that we can put it in a show-case to the world. They think that globalization is the medicine. No, Sir. We are standing on this land. The Father of the Nation had worked for the benefit of the man of the lowest strata. Now the banks' branches in the rural areas are going to be closed down. Un-banked areas are going to remain un-banked. We know the history of one private bank in India called the ICICI Bank. That Bank was saved just because a public sector bank called the State Bank of India was here and the Government of India also intervened for its rescue. My humble submission is that do not go after some Western countries that have followed wrong policies and their banking systems crumbled. So, here this Bill deserves strong opposition not only from the Members of Parliament but also from the general public.

I would conclude my speech by giving one or two examples. On this December 16, a section of the bank employees are going on a strike. They are against the merger and so they are going on a strike on 16th December. Before concluding, I would like to invite the attention, through you, of the hon. Minister to please revive the Banking Service Recruitment Board, which was abolished after 1990s. Now the banks have the freedom to recruit their staff according to their whims and fancies. It lacks the transparency. Even the Federal Bank has

shown that out of the 647 people selected after interview, only 80 people were from the women folk. That is the discrimination the banks, from the private sector as well as the public sector have shown towards the women folk. With this, I oppose the Bill.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here today to deliberate on the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009. It was in the month of November on 19th, a news item appeared in a newspaper published from Hyderabad. It categorically stated that the Union Finance Ministry has gone into a huddle with the leading public sector undertaking bankers to explore the possibility of creating a few large banks through mergers and acquisitions. It also further said that the heads of five State run major banks, that is, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India and Oriental Bank of Commerce attended the meeting called by Additional Secretary, on Wednesday night.

While going through the statement which the Finance Minister had very categorically made around six months back, the Finance Minister has put weight behind consolidation of banks stating that this may be necessary to improve the state of competitiveness of Indian banks globally and also to reduce the risk to financial stability. And what happened after this statement? The stock markets cheered the Finance Minister's talk on consolidation with many public sector banks' stock recording a surge and closing the day with more than three per cent gains over the previous day's close.

17.06 hrs.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

As my colleague before me was questioning here, who feels elated when consolidation of banks takes place? It is not the people who man the bank! It is not the customers for whom actually the banks function! It is the stock exchanges and those who invest in them that feel very elated. That is why the stock markets cheered the Finance Minister's decision or deliberation.

How did all this happen? Who initiated this? I remember that some years back when Mr. Leeladhar was heading the Indian Banks' Association – it is an association of bankers - a Committee was formed. That Committee first initiated this idea saying that now is the time that consolidation of a number of banks occurred in the country. The basic question is why is it necessary? Does it help our

financial mechanism in the country, help our customers, our people, and our finances?

Very recently Dr. K.C. Chakrabarty, who was Chairman & Managing Director of a bank, has become a Deputy Governor of the Reserve Bank of India. What did he say? He has very categorically stated very recently, last month, that time is not ripe for mergers. What should we understand from this? I would like to get an answer to this from the Minister. Does the RBI differ with the Government on the issue of merger of banks? When a Deputy Governor of the RBI, with many years of banking experience, comes out with a statement like that, should we say that the RBI is not in favour of mergers. “We have very few dominant players and consolidation will enhance the problem. Financial inclusion is more important than consolidation”. That was what Dr. Chakrabarty had said.

What do we understand by financial inclusion? We have heard about the bank nationalisation of 1969. Banks have merged before nationalisation of banks. Banks have merged after nationalisation of banks. As has been very rightly stated by a DMK Member, when a bank is sinking the onus lies with the Government to help that bank out.

So, the national bank is provided support to take over that bank to help the customers and the people at large of that area. When a bank is sinking, this type of support is necessary and merger takes place as it has happened relating to one Bank in Punjab when Global Trust Bank merged with it. Mergers have taken place between two or some private banks with nationalised banks, but here the merger is taking place between the subsidiary with the State Bank of India. Both these banks – SBI is a national bank and State Bank of Saurashtra is a subsidiary of SBI – are running in profit.

As I understand, banks are merged since 1959. There was a Bank of Bihar which merged with State Bank of India in 1959; National Bank of Lahore merged with State Bank of India in 1970. It is not that this is the first bank which is merging with SBI. There were a number of banks which merged with SBI. These banks, subsidiary banks, have a history of their own. These banks were created when feudal States were there and now, we do not have a State called Saurashtra;

we do not have a State called Indore but Indore is there and it has its own history behind it.

There is a Bank of Cochin which has merged with State Bank of India; New Bank of India also merged with Punjab National Bank in 1993; Punjab Cooperative Bank merged with Oriental Bank of Commerce in 1997; Sikkim Bank Limited merged with Union Bank in 1999. So also the bank about which I was mentioning, Global Trust Bank merged with Oriental Bank of Commerce in 2004.

When this idea was floated it was during the UPA regime in the earlier *avatar* in 2004, as far as I remember, in August, the then Finance Minister very categorically stated that public sector banks would be encouraged to merge. I would like to understand: Is this the policy of the present Government that you will encourage the public sector banks to merge? At that time, the Finance Minister had stated that the Government would provide tax incentives for profitable public sector banks that merge. Mr. Chidambaram had said: “It was important that the public sector banks should grow in scale and muscle.”

A number of banks are in the pipeline to be merged. Very recently, I remember, one of the Chairmen saying specially the IDBI Chairman that I am in the look out for two banks whom we are in the process of merging them. I am not going to state which are those banks. That is what the Chairman said. But it is in the pipeline and it may be taken up for merger. This only reminds us or we should remember as to what the Deputy Governor of RBI has said that is not the right time to have a merge. But I have certain questions here. At one point of time, I think the last year, the Chairman of SBI has very categorically said that we are in the process of merging SBI of Saurashtra, SBI of Hyderabad, SBI of Indore, SBI of Patiala and SBI of Mysore with SBI. We know that SBI is a very big bank for us in our country. In the global situation, it has its own position. It is a national bank, but by merging these banks with the SBI, a question needs to be answered – are you going to maintain the same branches and expand those branches in those areas as SBI? Already consolidation has taken place.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.



SHRI B. MAHTAB CUTTACK): When in SBI, the Government is lowering its stake, what would be the position of stakes of these subsidiary banks? I do not know whether SBI Saurashtra is listed; SBI is listed; if SBI Saurashtra is not listed, how it is going to help consolidation and merger?

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI B. MAHTAB : I would say that I am not against merger of banks *per se*. But I would only remind the Government that when two organizations merge, a lot of activities have to take place so that both the personnel and the clients get the same service which they were getting in a smaller bank. That is very much required. I am not aware, whether SBI Saurashtra's interest has been taken care of.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. The next speaker is Shri Jagdanand Singh.

SHRI B. MAHTAB : I would conclude by saying this – merger as such is not a bad idea; going in a very big way in a global scale, is not at all a bad idea, but at the same time, I would also remind the Government that when a merger takes place, let us not carry a weak-link with another one – of course, SBI Saurashtra is not.

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdanand Singh.

SHRI B. MAHTAB : But my question still remains – what is going to happen to other four subsidiaries? Do you have a time-frame for the mergers of those banks?

MR. CHAIRMAN: Only Shri Jagdanand Singh's speech will go on record. Please take your seat.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: Before Shri Jagdanand Singh starts, I want to tell all the hon. Members not to take more than five minutes. There are seven more Members to participate in this.

* Not recorded

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं सौराष्ट्र स्टेट बैंक निरसन और भारतीय स्टेट बैंक सब्सिडरी (संशोधन) विधेयक, 2009 के संबंध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत तकनीकी पक्ष की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। इस देश में बड़े बैंकों द्वारा किस तरह से रीजनल इम्बेलेंसिस कायम हो रहे हैं, बिहार इसका बहुत बड़ा सबूत है। वित्त मंत्री जी का कथन है कि इस सारे विलय से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव ने सारे बड़े बैंकों की बैठक कर उनके मर्जर के लिए केवल राय ही नहीं बल्कि दबाव बनाने का प्रयास किया। मैं कह देना चाहता हूँ कि नरसिंहन समिति ने बड़े बैंकों को विलय के लिए और केवल तीन-चार बड़े बैंक देश में रहें, इसके लिए प्रयास किया है। मैं यहां कहना चाहता हूँ कि इन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था ताकि सोशल रिस्पॉसिबिलिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का रहे। अब मर्जर का सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है कि इस राष्ट्र का जीडीपी तेजी से बढ़े और इन बैंकों की बड़ी क्षमता हो ताकि दुनिया के बड़े बैंकों से इनकी प्रतियोगिता हो सके। इसके साथ ही बड़े व्यापारिक घरानों को बड़े कर्ज और ऋण मुहैया कराया जा सके। यह सवाल उठता है कि क्या केवल 1000-2000 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए इस देश की सारी नीतियां बनेंगी? क्या हमारे वित्तीय संस्थानों का बड़ा स्वरूप उनके लिए बनाया जाएगा? हमारे देश के विविध इलाके हैं, जहां अनेक तरह की परेशानियों में लोग पड़े हुए आम जन हैं, क्या सरकार उनके बारे में भी सोचेगी?

सभापति महोदय, मैं एक सवाल उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज बिहार में जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनके पास जमा तो बहुत कुछ होता है और महाजनी व्यवस्था से इन बैंकों को, इन संस्थानों को, जनता को उबारने का काम करना था। लेकिन आज बिहार में हमारा सी.डी. रेश्यो कहां खड़ा है। ये जितने बड़े बैंक्स हैं, यदि उनका ओरियन्टेशन केवल बड़े-बड़े लोगों, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों की तरफ रहेगा तो आमजन जो हमारी 90 फीसदी जनता है, जिन्हें छोटे ऋणों की आवश्यकता है, आज उन बैंकों के द्वारा उन्हें ऋण नहीं मिल पायेंगे और बैंकों का जो ऋण का स्तर बढ़ता चला रहा है, यह कोई छोटे ऋणों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे बड़े-बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठान हैं, उन्हें ऋण देने के कारण बढ़ती चली जा रही है। हम लोग परेशान है क्योंकि यहां कोई ऐसा सवाल नहीं है कि हम लोग कोई नई बात करने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके कार्य पर मुहर लगाने के लिए यहां बिल आया है। जैसे सौराष्ट्र बैंक की समाप्ति हो गई और उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर हो गया। इस तरह से करके भले ही वह एक बड़ा बैंक बन जाए। लेकिन एक रीजन, जहां एस.बी.आई. की ही एक संस्था थी, जहां उनके डिपाजिट्स भी आते थे, जहां लोगों को ऋण भी मिलता था, आज उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि यह बड़ा संस्थान बड़ी बातों के बारे में सोचेगा। जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, जो बिल्कुल गरीबी और गुरबत में पड़े हुए हैं, उनके प्रति उसकी सोच समाप्त होती जा रही है। इन संस्थानों के जो सामाजिक दायित्व हैं, उन सामाजिक दायित्वों से अलग केवल व्यापारिक दृष्टिकोण के द्वारा ही केवल बैंकों के आकार को विलय या

मर्जर के द्वारा बढ़ाया जाता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इससे देश में रीजनल इम्बैलेंसेज और बढ़ता जायेगा। क्योंकि वे डिपॉजिट्स कहीं से लेते हैं और जिस इलाके में बहुत सम्पन्न लोग हैं या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन्हें वे कर्जा मुहैया करते हैं। इसलिए क्या बैंक्स, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े बना दिये जाएं कि छोटे-छोटे डिपॉजिट्स को लेते जाएं, इलाके में रीजनल इम्बैलेंसेज बढ़ाते जाएं और ये सारे पैसे जो आम लोगों से एकत्र हों, उन्हें ले जाकर बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थानों को दे दें। दुनिया के बैंकों से स्पर्धा के लिए बैंकों का विलय करने का कोई मकसद नहीं है।

महोदय, आज हमारे देश में जो बड़े बैंक्स हैं, ये छोटे-छोटे बैंक्स ही आज बड़े बैंक्स बने हैं। ये अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने व्यापार और अपने मैनेजमेंट से बड़े बने हैं, ये विलय से बड़े नहीं बने हैं। इन बैंको को यदि बड़ा बनना है तो अपना क्रेडिट जनता के भीतर स्थापित करके बनना है न कि केवल विलय से बड़ा बनना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या है कि जो बैंकों में करप्शन है, ये चाहे जितने भी बड़े हो जाएंगे, उनकी पारदर्शिता धीरे-धीरे खत्म होती जायेगी, ताकि उनके भीतर जो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, उस बड़े आकार के भीतर छिपता जाए।

मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि चूंकि यह बिल आया है, हम लोग तकनीकी रूप से सरकार का समर्थन करते हैं, इसलिए बिल का भी समर्थन हमें करना है। लेकिन निश्चित रूप से जो विलय का रास्ता सरकार ने अपनाया है और बड़े संस्थानों को बनाने का निर्णय लिया है, वह स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की जो पालिसी आम जन के लिए थी, क्योंकि उस समय भी यही होता था कि बड़े लोगों को ऋण मिलते थे, लेकिन आमजनों को इन बैंकों के द्वारा व्यापार के लिए कर्जे नहीं मिल पाते थे। इसलिए नेशनलाइजेशन के बाद सरकार ने इस देश की पूंजी को अपने हाथों में लिया था, क्योंकि वह पूंजी भी जनता के द्वारा दी गई पूंजी थी और वह पूंजी जनता के काम आये, इसलिए उस समय हमारी नेशनलाइजेशन की नीति चली थी। अब इसके ठीक उलट आम आदमी से अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, इस देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, आम आदमी के भीतर समान रूप से आर्थिक सम्पन्नता लाने के लिए यह नहीं हो रहा है। जीडीपी के बढ़ जाने से हमारे आम आदमी के जीवन का स्तर नहीं बढ़ जाता। हमारे बैंक्स को कहीं न कहीं सामाजिक दायित्व की तरफ सरकार को ले जाना पड़ेगा और सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए जो हमारी नीति थी, उसकी तरफ रहना पड़ेगा। इस सदन के भीतर हम केवल बैंकों के विलय के लिए कोई नियम या कानून बनाकर हम कोई बड़ी बात इस देश की जनता के सामने नहीं ला सकते। हमें लगता है कि जो हमारी नेशनलाइजेशन की नीति थी, वह ठीक उल्टी दिशा में जा रही है। इसे रोकना चाहिए और जैसे-जैसे रीजनल इम्बैलेंसेज हमारे क्रेडिट और डिपॉजिट रेश्यो में विसंगति बढ़ती जा रही है, उसे दुरुस्त करने के लिए आवश्यक है कि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे।

बिहार जैसे गरीब राज्य को जिसका जीडीपी रेशो बिलकुल निम्नतम स्तर पर है अर्थात् डिपॉज़िट उठकर कहीं चला जाता है । इस डिपॉज़िट का कहीं और चले जाने का मतलब, बड़े-बड़े संस्थानों का मतलब कि बड़े-बड़े लोगों को कर्जे देना, आम लोगों के लिये सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं करना है।

सभापति महोदय , मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I stand not to support but to oppose the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009.

Sir, I can just recollect the speech of the hon. Prime Minister in this august House. He made a statement with regard to the global economic recession and he made a comment that the banking system of our country is not weak and that we are proud of our banking system. He also said that the Indian banking system is very strong. At that time, I understood that he is certifying the banking system of our country. But all of a sudden, on 10th June, it appeared in the newspapers that our hon. Finance Minister made a statement in favour of consolidation of banks. He said that it is necessary and that it is urgently needed to consolidate all the banks to improve the standard of competitiveness of Indian banks globally and also to reduce the risk to financial stability. It seems that it is a quiet following of globalization and the reforms policy. It is the quiet shifting of the old stand of our country.

The State Bank of India is the largest commercial bank of our country as far as Government banks are concerned. Initially, it had seven associates and now if we leave the Indore Bank and the Saurashtra Bank, there are five remaining banks. They are State Bank of Travancore, State Bank of Patiala, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore and State Bank of Hyderabad. I do not know what is there in the mind of the Government. Are they going for merger of these subsidiaries? If so, its mind should be clear. So an agenda regarding discussion of the reforms of banks should be placed before the House. It is understood that private banks are taking consolidation route in a big way. But we do not know whether the Government will follow the same line or not. This is not merely the subject of the executives or the Cabinet. This is a fundamental thing. This should be discussed in Parliament itself. So, this is my first point. This has not been done so far.

Now what is the position so far as the global situation is concerned? The banking system at the global level has faced a severe crisis. But we are not facing such crisis and it is because the State sector banks and the public sector banks are

doing well. We have 30 public sector banks. They seem to be in better health position. They are scattered in every nook and corner of our country. They are rendering services to a large scale of our people including farmers, poor people and the people at large. They have to be encouraged to extend maximum help to the small borrowers. They cannot be of any help to them after the merger. How will the banks that are being merged be able to extend more facilities to the borrowers? This aspect is not understandable.

What had been the realisation of the United States of America? It is worthwhile to mention here that the United States of America realised that, after the fall of the big banks and the financial institutions last year, the management of the big banks was a very difficult task as compared to managing the management of the smaller banks. Is it not being possible for our Government to understand what the US authorities have understood? The present international situation of an economic recession has been created out of that effect of merger. It is not only that merger would result in transforming human resources into a homogenous unit. What would happen to the management? What would happen to the employees? What would happen to the borrowers? All these aspects are involved in the case of a merger.

Sir, I would only like to request the Government not to take this matter in a piecemeal manner. The total idea of merger should be subject to a discussion and without such a discussion being held, this sort of legislation should not be brought forward. It is worthwhile to mention here that thousands of employees of the banks are demonstrating in the streets against this move. They are protesting such an action. They are against this sort of a merger and even then, why is the Government going forward with this kind of legislation? I oppose this.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिए समय दिया। मैं सौराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ और आज मुझे सौराष्ट्र बैंक पर ही बोलने का मौका दिया गया है। मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जिस बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए।

महोदय, आज स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम 1950 निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं सौराष्ट्र, कच्छ की जनता की ओर से अपनी बात सदन के पटल पर रखता हूँ।

महोदय, जैसा कि आपको सूचित होगा कि पिछले पांच दशकों से अधिक समय से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक समूह की सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में एक लीड बैंक के रूप में कार्यरत था। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा अपना बैंक के रूप में कार्यरत सौराष्ट्र, कच्छ के आठ जिलों में सर्वाधिक शाखाएं किसानों की ऋण अदायगी, सरकारी राजस्वों का विनिमय, पेंशन भोगियों और स्वरोजगार हेतु दी जा रही वित्तीय सहायता के लिए इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रमुख और लोकप्रिय रही है।

महोदय, हाल के वर्षों में इसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसके अस्तित्व पर काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्षों से और अब तक ग्रामीण अंचलों के लोगों के मन में मेरा अपना ग्रामीण बैंक की जो छवि और पहचान थी, वह अब नेस्तनाबूद कर दी गयी है। इस बैंक की अपनी सर्वाधिक शाखाएं और जमा पूंजी शायद देश के अन्य वित्तीय संस्थानों से अधिक है, जो एक गौरव की बात है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दैनिक जागरण के 21 नवंबर 2009 के दिल्ली संस्करण में एसबीआई बैंकों के विलय पर ब्रेक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में अन्य पांच बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय पर सरकार ने ब्रेक लगा दी है।

सभापति महोदय, इन पांच बैंकों की विलय की प्रक्रिया किन-किन कारणों से स्थगित करनी पड़ी, इस सवाल पर सोचना बेहद जरूरी है, जब कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन पांचों बैंकों के मुकाबले में हमेशा सर्वोपरि रहा है। पूंजी, बैंक शाखा के भवनों और ग्राहकों की संख्या भी सर्वाधिक थी। बैंकिंग लाभांश में भी इन स्टेट बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सर्वोपरि रहा है तो फिर ये अन्याय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ ही क्यों? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण के 20 जून, 2009 के उस समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूँ, जिसमें कि ये प्रकाशित हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये

समाचार भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन ओ.पी. भट्ट के हवाले से यह समाचार प्रकाशित हुआ है, क्या यह भी सच है? क्या इन बैंकों का विलय करना सरकार की मजबूरी है या किसी दबाव के अंतर्गत है, जिसका सीधा फायदा निजी बैंकों को हो रहा है? क्या सरकार ने बैंक के मुनाफा या घाटे के अलावा बैंक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी इनके विपरीत गंभीर परिणामों का भी कोई अवलोकन किया है?

सभापति महोदय, एस.बी.एस. के विलय के साथ उनके ग्राहकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अमीरों का बैंक है, जब कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गरीबों का बैंक होने का प्रतीक था। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कृषि स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के आम जनता तक पहुंचाने तथा इसके विकास में इस बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। प्रत्येक तालुका और तहसील स्तर पर विशेष रूप से किसानों, बेरोजगारों, पेंशन भोगियों तथा विधवाओं एवं सरकारी वित्तीय विनिमय के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के महत्व को कायम रखने के लिए उसे इसी नाम से और अलग अस्तित्व के रूप में बहाल कर दिया जाए, और अधिक खाखाएं खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिए जा रहे ऋण और सरकारी भुगतान को और अधिक सरल, सुचारु और कारगर बनाया जा सके।

सभापति महोदय, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी सेवाएं, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभांश के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनकी सेवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मूल स्वरूप के ढांचे में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय औचित्य नहीं रखता है। इसकी पहचान ही गरीब और ग्रामीण जनता के लिए एक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है और इनके रोजमर्रा के वित्तीय विनिमयों के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का नाम एक पारिवारिक रूप से एक अभिन्न है, इसे पुनः स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के नाम को बहाल कर दिया जाए ताकि हम आम जनता का विश्वास फिर से बहाल कर सकें।

सभापति महोदय, सौराष्ट्र-कच्छ की राजधानी राजकोट के अलावा जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर और भुज जैसे जिले, मथकों के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता का आबंटन भी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र द्वारा ही किया जा रहा है। राजस्व पत्र तथा स्टाम्प पेपर का वितरण भी इसी बैंक से किया जा रहा है। अनपढ़, कम पढ़े लिखे, विधवा और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अपने बैंक खातों को खुलवाने और इसका नियमित रूप से उपयोग करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में उनकी भाषा के अनुरूप और अधिक सरल रूप से अपनाए जा रहे प्रयोग भी बेनमुनेदार हैं। सौराष्ट्र-कच्छ के अलावा देश के अन्य भागों में कार्यरत बैंक की शाखाएं भी गुजरात की जनता और गुजराती लोगों के लिए एक वरदान स्वरूप हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से उपरोक्त संशोधन करने वाले विधेयक पर पुनः विचार करने और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल स्वरूप को बहाल करके उसे उसी की पहचान को कायम रखने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, जिसे सौराष्ट्र-कच्छ का स्वाभिमान भी बरकरार रहेगा।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, I take the floor to oppose the proposed merger of Bank of Saurashtra with State Bank of India. Since 1992, the year when the Government of India adopted the policy of liberalization, we have been watching that the profit-making Navaratna companies are being gradually captured by the big industrial honchos. They are having monopoly over those companies. It is seen that in Saurashtra, almost all the financial institutions are in the hands of the private players whereas the Government is only looking after the law and order situation. It seems that it has lost control over the market. The private industrialists are thus trying to influence the economic policy of the country. A day may come when the law of Diminishing Returns will operate. We have to think of this aspect and decide accordingly.

Bank of Saurashtra is similar to State Bank of India. It provides credit facilities to small and marginal farmers, small traders etc. Both the banks are giving such loans. There are more than 500 or 600 branches of the Bank of Saurashtra. SBI too has numerous branches. It always so happens that people are encouraged to take loans from the banks which are known to them, which they can relate to. As SBI or Bank of Saurashtra are nationalized banks, there is no risk of failure too. Reserve Bank of India is at the helm to regulate the entire banking system. Then why are you insisting on merger?

Secondly, whether the employees of Bank of Saurashtra receive more salaries when it is merged with SBI? Will their allowances increase after merger? Or whether the higher level officers get matching remuneration in SBI? Many employees are attached with various other institutions and are earning lots of money. The question is whether that income will also be added or not. Whether the entire responsibility will be borne by the State Bank of India. It needs to be ascertained and the financial liability also needs to be gauged. All these issues must be taken into consideration. During the Indira Gandhi regime, most of the lending institutions were owned by kings and wealthy persons. They used to

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

protect the interests of the rich and overlooked the needs and aspirations of the common people of the country. But the situation has changed now. The question of privatization and nationalization is no more the core issue. What is the problem in having many banks as long as they do not fail? We have to resolve the minor problems that crop up between the employees and the management.

There is a need to pump in huge funds in the economy but that capital should never be foreign capital; that should be indigenous capital. I hear that even Life Insurance is going to foreign hands. 26% is already with them – now about 49% share will be controlled by private players. All the profit-making organizations are being privatized surreptitiously. This should not be allowed.

With these words I once again vehemently oppose this Bill and thank you for giving me the opportunity to speak on the subject.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, I strongly support this Bill. The State Bank of Saurashtra was constituted under the State Bank of Saurashtra Act, 1950 as amended by the State bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. Now, the State Bank of Saurashtra will come under the purview of the SBI.

After the nationalisation of fourteen banks in our country by our beloved leader, Shrimati Indira Gandhi, our financial system and monetary system have become strong. Most of the capitalist countries, like America and England, and even some communist countries are suffering because of lack of strong monetary and financial system. But our system is strong. Even during the recession our system was strong. Our country's monetary system is big, famed and a strong one. That is why in the global-world competition, we have strong financial system and our country is growing all the way.

Sir, our Communist friends are telling that these subsidiary banks, like the State Bank of Saurashtra and also the State Bank of Indore, the State Bank of Travancore, the State Bank of Patiala, the State Bank of Bikaner and Jaipur, the State Bank of Mysore and the State Bank of Hyderabad are the subsidiary banks of the State Bank of India. The State Bank of India is a nationalised bank and it is an apex bank in our country. It is doing a number of functions. Now, we have to face the competition of the world-level great banks. That is why our Government took the decision – not only our Government, but all the managements of the subsidiary banks – took the decision to merge with the State Bank of India. These subsidiary banks will come directly under the State Bank of India. It is a correct notion and it is a very strong notion of the subsidiary banks to merge with the State Bank of India.

Sir, the State Bank of India is very strong. It will be very beneficial to compete with the ICICI Bank which is a private, world-level bank. In the global scenario, most of the private banks come to our Indian banking system. Then, we have to compete with each other and we have to consolidate our banking system. We have to make the banking system a strong one. Our State Bank is there in all the places where poor people are given credit by the State Bank of India. Most of the employees of the State Bank are taking advantage and they are taking it as

their privilege that they are working in the State Bank and not in the State Bank of Bikaner and Jaipur or any other subsidiary bank. If it is a subsidiary bank, then there may not be some benefits and when they are merged with the State Bank, there is a strategy for us.

Sir, I would like to point out here that our Communist friends have completely forgotten the employees. Our UPA Government is giving more importance to employees who are working in the banks. The employees of the State Bank of India are getting the status also. Here, I would like to point out one thing that when subsidiary banks are merged with the State Bank of India, there is some apprehension among the employees whether the status will be given to them or not and whether promotions will be given to them according to the State Bank of India rules. They require all these things. I would like to mention here that we are giving equal importance to all the employees.

Secondly, most of the hon. Members have told that five or six subsidiary banks are now going to be merged with the State Bank of India. I want to say here one thing that it is not the privatisation of the bank. They are going to be merged with the State Bank of India which is the nationalised bank. These nationalised banks are going to be merged with the other nationalised bank.

I want to tell here one thing that it is not a privatisation. These five or six banks will survive as per the rule of the bank. They will survive in all the places and they are not going to be affected. This is the *status quo* they are going to maintain. At the same time, I would like to mention here that in the rural areas, the State Bank of India is having branches in all the places.

I would also say that the strength of the employees also must be improved and then only we can compete with the foreign banks.

Our Communist friends are forgetting all these employees. It is only the Congress Government which is giving more importance to the employees. So, we have to give more powers to the employees of these nationalised banks. This is my humble request to the hon. Minister.

Sir, with these few words, I support this Bill.

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Minister to reply.

... (*Interruptions*)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Sir, I asked for only two minutes.

MR. CHAIRMAN: I called your name. You were absent. Now, if you want, you can take two minutes. Hon. Minister, let him take two minutes.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी, जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ और जो बातें आपने रखी हैं, उसके साथ मैं अपने आपको भी जोड़ता हूँ। हमारा एक मजबूत देश है, मजबूत आर्थिक नीति है और आज हमारे देश के बैंकों का सारी दुनिया में नाम है। स्टेट बैंक को लोग बड़ी अच्छी नजर से देखते हैं और जो भी काम स्टेट बैंक करता है, आर्थिक रूप से जो हमारी नीतियां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए करता है। हमारी जो सोशल आब्लिगेशंस हैं, उनको भी यह पूरा करता है। मैं इसी संबंध में दो-तीन मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

पहली बात, इंदिरा जी के जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले गए। शायद उसमें कुछ कमी आयी है। आज जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है या हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, आज उनको दिक्कत होती है। बैंकों में आज इतनी ज्यादा कागजी कार्यवाही होती है, जिसकी वजह से वे तकलीफ में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस मौके पर मंत्री जी यहां हैं, वह इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे। जो कागजी कार्यवाही है, वह इतनी ज्यादा होती है कि जो छोटा व्यापारी है, उसके बस का नहीं होता कि वह बैंकों में जाकर लोन ले सके। उसको आज वहां तकलीफ होती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, जैसे हमारी माइनेरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, जिसके सलमान खुशीद जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि माइनेरिटी के जो एरियाज हैं, वहां बैंकों की शाखायें खुलेंगी। माफ कीजिए, कोई भी बैंक वाला वहां जाकर अपनी शाखा खोलने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि यह सी-कैटेगरी एरिया है, हम वहां जाकर बैंक की शाखा नहीं खोलेंगे। इससे लोगों को दिक्कत होती है, वहां रहने वालों को दिक्कत होती है।

महोदय, जो गरीब इलाके हैं, जहां गरीब औरतें हैं, जिनके लिए पेंशन आती है या जो छोटे व्यापारी हैं, वे बैंक एकाउंट खुलवाने कहां जाएंगे? वह नई दिल्ली तो खाता खोलने नहीं आएंगे। उनको इसमें बहुत दिक्कत होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप कोई ऐसी गाइडलाइंस देंगे, जिसमें उनको भी इसका फायदा हो।

आपकी जो ब्रांचेज हैं, आप कभी उनको विजिट करें। जमाना बीत गया, पचास-पचास साल से उन्हीं कमरों में आपके बैंक्स चल रहे हैं। आज वोल्यूम बढ़ गया है, बैंक खाते बढ़ गए, लेकिन उन ब्रांचेज का जो एन्वायर्नमेंट है, उसकी बहुत बुरी हालत है। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर भी आप ध्यान देंगे।


एक सोशल आब्लिगेशन यह भी था कि जो बैंक हैं, वह खेल और खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देंगी। आज कितनी बार किसी को कह दो, मुझे नहीं लगता, आप मालूम करिए, शायद उसका कुछ परसेंटेज आपने तय कर रखा है कि जो पब्लिक सैक्टर बैंक्स हैं, वह इतना हिस्सा खिलाड़ियों या खेलों पर खर्च करेंगे। जरा उसका ऑडिट करा लें, मालूम कर लें कि कितना, कौन, कहां दे रहा है या नहीं दे रहा

है? हम कॉमन वेल्थ गेम्स की तरफ जा रहे हैं। आपके पास एक साल बचा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर ध्यान देकर इसे पूरा करेंगे।

महोदय, एक अंतिम प्वाइंट, जो मुझे समझ में नहीं आया है। आपने लिखा है कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एंड विजन्स। माफ़ करिए, आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें आपने विजन कहीं नहीं लिखे। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स तो लिखे हैं, सब्जेक्ट भी लिखे हैं, लेकिन विजन नहीं लिखे। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस बारे में सदन को बतायेंगे कि किसलिए आप यह लायेंगे। मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ।

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Sir, at the outset, I would like to say that 12 hon. Members have participated in the debate. I thank them all. Some hon. Members have supported it; some have some concerns and some have some apprehensions about this Bill. I will try to answer their queries and satisfy them.

First of all, I would like to inform the hon. Members that the Indian banking sector is no stranger to the phenomenon of mergers and acquisitions across the banks. Since 1961 till date, there have been as many as 79 bank amalgamations in the Indian banking system. Out of that, 46 amalgamations took place before the nationalisation of banks in 1969 while the remaining 33 occurred in the post-nationalisation era.

Several hon. Members raised the question about the policy of consolidation. There was a Calling Attention discussion also on this subject raised by Shri Gurudas Dasgupta and the hon. Finance Minister gave a detailed reply. However, I would like to inform hon. Members that the  current policy of the Government on consolidation leaves the initiative for consolidation to come from the management of the bank with Government playing a supportive role as the common share holder. No directive on consolidation is being issued either by the Government or by the Reserve Bank of India. The Boards of the banks themselves have to take a decision in this regard based on the synergy levels of merging the entities. Therefore, it is the decision of the Boards of the banks whether to merge or not to merge. Since the Government is the share holder, it comes to us for approval and then it goes to the Reserve Bank of India again for approval. This decision was taken by the Boards of the two banks and it was approved by us.

I would like to state as to what are the advantages of the merger. Smaller banks have their limitations whereas bigger banks have certain advantages. Customers in the bigger banks get better banking services with larger geographical coverage of branches, ATMs, network, improved systems and procedures, technological advantage, cross cultural human resources and banking services. Mergers have been going on and bigger banks have a large area of network in the entire country they have their branches outside the country also.

Another issue was raised that the Government is pressing hard for the merger. That there was a meeting in Delhi and in that meeting, among other issues, the views of some of the CMDs on consolidation were taken by the Additional Secretary, but no decision on consolidation or merger was taken. Certain committees have looked into this matter. Even in 2004, the Indian Banks Association appointed a Working Group to examine legal, regulatory and other related issues for consolidation in the banking industry. The Working Group submitted its suggestions to the Government in October, 2004, *inter alia*, supporting the idea of consolidation in the sector.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please take your seat for a minute.

Hon. Members, it is 6 o'clock now. If the House agrees, we may extend the time for sitting of the House till the passing of this Bill and few 'Zero Hour' submissions are made. I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you may continue now.



18.00 hrs.

श्री नमो नारायण मीणा : सुमित्रा जी ने भावुकतापूर्वक कई सवाल उठाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह का कोई इरादा नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी का मर्जर करें। आपने एक लीगल प्वाइंट और उठाया था कि इसे पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए। इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा -

‘Section 35 of the State Bank of India Act 1955 provides the legal framework for acquisition of banking institutions, including a public sector bank by the State Bank of India. Though the provisions of the State Bank of India Act 1955 do not expressly so require the scheme of acquisition of the State Bank of Saurashtra by the State Bank of India, it was laid in both the House of Parliament, post-merger. There is no legal infirmity under the law कि हमें पहले आना चाहिए। हमने बाद में आकर आपको बताया, इसमें कानूनी अड़चन जैसी कोई बात नहीं है।

Several Members have raised questions about the service conditions of the employees of State Bank of Saurashtra. Here I would like to tell them that suitable clauses have been incorporated in the acquisition of State Bank of Saurashtra Order 2008 so that the pay and allowances or the compensation to the employees of merging entity are not altered to their disadvantage. They will not be put to disadvantage as far as their service conditions are concerned.

One apprehension was raised by certain Members that the rural branches of the Bank of Saurashtra will be closed. As you know, our Government believes in financial inclusion. Financial inclusion is being accorded highest priority by the Government. All efforts are being made to cover every section of the population after merger. No rural branches are being closed after the merger. There should be no apprehension at all on this count.

I would like to give you certain figures about this merger. At the time of Independence, there were only 5,277 bank branches in the country. At the time of nationalisation in 1969, there were 8,262 branches. Now, there are 82,252 branches. Our Government has a policy of expansion. We have asked the banks to go to rural areas, find out the possibilities and more and more banks should be opened in the rural areas. In the next two years, roughly 2000 banks branches are

being planned to be opened. Therefore, we believe that more and more population of the country should be linked with the banks. That is our policy.

Broadly, the employees, the shareholders and the customers constitute stakeholders of the bank. While examining the merger proposal, Government will keep in view the interest of all the stakeholders, including employees and merging banks also.

In the end, I assure all the Members that I have noted down their apprehensions, their suggestions and I would request the House to approve this Bill.

Sir, I would, therefore, commend that the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009 may be passed by this House.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Sampath, you can put only one question.

SHRI A. SAMPATH : Will the hon. Minister give an assurance to this august House that the other associate banks of the State Bank of India will not be merged? Or is it the policy of the Government to make all these associate banks merged with the State Bank of India and to make it as a monolith and an adjunct of the Government of India like the Income-Tax Department?

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, if you want to reply, you can reply; otherwise you need not reply to him.

Shri Sampath, you can write to the Minister or the Minister will send you the reply personally.

SHRI A. SAMPATH : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up motion for consideration of the Bill.

The question is:

“That the Bill to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 11 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now, we take up 'Zero Hour'.

Shri Prasanta Kumar Majumdar.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, good infrastructure, good transport facilities and good connectivity are required to develop the Eastern India along with North Bengal and Bihar.

The Eastern India along with North Bengal and the northern part of Bihar are mostly underdeveloped due to lack of infrastructure. There is no other road to go to Guwahati except by one route, that is, through Dalkhola, either by train or by road. You have to go to the Eastern India through Dalkhola. So, I would request the Union Government to declare the corridor of Dalkhola to connect the Eastern India. If this corridor is declared, then it will be better.

Dalkhola is a business place. A lot of jute growers are there. If you declare the corridor of Dalkhola, then many industries will come up there. There will be a lot of beneficiaries. The income of people in that area will grow, and because of this infrastructure, people will be benefited and they will earn more and more money. That is why, I am asking the Union Government to immediately declare the corridor of Dalkhola to connect the Eastern India. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please take your seat.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : In view of the security situation, a quick decision to declare this corridor is to be taken, and there should be a flyover in Dalkhola.

18.08 hrs**SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re: Difficulties being faced by Telephone and Mobile consumers in the country**

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से और बड़े दुख से यह बात सदन में कहना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार का टेलीकम्युनिकेशन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। कुछ समय पहले हम पांच-सात सांसद, जो अलग-अलग दलों से थे, बातें कर रहे थे। सभी माननीय सदस्य एक बात पर जोर दे रहे थे कि सांसदों को मोबाइल फोन के लिए जो सिम कार्ड दिए गए हैं, वे वापस हो जाएं, तो बहुत अच्छा हो। मेरी भावना भी यही थी। हमें जो सिम कार्ड फोन कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है, वह बीएसएनएल की तरफ से दिया गया है। यह सिम कार्ड आप के पास और हम सबके पास है। अगर मैं अपने मोबाइल से उस सिम कार्ड से जरिए बात करना चाहूँ तो पहली बार मैं बात हो ही नहीं सकती। दूसरी बार कोशिश करने का सवाल पैदा नहीं होता, तीसरी कोशिश की बारी ही नहीं आती और चौथी कोशिश का तो राम ही भरोसे है। यह सब बीएसएनएल की तरफ से एक साजिश के तहत हो रहा है। जहां कहीं टॉवर लगाने की बात आती है तो सबसे पहले एयर टैल, वोडाफोन, एयर सैल, रिलायंस आदि के टॉवर लगते हैं, फिर सबके बाद में बीएसएनएल की बारी आती है। जब सारी निजी कम्पनीज के सिम कार्ड्स बिक जाते हैं, तो हमारी बीएसएनएल के सिम कार्ड्स पड़े रहते हैं और हमें दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रिक्वेंसी की बात आती है, तो सबसे कमजोर फ्रिक्वेंसी बीएसएनएल की है और यह सब एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। जब कभी इस मसले पर विचार विमर्श की बात होती है तो सांसदों से इस बारे में कोई राय नहीं ली जाती है। फ्रिक्वेंसी का जहां तक सवाल है, तो यह एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इसमें भी ड्रामा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब कहीं टॉवर लगाने की बात आती है तो प्राइवेट ऑपरेटर और सरकारी भी किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर ले लेते हैं। उस जमीन पर ये लोग टॉवर लगाते हैं, अपने इम्लाइज रखते हैं और अपना चौकीदार बिठाते हैं। किसान को कुछ नहीं दिया जाता है, जबकि उसकी जमीन मुफ्त ली जाती है।

सभापति जी, आपको याद होगा, जब एयर टेल की कॉल रेट 30 से 34 रुपए प्रति मिनट थी, उस वक्त बीएसएनएल आई और उसने एक-दो रुपए प्रति मिनट कॉल रेट कर दी, जिससे सभी निजी सर्विस ऑपरेटर्स ने अपनी कॉल रेट में कमी की। लेकिन हमारा मंत्रालय चाहता है...(व्यवधान) कि धीरे-धीरे यह विभाग बंद हो जाए और सारी कॉल्स दोबारा प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास चली जाएं, जिससे वे अपने हिसाब से कॉल रेट की दरें फिक्स कर सकें। हमारे देश में 5,93,601 गांव हैं, जो पापुलेटेड हैं, इनहैबिटेड्स हैं। जो इन्होंने कहा है, उसके अनुसार 5,62,152 कवर कर दिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता

हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में, यहां डॉ. फारुक अब्दुल्ला साहेब बैठे हैं, वह हमारे लीडर हैं, वह भी जानते हैं, नारबन में, बारबन में, दक्षिण में, सतारी में, गंधारी में, पाडर में, डुडू में, वसंतगढ़ में, लाटी में, टूंडा में कहां कवरेज हुई है। ये मैं दूर-दराज इलाकों की बात कर रहा हूं। हजारों-हजार गांव अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, कवर नहीं हुए हैं, तो फिर ये डेटा कहां से आ गया।

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Sir, I would like to assure the hon. Member that as soon as the House is over, I will request the hon. Minister of IT to go to these areas with the hon. Member of Parliament, to see himself what the conditions are; and we in the Government of India, will try to help all these backward areas to get telephone connections.

MR. CHAIRMAN : All right. Now, Shri Mahendrasinh Chauhan.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : मेरा आखिरी सभ्मिशन है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Lal Singhji, very unusually, you got a reply also in between your submission. You should be satisfied, now.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahendrasinh Chauhan, I have called your name. You continue, please.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : सर, आप मेरी बात सुनें। मंत्री साहेब के आश्वासन...(व्यवधान)

MR CHAIRMAN: Mr. Lal Singh, please take your seat.

... (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी की बात से तो खुश हूँ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Lal Singh, this is not going on record. Please take your seat.

(*Interruptions*) ... *



श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र साबरकांठा गुजरात के कुछ क्षेत्र खेडण्मा, विजयनगर, भिलोडा, मेघरज इत्यादि अरावली जंगल का इलाका है, जिसके आस-पास छोटे-छोटे गांव में बसे आदिवासी समाज (ट्राइबल कम्युनिटी) एवं अति पिछड़े लोग रहते हैं। इन्हें जंगलों में अछत में बनी कच्ची-पक्की सड़कों का प्रयोग गांवों में आने-जाने के लिए करना पड़ता है। वर्षा ऋतु के दौरान इन कामचलाऊ सड़कों की हालत बहुत बिगड़ जाती है। जिसके कारण ग्रामीणों को आपातकालीन परिस्थितियों अथवा जरूरी कार्यों के लिए आवागमन में अत्यंत कठिनायी होती है। ये सड़के जंगल वन विभाग के संरक्षण में हैं, इसलिए राज्य सरकार के चाहने पर भी उन कच्ची सड़कों को पक्का नहीं किया जा सकता है। जब भी सड़कों को बनाने जाते हैं तो फोरेस्ट वाले बंदूक लेकर आ जाते हैं और हमारे लोगों को बोलते हैं कि निकल जाओ यहां से, यहां पक्की सड़क नहीं बन सकती है। मेरा आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सड़कों को गुजरात सरकार के मार्ग एवं मकान विभाग को, पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करें ताकि इन जंगलों में रहने वाले ग्रामीणों को पक्की सड़कों का लाभ मिल सके।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं किसानों की समस्या को लेकर खड़ा हुआ हूँ। देश के सभी प्रदेशों में मण्डी बोर्डों का गठन किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु किया गया है। इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक प्रतिशत फीस सामान खरीदने वाले से वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसी संदर्भ में मैं माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान दिल्ली प्रदेश में आजाद पुर मण्डी, जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश किसानों की फल, सब्जी एवं अन्य उत्पाद बिकने के लिए आते हैं, उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वहां इस नियम का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित सेब, टमाटर शिमला मिर्च, मटर व अन्य सब्जियों व फल की कुल मात्रा का 80 प्रतिशत आजाद पुर सब्जी मण्डी में बिकने के लिए आता है। मुझे अत्यंत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आजाद पुर मण्डी के आदतियों द्वारा किसानों एवं बागवानीकर्ताओं का माल मनमानी दर पर बेचने का काम किया जा रहा है तथा नियमों एवं कानूनों को धत्ता बताते हुए, किसानों एवं बागवानीकर्ताओं का शोषण करते हैं।

महोदय, नियमानुसार मार्केट फीस के रूप में खरीदार से एक प्रतिशत धन वसूलने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आजाद पुर के आदती वहां अपना सामान बेचने आने वाले किसानों से छह से आठ प्रतिशत के हिसाब से कमीशन वसूल रहे हैं। यह प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, जिससे कृषक व बागवान बहुत परेशान हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व बागवानी मंत्री ने बात की तथा मुद्दा उठाया कि किसानों व बागवानों से एक प्रतिशत मार्केट फीस के रूप में वसूला जाए। मुझे अत्यंत

खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। आजादपुर मण्डी के आढ़तियों द्वारा किसानों और बागवानों का शोषण बदस्तूर जारी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि आजादपुर फल एवं सब्जी मण्डी दिल्ली में अन्य प्रदेशों से अपने उत्पाद को बेचने के लिए आने वाले किसानों और बागवानों के शोषण को तत्काल रोका जाए और उनके मंत्रालय से अविलम्ब आदेश जारी किए जाएं, ताकि मण्डी के नियमानुसार फीस अथवा कमीशन आदि वसूलने हेतु कार्यवाही हो और किसानों व बागवानों का शोषण समाप्त हो।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, पूरे देश में कुल 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनमें से केवल मेरठ ऐसा कंटोनमेंट बोर्ड है, जिसका चुनाव नहीं हुआ है। मई, 2008 तक सब कंटोनमेंट्स बोर्ड्स के चुनाव हो गए हैं, लेकिन मेरठ में अभी तक नहीं हुआ है। किसी प्रकार के भी छोटे-मोटे अड़ंगे लगा कर, स्टे लेकर चुनाव को टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, माननीय रक्षा मंत्री जी हस्तक्षेप करें, ताकि मेरठ कंटोनमेंट बोर्ड को भी उसका निर्वाचित निकाय प्राप्त हो सके और वह जल्दी प्राप्त हो, क्योंकि पहले ही डेढ़ वर्ष का विलम्ब हो चुका है। धन्यवाद।

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): Mr. Chairman Sir, I am grateful to you for this opportunity. At the same time, I would request you to give me at least a little more time.

MR. CHAIRMAN : Two minutes.

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA : At least five minutes.

MR. CHAIRMAN: No, Sir. A lot of people are waiting.

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA : In the national map of Railways, Badarpur is a very prominent place because Badarpur is situated just in the centre of the area, Barak Valley. This railway junction, Badarpur, is catering to the needs of not only of Barak Valley, but it has also got connection with Tripura, Manipur, Mizoram and other parts of the State of Assam. So, there is a longstanding demand that Badarpur should be made the divisional headquarters making it a railway division. For that, for the last two-three decades, people are agitating and there are different committees and NGOs who are fighting for this cause.

It is so important and so necessary because it has got geographical importance also. It is just on the border of Bangladesh. So, covering the Bangladesh border this is the area, where, if a railway division is set up, we are very much hopeful that the railway works may run very well.

I have to make another point. There is a railway junction which is more than a hundred years old. There is an old loco shed which is being constructed as a diesel shed. But this diesel shed is half constructed and now that has been stopped. It is now being said that this diesel shed is going away somewhere else. The people of this area have raised a very strong resentment and also a movement against the Railway Development. At the moment, the diesel shed which was to be constructed there, is going to be shifted.

I would request the Government two things. First of all, Badarpur should be declared as a division and it should be the centre of the division and secondly the diesel shed, which is half constructed and being shifted, should be stopped and this diesel shed should be at Badarpur.

18.22 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS – Contd.

(ii) Re: Need to look into the encroachments in cremation grounds and in lands of villagers in Uttar Pradesh

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया। मैं इस मुख्य विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले हम सब को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ था। इसी सिलसिले में बाढ़ के इस प्रकोप में मैं भी फंस गई थी और भगवान की कृपा से या अल्लाह की देन से मैं बच गई लेकिन कुछ गरीब लोग हमारे रामपुर क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं और बगल के मुरादाबाद का भी कुछ हिस्सा पड़ता है, कुछ लोग इस बाढ़ से प्रभावित होते हुए अपने गांवों को, अपनी फसलों को, अपने घरों को और अपनी जायदाद को, सारी चीजें छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चले गये थे, ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That is not the subject you wanted to raise. Please confine your submission to the subject.

SHRIMATI JAYAPRADA : This is very important.

MR. CHAIRMAN: You cannot go into all these details. The subject you wanted to raise is different. You confine your submission to that only.

SHRIMATI JAYAPRADA : This is the subject that I wanted to raise.

MR. CHAIRMAN: This is important. But you gave notice for a different subject.

SHRIMATI JAYAPRADA : For this subject only I have given notice.

MR. CHAIRMAN: 'Encroachment into the cremation ground' is the notice you have given.

SHRIMATI JAYAPRADA : Yes Sir. This is what I want to tell. This is what I am speaking. How will say suddenly how they have encroached?

वे अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घर चले गये थे और अब पानी के वापस चले जाने के बाद अपने-अपने घर वापस आ गये हैं। यहां काफी गरीब लोग रहते हैं और घोसी समाज के लोग रहते हैं। यह मुस्लिम बाहुल एरिया है। इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर में आश्रय लिया है। इन लोगों के वापिस आने के बाद अपना कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास न घर है, न फसल है और न ही खेत है। यहां तक कि कब्रिस्तान पर भू-माफिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है और गेहूं की फसल उगाने लगी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि यहां के गरीब लोगों के पास एक बीघा की जमीन भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। एक बीघा की जमीन वाला भी किसान है और सौ बीघा की जमीन वाले भी किसान हैं। उनके पास जगह नहीं है, घर नहीं हैं और भू-माफिया के लोग कब्जा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसके लिए किसके पास जाकर गुहार लगाएंगे? मैं उस क्षेत्र की सांसद हूं इसलिए वे मेरे पास ही आएंगे। मुरादाबाद में भी इसका हिस्सा है इसलिए वे लोग प्रशासन के पास भी गए हैं और हमारे पास भी आए हैं।

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Mr. Chairman, Sir, I would like to request the hon. Member that if you could give me this paper, I will discuss it with the hon. Minister of Home Affairs and he will have to take it up with your State Chief Minister because that being the State problem. But I will request Shri Chidambaram to take this up with them so that justice is done to the people.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, thank you so much. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Bhudeo Choudhary to speak now.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, let me conclude this.

MR. CHAIRMAN : You have made the point. The answer is also given. Now you have to take the seat.

SHRIMATI JAYAPRADA : I just want to thank him. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : That is okay.

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इसे ध्यान में रखें और तत्काल न्याय दिलाया जाए।

MR. CHAIRMAN : Jayapradaji, this is not allowed during the 'Zero hour'. You should please understand what is the notice you have given. Please confine to that please.

... (*Interruptions*)

श्रीमती जयाप्रदा : मैंने बोल दिया है।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। किउल से शेखपुरा होते हुए गया तक ट्रेन चलती है, यह सुबह 5 बजकर 45 मिनट फिर 6 बजकर 30 मिनट और फिर सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर चलती है। ट्रेन दिन भर नदारद रहती है, चलती नहीं है। इसके साथ हम यह मांग करते हैं कि विगत भाषण में माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जमालपुर, भागलपुर से गया तक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाएगी लेकिन आज तक यह नहीं चल पाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुनय विनय करना चाहता हूँ कि भागलपुर से गया तक एक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। किउल से सुबह सात बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलती है इसलिए दिन में एक बार ट्रेन चलाने की कृपा करें। मैं याद दिलाना चाहता हूँ विगत दिनों दिल्ली से हावड़ा ट्रेन चलती थी, जो बनारस, किउल, झांझा, जमुई होते हुए जाती थी, वह बंद है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप दिल्ली से हावड़ा वाया बनारस होते हुए गया, किउल, जमुई, झांझा होते हावड़ा तक चलाई जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, firstly, please allow me to speak from here.

Thank you hon. Chairman. This is regarding release of funds for drinking water scheme in parts of Andhra Pradesh under UIDSSMT Scheme. Thank you for permitting me to raise this matter of urgent public importance. As the House knows, Vizianagaram district is a very historical place as well as a very backward place also. The urban area is consisting of only three lakh population. It is facing acute drinking water problem. People of this district are exposed to hazardous diseases due to non-availability of safe and pure drinking water.

As per the recommendations of the Planning Commission, the Government of Andhra Pradesh has submitted a proposal for improvement of water supply scheme in Vizianagaram Municipality under UIDSSMT Scheme for Rs. 38 crore under Phase-I. The same was approved by the CPHEEO and has been submitted to the Ministry of Urban Development. The Minutes of the Fifth SLSC dated 22nd February, 2009 were also sent to the Ministry.

In addition to this, under Phase-II, a further amount of Rs. 31 crore more is required to fulfil the water supply needs of the people of Vizianagaram Municipality. I request the Ministry, through this august House, to release Rs. 38

crore immediately and to issue sanction letter for Rs. 31 crore. The total amount works out to Rs. 69 crore. This matter is pending in the Ministry for nearly one year.

I once again request the Ministry to expedite the financial sanction for this project. Thank you so much.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Sir, I would like to raise an issue of urgent public importance and request the Government to take urgent measures to stop nurses' strike in Batra Hospital and Medical Research Centre, Tughlakabad, Delhi.

I strongly condemn the hospital management's aversion to the genuine causes of the nurses. Their legitimate demand for a revision of salary and service benefits should be met immediately and the pathetic plight of patients should be ceased.

First of all, I would like to bring to the attention of the House the present ratio of nurses to patients in Delhi. It should be noted that the expected ratio is 1:5, but the present ratio in Batra Hospital is 1:12. In some hospitals, this ratio is 1:20. This causes heavy workload and intense mental strain on the nurses. The greed for exorbitant profits bridles the hospital authorities from appointing the requisite number of nurses. They even force the nurses to bear the burden of double duty due to shortage of nurses, consequently creating deep distress in the family life of the nurses.

The medical or sickness benefits available to nurses are marginal and in some cases absolutely nil. Their lives seem to be in peril due to the negligence of hospital administration in providing adequate precautionary measures *vis-à-vis* treatment of highly chronic and infectious diseases.

If any nurse, out of agony, decides to stop her service to a particular hospital, again she will be in deep trouble as her certificates will not be returned, thereby, she is placed under perpetual serfdom and servitude. This practice of withholding certificates due to premature termination of contract between employer and nurses should be stopped.

I would like to end with a quote of our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi :

“A nurse is not merely an aid and assistant to a doctor, she has an independent part to play in many areas where doctors need not necessarily be present.”

I would request that the Government should immediately constitute a committee consisting of parliamentarians to study the working of hospitals, fees charged by them from the patients and the service conditions of nurses in Delhi.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Chairman, Sir, it is a very serious problem and requires the Government to intervene.

MR. CHAIRMAN : Shri Jose K. Mani, if you want to associate, you can send your name.

... (*Interruptions*)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, I also associate. ... (*Interruptions*) It is a very serious matter. ... (*Interruptions*)

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I would also like to associate. ... (*Interruptions*) Hon. Minister is sitting here. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jose K. Mani, Shri P.T. Thomas and Shri Kodikkunnil Suresh are associating with this matter.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You can send your names.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. Anup Kumar Saha and Shri Charles Dias are also associated with this matter.

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। वहाँ सरकार के द्वारा कुछ निजी कंपनियों को देश के विभिन्न जिलों में बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर हाउस लगाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में भी रिलायंस कंपनी को रोजा थर्मल पावर हाउस में बिजली उत्पादन की अनुमति दी गई है। उक्त कंपनी के द्वारा वहाँ उत्पादन आरंभ कर दिया गया है।

मेरी मांग है कि रोजा थर्मल पावर कंपनी को सरकार निर्देशित करे कि शाहजहांपुर जिले में उक्त कम्पनी 24 घंटे बिजली की सप्लाई करे।

नम्बर दो जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजा बहुत कम रेट पर दिया गया है, मेरी मांग है कि उन लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसमें नौकरी दी जाए।

नम्बर तीन रोजा पावर प्लांट की चिमनी की राख और धुएं से क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है, उसे रोकने की तुरंत व्यवस्था की जाए, ताकि क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारियां न फैले। अन्यथा शाहजहांपुर में बिजली की रोशनी आने की बजाय अंधकार छा जायेगा।

आखिरी प्वाइंट मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के जिन ग्रामीणों की सारी जमीन चली गई है, उनके घरों में खाने की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। इसलिए मेरी मांग है कि उस कंपनी को निर्देशित किया जाए कि कम से कम वहां एक इंटर कालेज खोला जाए, ताकि उस क्षेत्र के ग्रामीणों के बच्चे उसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें।

महोदय, आपने मेरी बात को सुना, मेरा निवेदन है कि आप इसे आदेशित करने की कृपा करें।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Chairman, Sir, through you, I want to draw the attention of the Government and this House to a really urgent matter of national concern.

Mining is an important economic activity in various parts of our country, especially, in the areas dominated by the tribals who usually reside in hilly and forest areas. These days, illegal mining is going on in various parts of the country defying the existing set of rules, particularly, for major and minor minerals like granites, coal, etc. In a way, this is damaging the topography and on the other hand, hundreds and thousands of dwellers and owners of land are getting alienated -- directly or indirectly -- from the ownership of land thereby depriving them of their livelihood as a result of illegal mining and crushing. Health hazards like silicosis -- originating from the dust produced by this sort of crushing and mining -- and pneumoconiosis is really creating an impediment to their normal healthy life by spreading respiratory diseases, Tuberculosis, etc. and cutting short their life span. Further, these activities are going on without the help of any medical aid. Hence, I urge upon the Government, through you, to look into this problem and stringently bring a legislation to control this sort of illegal mining. The Government should take necessary action to prevent diseases like silicosis, pneumoconiosis, etc., and save the lives of hundreds and thousands of our tribal people and protect their land and forest rights.

I urge, through you, to the Government to take appropriate action regarding this issue, and I am sure that the Government will take necessary steps on this issue. Thank you.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जैसे डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने दो माननीय सदस्यों के विषय पर जवाब दिया है, वह मेरे प्रश्न का भी जवाब देंगे।

सभापति महोदय, आज पूरे भारतवर्ष को प्रदेशों के रूप में बांटने की साज़िश हो रही है। आज तेलंगाना का मामला आया। आपने देखा होगा कि तेलंगाना के बाद कम से कम एक दर्जन से ज्यादा राज्यों के गठन की बात आयी है। इस वक्त यह मामला यू.पी.ए. और कांग्रेस सरकार के गले की हड्डी की फांस बन गई है। राहुल जी ने भी कहा है कि छोटे राज्यों से ही समग्र विकास हो सकता है। उन्होंने हवन में और

घी डालकर आहुति का काम कर दिया है। आज पूरे देश में जन समस्यायें इतनी विकराल हो गई हैं कि महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं, उन से ध्यान अलग हटाने के लिये केन्द्र सरकार भी वही काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी वही कर रही है। उत्तर प्रदेश के सी.एम. ने तो चार राज्यों के पुनर्गठन की बात कह डाली है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him. This will not go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश को चार भागों - हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य के लिये मांग की है। अब क्या स्थिति हो गई है? हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। हमें गर्व होता है। कल को इतने पूर्वांचल से हैं। आप देखें कि हमारा समाजवादी दल इसका विरोध करता है और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा ही करना है तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाये। दूसरी बात यह है कि यू.पी.ए. सरकार को राज्य के बंटवारे के मामले में अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट आयी है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your point. Please sit down.

... (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं अपनी बात केवल एक पाइंट और कहकर समाप्त करूंगा...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot interrupt like this.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not going on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar, please address the Chair. You have made your point very well. Now, please take your seat.

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, एससी आयोग की रिपोर्ट आयी है कि दलित उत्पीड़न और शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That is not the point on which you have given the notice. Please take your seat.

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपनी नीति स्पष्ट करे। फारूख अब्दुल्ला साहब, आप खड़े होकर जवाब दीजिए।

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Shri Shailendra Kumar, what you are speaking will not go on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, what you are speaking has not been mentioned in the notice, so that will not be on record.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. You are not allowed.

... (Interruptions)

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I want to associate with what the hon. Member said.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I just want to associate with what the hon. Member said.

MR. CHAIRMAN: You can send your name to the Table. Shrimati Jayaprada is permitted to associate with what the hon. Member said.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कॉपर बर्तनों के उद्योग के बारे में आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत सरकार ने हस्तशिल्पियों के उत्थान में अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता, प्रदर्शनी इत्यादि किंतु कॉपर कामगारों को उचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा इन्हें उचित प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता है। अभी भी कॉपर कामगार अपने पुराने तौर-तरीके अपना रहे हैं। वे आधुनिक टैक्निकल प्रयासों से वंचित हैं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिसनगर, जिला मेहसाणा और सौराष्ट्र के सिहोर तथा बड़वान में कॉपर कामगारों के बर्तन तथा उनके कलपुर्जों का बड़ा कारोबार चलता है। मैं भारत के सभी राज्यों में पर्यटन का विकास चाहती हूँ। इसके लिए कॉपर बर्तनों की स्थायी प्रदर्शनियां लगायी जाएं।

* Not recorded

महोदय, अब तो आयुर्वेदिक विज्ञान भी हमारी हैल्थ के बारे में कॉपर के बर्तनों का ज्यादातर उपयोग की सलाह देते हैं। आज भी कॉपर के बर्तनों का उत्पादन एवं कारोबार भारत के करीबन 50 बड़े शहरों में चल रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूँ कि कॉपर के बर्तनों का उद्योग आज मृत प्रायः हालत में है। आज भी कई कामगारों की रोटी छीनी जा रही है। कामगार और इस व्यवसाय में लगी हुई ट्रेडिंग कंपनियां और छोटे-छोटे दुकानदार आज भी इस चपेट में आ गये हैं। छोटे-छोटे दुकानदारों और कामगारों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है।

महोदय, आज यह उद्योग बड़े-बड़े कारखानों वाले उद्योगपतियों की ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेने के चक्कर में फंस गया है। ये लोग कॉपर की कच्चे माल की जो सीट्स बनाते हैं, इसमें पीतल और जस्त की मिलावट करते हैं, इसके कारण कॉपर के कलपुर्जे और बर्तन बनाने वाले कामगारों को बर्तन और कलपुर्जे बनाने में बड़ी कठिनाई एवं दिक्कत पड़ती है। इन सभी का उत्पादन आधा हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कम उत्पादन से कम रोजगार मिलता है और उत्पादन शुद्ध न होने की वजह से उपभोक्ता ने भी कॉपर के बर्तनों की खरीददारी से मुंह फेर लिया है। इसीलिए मैं पर्यटन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से इस दिशा में कारगर कदम जैसे कि स्थायी प्रदर्शनी व कॉपर कामगारों को आधुनिक टैक्नीकल प्रशिक्षण दिलाने की विनती करती हूँ।

18.42 hrs**SUBMISSIONS BY MEMBERS – Contd.****(iii) Re: Need to review the decision to ban pre-paid mobile phone services in Jammu and Kashmir**

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, through you, I want to draw the attention of the Government and the attention of the entire House to a very important issue confronting the people of Jammu and Kashmir. I hope Dr. Farooq Abdullah and other Ministers will attend to me.

We are the only State, perhaps, in the country where mobile services were launched last of all. That is one point. Very recently, here I want your intervention and I hope the Government and hon. Minister Dr. Farooq Abdullah will take it up very seriously, we are the only State in the country where pre-paid mobile phones have been stopped altogether. There has been a blanket ban. No pre-paid mobile phones can be used in the State of Jammu and Kashmir now.

I want to tell you that 92 per cent of the mobile phone users used to use these pre-paid mobile phones in Jammu and Kashmir. Not only that, over 2,000 young men of the Jammu and Kashmir have been rendered jobless; they have no jobs now.

Not only that. The most important thing is that the majority of the security forces in the State of Jammu and Kashmir posted from different parts of the country were using pre-paid mobile phones and they have lost contacts with their homes. They no more can contact their own family members. The only source of contact they had with their families was this pre-paid mobile phones, and it has been stopped altogether. I want to draw your attention to this. It was done when the peace process has been initiated in the State of Jammu and Kashmir. This gives a very negative signal. I am sure over a period of two decades now, when the Kashmir is on boil, a vested interest has developed in the abnormal Kashmir. The Government of India has to break this nexus and has to punish providers of those pre-paid mobile phones. The providers of those phones have not been punished

but the users have been punished for no fault of theirs. There are post-paid mobile phones; there are pre-paid mobile phones; and there is no ban on post-paid mobile phones. This is nobody's point. We do not want to compromise insofar as the security of the State is concerned. This is nobody's argument or nobody's point. Hon. Home Minister is on record to have said that the worst kind of terrorism that the country is facing is from naxalites. But these pre-paid mobile phones are in use there. But unfortunately, the State of Jammu and Kashmir is the only State in the country where the use of pre-paid mobile phone has been stopped. I would like Government's intervention in this.

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): There is no doubt about it that people have been hurt by the ban of these pre-paid mobile phones. But, I am sure the Government of India is already aware of it. The Chief Minister of the State has taken this up with the Home Minister of India. I am sure, they are looking into this. All gamuts of these are being seen. As soon as everything is sorted out, I am sure the Government of India is very eager that none of them should be left out of what is possible in the rest of the country. But looking at everything, I am sure and I can assure the Member that we are already aware of it and we will take steps which are necessary to see that the people who are affected by this get some relief as soon as we are able to get over this whole tragedy of finding out where mistakes have been made in the past.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow the 15th December, 2009 at 11.00 a.m.

18.48 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, December 15, 2009/Agrahayana 24, 1931 (Saka).*

